खण्ड-350, अंक-4
सोमवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(16 मार्च, 1981 ई0)

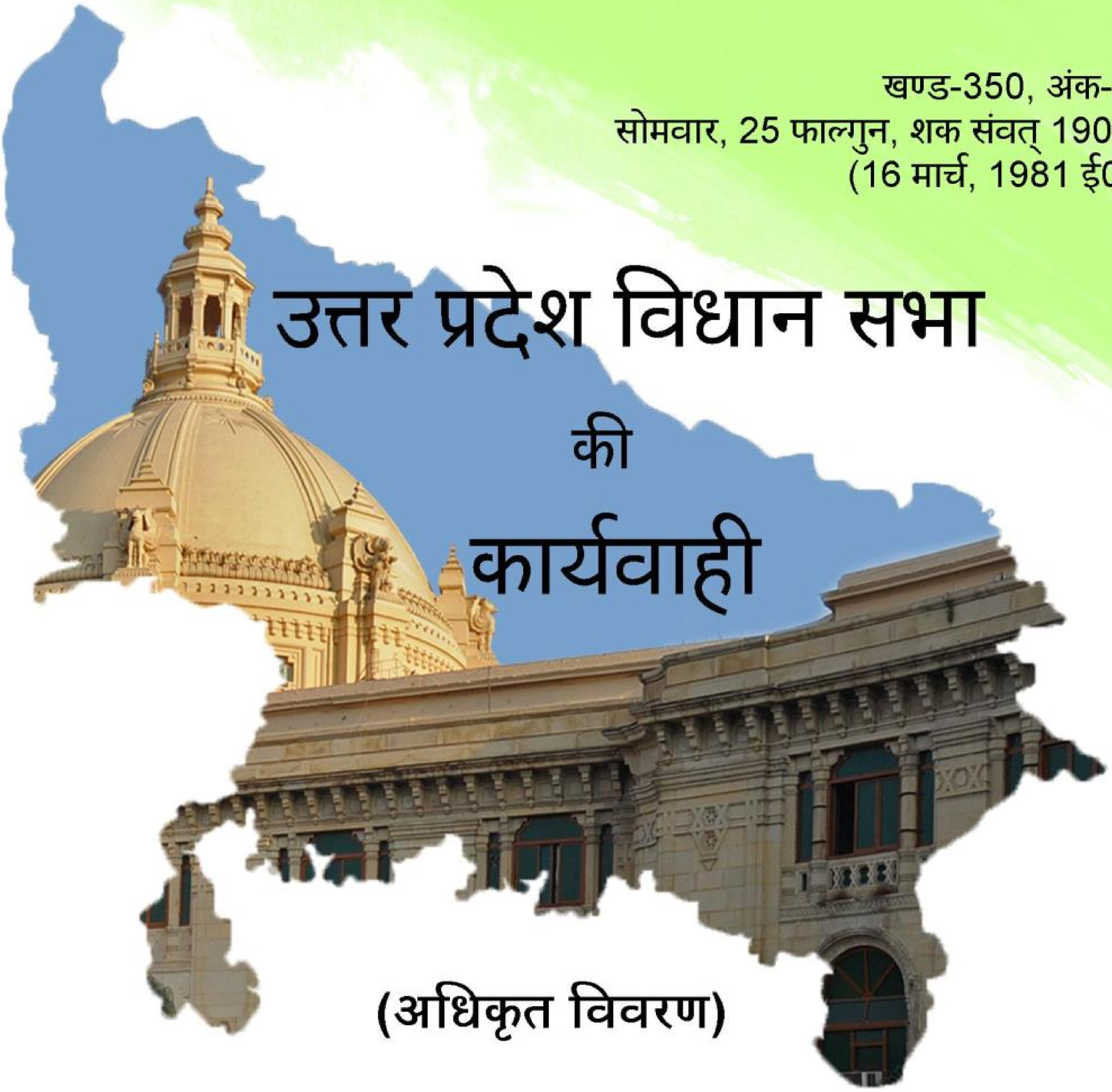

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	320–322
प्रश्नोत्तर ..	323–364
मोदी नगर में भूख हड़ताली महिलाओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	364
देवरिया जिले के ग्राम सलेमपुर, निवासी श्री नारायण कानू के परिवार की हत्या क सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	364–365
प्रौढ़ शिक्षा परियोजना अधिकारी, फैजाबाद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	365
किसान डिग्री कालेज व ए0 पी0 एन0 डिग्री कालेज के छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	365–366
झांसी जनपद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति तथा क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	366
मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	366–367
श्री संजय सिंह द्वारा मन्त्रि मन्डल के सदस्यों के विरुद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	367–368
दिनांक 4 अगस्त, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के संशोधन हेतु शोधन वक्तव्य ..	368–369
उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 (पुरः स्थापित किया गय)	369–370
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	370–371
इटा जिले के भूतपूर्व सदस्य, श्री सतीश चन्द्र शर्मा की हत्या में विधायक श्री लटूरी सिंह की कथित साजिश के सम्बन्ध में	371–381
1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 68–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 69–सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 104–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 105––बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	381–413
अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मन्डल (स्वीकृत) ..	413
अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग तथा अनुदान संख्या 5––निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) ..	413–416
1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए ..	417–434
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	434–435
रतपुर के भूतपूर्व विधायक श्री जैनाथ प्रसाद चौहान का कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	5
अस्थायां ..	437–441

विधान सभा
प्रदेश पटेश्वर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---311

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरूद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री नाम (निर्देशित आंग्ल भारतीय)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शाखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (नैनीताल)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल सांकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
पराग लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह, आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)

मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्र श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, श्री (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)

विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखद मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)

नोट--श्रम मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 16 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बीज एवं उर्वरक की ढुलाई के दर में वृद्धि किये जाने की मांग

*1--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के लिए बीज एवं उर्वरकों की ढुलाई के लिए ठेका जिस वक्त स्वीकृत किया गया उसके बाद जून, 1980 में डीजल की दर में प्रति लीटर 65 पैसे की वृद्धि हो गयी ? यदि हां, तो बढ़ते हुए डीजल के मूल्यों को देखते हुए क्या ठेकेदारों के ढुलाई की दरों में वृद्धि हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि प्रदेश के कुछ जनपदों में डीजल के भाव में वृद्धि होने के बाद ठेके बढ़ी हुई दरों के हिसाब से स्वीकृत किए गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त असमानता को दूर करने का आदेश दे चुकी है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

टेन्डर एवं एग्रीमेन्ट बांड में दी गई शर्तों के अनुसार ठेके स्वीकार हो जाने के उपरान्त उनकी दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है ।

ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर मण्डल के बीज गोदामों में गबन

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्रीमती गौरी देवी (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में गोरखपुर मण्डल के किन-किन बीज गोदामों पर 10 हजार से अधिक धन का गबन प्रकाश में आया है, और उसके लिए कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा इन कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

गोरखपुर मण्डल के जिन-जिन बीज गोदामों पर 10 हजार से अधिक गबन/दुर्विनियोग के मामले प्रकाश में आए हैं और जो कर्मचारी उससे सम्बन्धित हैं, उसकी सूची संलग्न* है ।

सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

*(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 437 पर)

[दिनांक 16 मार्च, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के खेतिहर मजदूरों की सहायतार्थ धनराशि का आबंटन

*1--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत बाढ़ और सूखे से प्रभावित प्रदेश के ग्रामीण खेतिहर मजदूरों के राहत हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों

को शुरू करने के प्रभावी आदेश जारी कर दिए हैं और कार्य प्रारम्भ हो गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां ।

बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित प्रदेश के ग्रामीण खेतिहर मजदूरों को राहत पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपदों को शासनादेश दिनांक 21 फरवरी, 1981 द्वारा 2 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया गया है तथा राहत कार्य तत्काल प्रारम्भ करने के लिए आदेश जिलाधिकारियों को उक्त शासनादेश में दे दिए गए हैं ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा दो करोड़ की धनराशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कल तक या परसों तक किन-किन जिलों में राष्ट्रीय योजना में कार्य आरम्भ हो गया था, क्या उसमें बस्ती जनपद है या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भेजा जा चुका है, जिसमें बस्ती भी है । कोई जनपद ऐसा नहीं है जो छूटा हो ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर कि अभी तक बस्ती जिले में आपकी स्टेयरिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई है और वहां के जिलाधिकारी ने कहा है कि जब तक स्टेयरिंग कमेटी से काम एप्रूव नहीं हो जायेगा, काम आरम्भ नहीं किया जायेगा । क्या मंत्री जी जिलाधिकारी को निर्देश देंगे कि बिना स्टेयरिंग कमेटी के अप्रूवल के काम तत्काल आरम्भ कर दिया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

वैसे काम जो हैं, तत्काल शुरू कराना चाहिए किन्तु माननीय माता प्रसाद जी ने कहा है काम शुरू नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ यह दिखवा लेंगे लेकिन बगैर किसी निर्धारण के अगर काम शुरू हो जाता है, तो दूसरे लोगों को शिकायत होगी । मैं इस बात को देखूंगा कि काम तत्काल शुरू कर दें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के इस काम को शुरू करने के लिए कुछ आदेश होंगे जो कि उन्होंने जिलाधिकारियों को दिए हैं, तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि उस आदेश के अंदर स्पष्टरूप से इस माननीय सदन के सदस्यों की राय या उनके इनवाल्वमेन्ट से सम्बन्धित क्या आदेश हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो स्टेयरिंग कमेटी है उसके सदस्य माननीय सदस्य भी हैं, तो उसमें वह अपनी राय दे सकते हैं और वहां के निर्णय के अनुसार काम होगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, चूंकि वह नयी स्कीम शुरू हुई है और सारा डेवलपमेन्ट का काम माननीय सदस्यों की ही कांस्टीट्यूयेंसी में ही किसी न किसी रूप में होगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो आदेश जिलाधिकारी को भेजे हैं, उसमें क्या इस बात का उल्लेख किया है कि उस स्कीम को बनाते समय माननीय विधायकों का किस हद तक हाथ रहेगा या वह साधारणतया बी0 डी0 ओ0 आदि की ही तरह रहेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

उस शासनादेश में नहीं, लेकिन आपको स्मरण होगा कि जब बजट पर चर्चा चल रही थी, उस समय कहा था कि जो क्षेत्र से सम्बन्धित चीज होगी, उसमें विधायकों की राय के अनुसार ही निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

तो जैसा आपने अभी कहा, क्या इससे सम्बन्धित जी0 ओ0 आप तुरन्त जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो बात यहां कही जाती है, वह बात इसलिए की जाती है कि उसका जी0 ओ0 ईश्यू किया जाए और उस पर कार्यवाही हो ।

*2--श्री ऊदल--

[9-3-81 के तारांकित प्रश्न सं0 2 के द्वारा उत्तरित]

केन्द्रीय बीज भन्डार, जिला बस्ती द्वारा उर्वरक की बिक्री

*3--श्री राम आसरे पासवान--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय बीज भन्डार, बस्ती से दिनांक 1-6-80 से दिनांक 8-6-80 तक कितनी उर्वरक नकद बेची गयी ? क्या यह वितरण अनियमित था ? यदि हां, तो अन्य बीज भन्डार प्रभारियों की तरह उक्त प्रभारी बस्ती सदर को अब तक क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

कृषि उप मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)--

केन्द्रीय बीज भन्डार बस्ती से दिनांक 1-6-80 से 8-6-80 तक 22-500-000 मी0 टन यूरिया एवं 0-500-000 मी0 टन डी0 ए0 पी0 उर्वरक नगद बेची गई ।

इस वितरण के सम्बन्ध में प्रारंभिक जांच उप कृषि निदेशक, गोरखपुर द्वारा की जा रही है और जांचोपरांत ही यदि प्रभारी दोषी पाया जाता है तो उसको निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जब प्राईमाफेसी यह निश्चित हो गया है कि नगद खाद बेची गई और शासन के यह आदेश थे कि नगद खाद नहीं बेची जा सकती है, तो फिर किस चीज की जांच की आवश्यकता पड़ी ? इसको निलम्बित क्यों

नहीं किया गया ? यदि यह बिक्री शासनादेश के विरुद्ध है, तो खाद गोदाम इंचार्ज को तुरन्त आप क्या निलम्बित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय सदस्य का यह कहना कि खाद नगद नहीं बेची जा सकती है, ऐसी बात नहीं है । खाद नगद भी बेची जा सकती है और उधार भी बेची जा सकती है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह कई टन खाद का मामला है और इसमें जिन लोगों को खाद बेची गई है उनकी संख्या भी काफी होगी, तो हर आदमी से घेरीफाई करना, पर्सनली पूछना कि आपने खाद ली है या नहीं, इसमें समय लग सकता है । तो इसकी जांच गम्भीरता से की जा रही है और मैं समझता हूं कि दुबारा भी इस तरह के निर्देश शासन की ओर से भेजे जायेंगे कि इसकी अतिशीघ्र जांच करा कर शासन को अवगत कराया जाय ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या केन्द्रीय बीज भन्डारों से व्यक्तिगत किसानों को खाद दी जाती है या वहां से ब्लाकों पर स्थापित जो खाद-गोदाम होते हैं उनको खाद भेजी जाती है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जहां तक मुझे जानकारी है कि केन्द्रीय बीज भन्डार से ब्लाक के गोदामों को ही खाद दी जाती है ।

प्रदेश में खाद पर दी गयी छूट

*4--श्रीमती गौरी देवी (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद के क्रय में दस प्रतिशत की छूट देने का निर्देश किस समय दिया ? क्या गोरखपुर जिले में 28 नवम्बर, 1980 तक दस प्रतिशत छूट किसानों को दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस छूट के दिये जाने के सम्बन्ध में रेडियोग्राम संख्या ए-9541/12-5-80, दिनांक 14-11-80 द्वारा शासनादेश निर्गमित किया गया और विस्तृत निर्देश शासनादेश संख्या 9522/12-5-80 दिनांक 12-12-80 द्वारा जारी किये गये जिससे इस अनुदान की सुविधा 14-11-80 से लागू होने और 31-1-81 तक प्रभावी रहने का प्राविधान है ।

पशुधन विकास अधिकारी, बाराबंकी के पुत्र का दवा का कारखाना

*5--श्री श्यामलाल वाजपेयी (अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मन्त्री को पता है कि बाराबंकी सदर के पशुधन विकास अधिकारी ने जिले के बंकी कस्बे में कोई दवा बनाने का कारखाना अपने पुत्र के नाम खोल रखा है और क्या उत्तर प्रदेश के अधिकांश पशु चिकित्सालयों में इसी कारखाने से दवा सप्लाई की जाती है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं, पशुधन विकास अधिकारी बाराबंकी ने जिले के बंकी कस्बे में कोई दवा बनाने का कारखाना अपने पुत्र के नाम से नहीं खोला है, बल्कि उनके

पुत्र जो वयस्क है, ने एक दवा बनाने का कारखाना खोल रखा है । यह कारखाना उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित नौ संस्थाओं में से एक है। अन्य संस्थाओं के साथ-साथ इस कारखाने से भी दवायें क्रय की गई हैं ।

प्रदेश में मन्डी समिति के बैरियर्स पर लिया जाने वाला कथित मन्डी शुल्क

*6--श्री मोती लाल देहलवी (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री को यह जानकारी है कि मन्डी टैक्स राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित मन्डी समिति के बैरियर्स और मन्डी में माल बिकने के समय वसूल कर एक ही टैक्स दो बार किसानों से वसूला जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनुचित व्यवस्था को समाप्त कर दोहरी वसूलयाबी बन्द करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

किसानों से कोई मन्डी शुल्क वसूल नहीं किया जाता ।

विदेशी दूध और घी की आपूर्ति

*7--श्री राम स्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी दूध और घी मिलने के आधार पर दुग्ध की आपूर्ति जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में की जाती है उस आपूर्ति को प्रदेश के ही किसानों द्वारा दूध उत्पादन से पूरी करके कब तक विदेशी दूध घी को लेना बन्द करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में दुग्ध की आपूर्ति केवल विदेशी दूध और घी की उपलब्धि के आधार पर नहीं की जाती है । प्रदेश में इसका इस्तेमाल कुल वितरित दूध की मात्रा का आंशिक ही है ।

प्रदेश में पशुपालकों द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये अच्छी नस्लों के सांड़ों को विभिन्न जनपदों में उपलब्ध करवाकर कृत्रिम गर्भाधान योजना के साथ-साथ संतुलित आहार, पशुचिकित्सा कार्यक्रम तथा अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं की खरीद के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम भी प्रदेश में चलाने का निर्णय लिया जा रहा है । इस योजना के लक्ष्य के अनुसार 1985 तक देश में दुग्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति 144 ग्राम प्रति दिन हो जायेगा, जब कि प्रति व्यक्ति दूध की आवश्यकता औसतन 180 ग्राम प्रति व्यक्ति आंकी गयी है । अतः अवशेष कमी को पूरा करने के लिए कदाचित विदेशों से बटर आयल तथा दुग्ध चूर्ण लेना पड़ सकता है । यह आशा की जाती है कि आपरेशन फ्लड-2 प्रोग्राम के सफल संचालन से अगले 10 वर्षों में दूध की यह कमी पूरी हो सकेगी ।

देवरिया जिले में कृषि विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति

*8--श्री हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विशेष सचिव, कृषि विभाग शासन लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 17 मई, 1978 के अधीन समस्त जिलाधिकारियों से जानकारी चाही थी कि छटनीशुदा कर्मचारियों में कितनों की नियुक्ति की गयी

तथा कितने शेष हैं और उनको रखने की कौन-सी व्यवस्था की जा रही है। यदि हां, तो क्या इस पर जिलाधिकारी, देवरिया ने कोई कार्यवाही की। यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री सीताराम निषाद--

जी, हां।

शासकीय पत्र दिनांक 17-5-1978 के अनुपालन में जिलाधिकारी, देवरिया ने मई, 1979 तक 73 अमीन तथा 59 चपरासियों को क्रमशः सामायिक संग्रह अमीन तथा चपरासियों के पद पर तथा 12 अमीन 5 चपरासियों को पूर्ण वर्ष कालिक स्थान पर लगाया था।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि देवरिया जनपद में अब तक कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पायी है ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, इस वर्तमान समय में अमीन 34 और चपरासी 38 सामयिक काम पर लगा दिये गये हैं और संख्या कितनी है, वह उपलब्ध नहीं है।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि आप मेरी सूचना को सही मानकर कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत जो आदेश गया है, उसका पालन नहीं हो रहा है बल्कि बाहर से लोगों की नियुक्ति की जा रही है, छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, जिस शासनादेश के अन्तर्गत यह नियुक्तियां होने का आदेश था, वह जुलाई में समाप्त हो चुका है। अब शासन पुनः उस पर विचार कर रहा है और जैसे ही कार्मिक से वह आयेगा, पुनः जिलाधीशों को लिख दिया जायगा।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो छटनीशुदा कर्मचारी लगाये गये थे, इस प्रश्न के अन्तर्गत, उनमें से हरिजन और बैकवर्ड कितने हैं।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, यह सूचना नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न के अन्तर्गत हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेस की बड़ी भारी उपेक्षा हो रही है। इसलिये क्या मन्त्री जी इस प्रश्न के संदर्भ में इस तरह के आदेश देंगे कि जो उनका निर्धारित रिजर्वेशन है उसको पूरा किया जाय ?

श्री सीताराम निषाद--

नियुक्तियों के समय इस पर जरूर विचार किया जायेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि अब तक छटनीशुदा जिला स्तर के कर्मचारी हैं, उसमें हरिजनों का कोटा पूरा है कि नहीं ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, इसके लिये अलग से प्रश्न करने की जरूरत है ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पहले तो इन कर्मचारियों की छटनी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी । दूसरी बात यह कि किस-किस पद के कर्मचारी थे ।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, शासन द्वारा जो सितम्बर, 1975 में निर्णय लिया गया था उसके अनुसार 3,578 अमीन और 4,245 चपरासी थे, जिनकी सेवायें एक महीने की नोटिस के बदले वेतन देकर समाप्त की गयी थीं ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने बताया उसके अनुसार अमीन और चपरासियों की छटनी हुई है और बाबू कोई नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन की नीति के अनुसार क्या इन कर्मचारियों को फिर से रखा जायेगा या अधिकारियों की भी छटनी की जायेगी ।

श्री सीताराम निषाद--

इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अधिकारियों की छटनी पर विचार हो रहा है या उनको रखने पर विचार हो रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

विचार की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ।

श्री सीताराम निषाद--

जिनकी छटनी हुई थी उनको रखने पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो हटा दिये गये थे, इसके बारे में प्रश्न किया गया था तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उनके बारे में विचार किया जा रहा है और उनको रख लिया जायेगा, तो जौनपुर में 28 ऐसे अमीन और चपरासी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिये क्या पुनः जिलाधिकारी को आदेश देंगे कि उनको स्थान दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--]

आपने मालूम होता है, प्रश्न का उत्तर नहीं सुना इन्होंने कहा कि जो शासन देश हुआ था वह जुलाई में समाप्त हो गया है। अभी उस पर विचार चल रहा है। जैसे ही कार्मिक से आ जायेगा शासनादेश जिलाधिकारियों को दे दिया जायेगा।

श्री जंग बहादुर--

हमारे मंत्री जी ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था।

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

हरदोई जिले के सन्डोला में चल चित्र निगम द्वारा सिनेमा गृह का निर्माण

*9--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम ने सण्डोला जनपद हरदोई में एक सिनेमा गृह बनाने का निश्चय किया है जहां पहले से ही निजी क्षेत्र में एक सिनेमा भवन का निर्माण हो रहा है? क्या उक्त विषय पर विभिन्न विधायकों द्वारा वर्ष 1980 में ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सण्डोला जसे कस्बे में दो सिनेमा गृहों का लाभ पा चलना सम्भव न हो सकेगा, अतः चलचित्र निगम द्वारा हरदोई जिले में ही किसी अन्य स्थान पर जहां सिनेमा की सुविधा निजी क्षेत्र में उपलब्ध न हो सिनेमा का निर्माण कराया जाय? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी--

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम संडोला में सिनेमा गृह का निर्माण करा रहा है, पर निजी क्षेत्रों में दूसरे सिनेमा घर के बनने की बात उस समय (1980 में) उठी जबकि चलचित्र निगम ने संडोला में अपने सिनेमा घर के निर्माण का प्रस्ताव सम्बन्धित जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था।

सन् 1980 में कतिपय विधायकों से उल्लेखगत आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। पर केवल निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को लाभ देने के लिए उ0 प्र0 चलचित्र निगम ने अपनी पूर्वनिर्धारित योजना को वहां समाप्त करना उचित नहीं समझा।

जहां तक हरदोई जनपद में अन्यत्र सिनेमाघर बनवाने का प्रश्न है, चलचित्र निगम द्वारा संडीला के अतिरिक्त पिहानी, बिलग्राम और मल्लावां में भी सिनेमा घरों के निर्माण की कार्यवाई हो रही है।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया कि केवल निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को लाभ दिये जाने के लिये उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम ने अपने पूर्व निर्धारित योजना को समाप्त करना उचित नहीं समझा। मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है। निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को लाभ दिये जाने का प्रश्न नहीं है। चलचित्र निगम एक पब्लिक अन्डरटेकिंग है। निजी क्षेत्र में जब सिनेमा बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो यहां पर चल चित्र निगम को पैसा लगाकर क्या सरकारी पैसे को कायम रखा जा सकता है? प्रश्न चलचित्र निगम के पैसे को हानि का है मंत्री जी इसको दूसरी तरफ न मोड़ें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने विधान परिषद् में एक घोषणा की थी कि समान्यतः चलचित्र निगम उस स्थल को चुनती है जहां निजीक्षेत्र में पहले से कोई रुचि नहीं होती है । संडीला में निजी क्षेत्र में सिनेमा बन रहा था, वहां चलचित्र निगम ने शुरू कर दिया । क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1980 में कतिपय विधायकों ने संस्तुति की थी, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कतिपय विधायक कौन हैं और उन्होंने क्या संस्तुति की है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक नीति सम्बन्धी बातों का प्रश्न है जो बात कही गई है वह सामान्यतः कही गई है । जो सिनेमा चलचित्र निगम द्वारा बनाया जा रहा है, उसकी कार्यवाही 16-6-79 को शुरू की गई थी, उसमें उस समय कोई प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट विजनेस मैन का कोई प्रस्ताव नहीं था, जिन विधायकों ने सिफारिश की थी वह हैं श्री लक्ष्मी सहाय सक्सेना, श्री राम बहादुर, श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, लेजिस्लेचर आफ कौंसिल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री संजय सिंह जी, श्री के0 एल0 महेन्द्र । इन्होंने संस्तुति की थी कि चूंकि वहां एक सिनेमा बन रहा है, इसलिये चलचित्र निगम न बनाये । लेकिन यह सारी प्रक्रिया 16-6-79 को चलचित्र निगम द्वारा शुरु की गई थी और सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी, साइट सेलेक्शन हुआ था सारी चीजें तैयार थी, उसी समय एक प्राइवेट पार्टी ने प्रतिभा सिनेमा जिसका है, इन्होंने एप्लाई किया कि उनको इजाजत दी जाय और डी0 एम0 ने इजाजत दे भी दिया । चलचित्र निगम बनाने की कार्यवाही शुरू कर चुका था । इस तरह से किसी भी सरकारी पब्लिक सेक्टर में कोई योजना शुरू की जाती है, तो उस योजना को पब्लिक सेक्टर से जनहित में विदड्रा करना मुनासिब नहीं होगा । बल्कि मैं तो समझता हूं कि वहां पर जब कम्पटीशन होगा, तो उसमें ज्यादा इफीशियेंशी का इमकान है ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेआला, मैंने भी एक खत लिखा था कि चूंकि वहां एक निजी सिनेमाघर बनने लग गया है, तो इसलिये सरकार इस बात पर विचार करे कि चलचित्र निगम किसी और चीज के लिये संडीला में रुपया खर्च करे तो ज्यादा अच्छा हो, यह मैंने लिखा था । दूसरी बात मैं जानना चाहती हूं कि क्यों गवर्नमेंट ने निजी सिनेमा वाले को इजाजत दी जबकि चलचित्र निगम की एक स्कीम चल रही थी । संडीला ऐसी जगह नहीं है जहां पर दो सिनेमा चल सकें, तो प्राइवेट वाले को क्यों इजाजत दे दी गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जिलाधिकारी पर किसी प्रकार की ऐसी रोक नहीं है, कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि एक ही सिनेमा बनाने की इजाजत दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष

इस सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक दूसरी बात का सवाल है, पब्लिक सेक्टर में कोई चीज बनवायी जा रही है, तो उस पर रोक लगायी जाय और प्राइवेट सेक्टर में बनवाया जाय, तो जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था वह बहुत अच्छा दिया था कि उसमें रीडिंग रूम, लाइब्रेरी बनवा दी जाय। लेकिन हमें खेद है, चल चित्र निगम का एक लक्ष्य है, एक नीति है, जो इमारतें बनवायी जाती हैं, वह एक खास काम के लिये बनायी जाती हैं। इसमें माननीय सदस्यों की जो आज्ञा है उसका पालन करने में हम लोग असमर्थ हैं।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेआला, मेरा सवाल है कि चलचित्र निगम की एक स्कीम है, वह यह है कि कस्बे के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन का मौका मिले और वह अपना जीवन बेहतर बना सकें। सरकार ने एक स्कीम बनायी थी। सन् 80 में चलचित्र निगम को वहां पर जमीन मिली और उन्होंने बनाना शुरू किया। इस-लिये मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार समझती है कि दो सिनेमाघर एक छोटी सी जगह में चल सकेंगे जिसकी आबादी 20 हजार है। क्या वहां 2 सिनेमाघर चलना मुनासिब है। क्या सरकार अपनी नीति को बदल नहीं सकती है कि एक जगह पर दो सिनेमा न हों ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि 16-6-79 को उनकी योजना शुरू की गयी जमीन बाद में ली गयी। मैं तो समझता था कि पब्लिक सेक्टर में अगर कोई चीज लग रही है, तो उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए और उसके द्वारा कार्य हो।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह था कि पब्लिक सेक्टर में आप बना रहे हैं तो बनावें लेकिन दूसरा लाइसेन्स जो दे दिया गया है, उसको रद्द क्यों नहीं किया गया ? उनके कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी आबादी में क्या सिनेमा चल सकते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया, इमारत बन चुकी है उस वक्त निरस्त करना मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं हो सकता।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले अगर वहां प्राइवेट वाली पार्टी को लाइसेन्स दे दिया, तो किन अधिकारियों ने चलचित्र निगम वाली स्कीम को एप्रूव करा दिया ? क्या विशेष परिस्थितियों में उन्होंने सिनेमा बनाने की इजाजत दी। अगर चलचित्र निगम ने वहां पहले बनाना शुरू कर दिया, तो किसके दबाव में आकर प्राइवेट वाले को परमीशन दी गयी। इन दोनों चीजों में क्या आप उचित जांच कराकर कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि चलचित्र निगम ने योजना पहले प्रस्तुत की थी। दूसरा जो प्रश्न माननीय रियासत हुसैन ने बताया उसकी जांच करायी जायगी।

फर्रुखाबाद जिले में पंचायत सेवकों के चयन के सम्बन्ध में की गई जांच

*10--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में वर्ष 1978-79 में हुए पंचायत सेवकों के चुनाव में गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतों में जांच हुई ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच की और जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) ने की । जांच के आधार पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर अनियमितता का मामला है, जिसमें पंचायत सेवकों के चुनाव 1978-79 में हुए, जिनमें अनेकों आरोप ऐसे भी थे कि जो लोग लिखित इम्तिहान में नहीं बैठे और उनको नियुक्ति दे दी गई । जांच में किन-किन आरोपों को सही पाया गया । यह जांच अतिरिक्त जिला अधिकारी परियोजना ने की । तो यह जांच रिपोर्ट शासन को कब दी गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, दिये गये तथ्य ऐसे थे, जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी । पूरी जानकारी उसकी मंगाई गई है । इसके अतिरिक्त सदन को यह आश्वासन देकर आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी दोषी अधिकारी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण मंगाने की बात कही है तो मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत से अधिकारी इसमें फंसे हुए हैं, क्या इसलिए इस मामले को देर करके दबाया जा रहा है । अगर ऐसा नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? ताकि इस तरह की अनियमितता फिर न हो सके ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जांच के उपरान्त पूरी कार्यवाही शीघ्र की जायेगी और मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्य पूर्णतया सन्तुष्ट रहेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, ए0 डी0 एम0, परियोजना द्वारा जांच कराई जा रही है । जबकि ए0 डी0 एम0 स्वयं उस चयन समिति का एक सदस्य होता है । इस प्रकार वह स्वयं वहां हुई अनियमितताओं में शामिल है, तो इस तरह उसी सदस्य से ऐसे मामलों की जांच कराना कहां तक उचित है ? इसका औचित्य बताने की कृपा

करें और दूसरी बात यह है कि क्या माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव को मानते हुए कि किसी अन्य अधिकारी द्वारा या कमिश्नर द्वारा इस मामले की जांच कराने की कृपा करें ताकि निष्पक्षता से जांच हो सके ।

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक चयन समिति के सदस्यों का प्रश्न है, उस समिति में ए0 डी0 एम0, परियोजना नहीं आते । उसमें अन्य अधिकारी और अतिरिक्त डी0 पी0 आर0 ओ0 आदि हैं और एक बात और अर्ज कर दूं कि यदि प्रश्नकर्ता उस जांच से सन्तुष्ट नहीं होंगे तो जाच किसी दूसरे अधिकारी द्वारा करा दी जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यहां पर व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि जब प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट नहीं होंगे, तो जांच फिर करा दी जायेगी । जब मान्यवर, प्रश्न सदन में आ गया तो वह प्रश्न सदन की प्रापर्टी बन गया, उस पर प्रश्नकर्ता का ही हक नहीं रहा बल्कि हर माननीय सदस्य उसका बराबर का अधिकारी हो जाता है । इस पर मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं दूसरे मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या यह जांच किसी अन्य अधिकारी द्वारा अथवा कमिश्नर द्वारा कराई जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

जांच ए0 डी0 एम0, प्रोजेक्ट द्वारा कराई जा रही है । आपने यह कहा कि चयन समिति के ए0 डी0 एम0, प्रोजेक्ट सदस्य हैं, इसलिए जांच उनके द्वारा निष्पक्ष नहीं होगी । तब माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने बताया और उन अधिकारियों के नाम गिनवाये कि कौन-कौन उस समिति के सदस्य हैं और ए0 डी0 एम0, प्रोजेक्ट का नाम उसमें नहीं है । ए0 डी0 एम0 (प्रोजेक्ट) उस चयन समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा जांच होने में कोई आपत्ति नहीं । उसका उत्तरार्थ यह था कि अगर प्रश्नकर्ता उनकी जांच के बाद भी सन्तुष्ट नहीं होंगे, तो दूसरी जांच करा ली जायेगी । इसलिए इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि क्या जब कोई प्रश्न सदन की प्रापर्टी बन गया, तो उसके बारे में प्रश्नकर्ता का ही सन्तुष्ट होना आवश्यक है या सदन के अन्दर अन्य सदस्यों का भी सन्तुष्ट होना आवश्यक है ? मान्यवर, जब वह सदन की प्रापर्टी बन गया है, तो हमारा अधिकार है कि पूरा सदन सन्तुष्ट हो ।

मान्यवर, इसमें देखें कि एक अधिकारी ए0 डी0 एम0 (पी) इक्वल रैंक का है । दूसरा अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर उससे उच्च अधिकारी है । तो उच्च अधिकारी जहां शामिल हो, उसकी जांच उसके निम्न अधिकारी द्वारा कराई जाय, यह उचित नहीं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मुख्य प्रश्नकर्ता विमल प्रसाद तिवारी जी हैं । लेकिन अब प्रश्नकर्ता माननीय राम आसरे वर्मा भी हैं । अगर वह भी सन्तुष्ट नहीं हुए, तो और जांच, मान्यवर, करा दी जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह देखते हुये कि जब माननीय मंत्री जी ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि अनियमितता हुई है, ए० डी० एम० (पी) जो बराबर का और नीचे का अधिकारी है, तो वह कैसे जांच करेंगे ? इसलिये सही रूप सामने आ जाय और अनियमितता दूर हो जाय, तो माननीय मंत्री जी को कमिश्नर से इन्क्वारी कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो तथ्य सामने आये हैं, उससे माननीय सदस्य को भी सूचित करेंगे कि जो इन्क्वायरी हो रही है, वह सन्तोषजनक है तो उसमें, मान्यवर, किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न संख्या 11 (नत्थी ख)

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, जो पिछला प्रश्न है, उसमें असली मुद्दा तो छूट ही गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

असली मुद्दा अभी लाता हूं । आप कृपया बैठें ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, उसमें अनियमितता हुई है जिसके बारे में कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना आज्ञा बोल रहे हैं और मैंने अगला प्रश्न ले लिया है । कृपया बैठ जायं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, कहना चाहता था ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जब मेरा प्रश्न हुआ करे, तो कम से कम एक सप्लीमेन्ट्री माननीय जसवन्त सिंह को दे दिया करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके निवेदन को स्वीकार करेंगे । अब की बार जरूर मौका देंगे ।

सूचना विभाग में निरीक्षक-अनुवादक एवं उद्घोषक के पद पर नियुक्ति

*11--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1980 के पहले पखवारे में उनको यह शिकायत मिली थी कि सूचना विभाग के एक अधिकारी के बेटे को गलत ढंग से अगस्त, 1979 से संरक्षक की जगह से निरीक्षक अनुवाद के जगह पर पदोन्नति दे दी गयी और दूसरे बेटे को शैक्षिक योग्यता की कमी के

बावजूद उद्घोषक की जगह पर नियुक्ति कर दी गयी। यदि हां, तो क्या इस शिकायत पर कोई कार्यवाही की गयी, यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। सितम्बर, 1980 के प्रथम पखवारे में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के बाद निरीक्षक-अनुवादकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो अनियमितताएं पाई गईं उसके अनुसार तीन नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं।

जहां तक अद्घोषक के पद पर नियुक्ति का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं हुई, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, प्रश्न संख्या 11 के सम्बन्ध में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जांच के बाद निरीक्षक, अनुवाद की नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो अनियमितताये पायीं गयी, उसके अनुसार 3 नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है तो, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी द्वारा प्रोन्नति के आधार पर संरक्षक को निरीक्षक, अनुवाद के पद पर प्रोन्नति दे दी गयी है और दूसरे को उद्घोषक की जगह पर नियुक्त कर दिया गया है, तो उस अधिकारी का नाम क्या है और ओहदा क्या है ?

मान्यवर, इसी में दूसरा प्रश्न है कि इस अधिकारी के खिलाफ इस अनियमितता करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो पहला प्रश्न है, उसके बारे में मान्यवर, निवेदन है कि उस अधिकारी का नाम आनंद शर्मा है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय त्रिवेणी राय जी जब उत्तर हो रहा हो, उस समय पीछे बात होगी, तो व्यवधान होगा।

श्री त्रिवेणी--

मान्यवर, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कुछ नहीं कहते तो इतना अवरोध हो रहा है और अगर बोलते तो बैठना मुश्किल हो जाता।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने बताया उस अधिकारी का नाम आनंद शर्मा है और दूसरे प्रश्न को सुन नहीं पाया।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

उनका ओहदा क्या है और जो गड़बड़ी की गई है उसके सिलसिले में क्या कर्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

उनको चेतावनी दे दी गई है, इस सिलसिले में ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं जानना चाहता हूं कि जो तीन नियुक्तियां निरस्त की गई हैं उनमें कौन-कौन से लोग हैं और क्या उनमें से कोई इस विभाग के अधिकारी का लड़का भी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री दीपक प्रसाद शर्मा, श्री कृष्ण शर्मा और श्री पूरन चन्द, ये तीन व्यक्ति हैं जिनको अलग कर दिया गया है । श्री दीपक प्रसाद शर्मा देव दत्त शर्मा के लड़के हैं ।

सुल्तानपुर जिले के नियोजन विभाग में लिपिकों की नियुक्ति

*12--श्री मुईद अहमद (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि सुल्तानपुर जनपद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (रिट संख्या 3401-1979 पर) के बावजूद छ लोगों को सीधी नियुक्ति नियोजन विभाग में तृतीय श्रेणी के लिपिकों के पद पर हुई है जबकि इन छ लोगों का नाम सेवा योजन कार्यालय द्वारा नहीं आया था ? यदि ऐसा अधिकारियों ने किया है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

कनिष्ट लिपिकों के 6 रिक्त पदों की पूर्तिशासकीय विज्ञप्ति संख्या 27/2/2974/पर्सनल-1-2 दिनांक 11-10-79 में दिये गये निदेशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चयन समिति का निर्माण कर दिनांक 20-12-79 को की गई थी इसके पश्चात् माह फरवरी, 1980 में जिला सेवायोजन कार्यालय सुल्तानपुर ने सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त शासकीय विज्ञप्ति के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है ।

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे गये थे साथ ही सीधे प्राप्त प्रार्थना पत्रों को सम्मिलित कर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था चयन समिति ने सेवायोजन कार्यालय से आये अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानीय निकायों के मतदाताओं की आयु सीमा

*13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे की ग्रामीण क्षेत्रीय स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से पुनः 21 वर्ष किए जाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

*14--श्री अकबाल हुसैन--

[25वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सीड स्टोर इंचार्जों की सेवा-समाप्ति

*15--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग में वर्ष 1976-77 में कितने सीड स्टोर इंचार्जों की सेवाएं समाप्त कर दी गई ? सेवा समाप्ति का आधार क्या रहा ? क्या ऐसे कर्मचारियों की भी सेवाएं समाप्त कर दीं गई जिनके सेवा सम्बन्धी मामले न्यायालय में विचाराधीन थे ?

श्री सीताराम निषाद--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी, एक क्षमा आपसे चाहूंगा। आपने कहा था कि बिष्ट जी को जरूर बोलने का मौका दिया जाये लेकिन बिष्ट जी नजर ही नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको मौका नहीं दिया जा सका ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैंने यह सवाल पिछले सेशन में दिया था, तब नहीं आया, इस सेशन में पुनः पुनर्जीवित किया । इसमें कुछ नहीं है । कृषि विभाग से सूचना लेनी थी कि 1976-77 में कितनों की नौकरी खतम कर दी गई और कितने मुकदमें चल रहे हैं ? मैं आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप माइक से थोड़ा हटकर बोलें।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं कहना चाहता हूं कि बलिया के कृषि अधिकारी की जीप नीलाम पर चढ़ी थी पैसा न देने के कारण ट्राइब्यूनल कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 27 तारीख को उनका जो बजट है 505 कैपिटल आउट ले वाला वह 27 तारीख को इसी मार्च को बलिया न्यायालय में...

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं चाहता हूं कि बड़ा गम्भीर मामला है । आप जवाब दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

किस चीज का ?

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं चाहता हूं कि वह नीलाम पर न चढ़े ...

श्री उपाध्यक्ष--

नियम के अन्तर्गत 15 दिन के अन्दर जवाब देना होता है ।

[श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि 27 मार्च को कृषि विभाग का जो पैसा है वह...

श्री नन्द किशोर सिंह--

जितने कर्मचारियों से सम्बन्धित मामला है उन्होंने न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल किया है । 27 तारीख को...

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपका प्रश्न इसी प्रश्न के सन्दर्भ में है ?

श्री हरिवंश सहाय--

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या दोनों साथ ही प्रश्न करेंगे ? आप सूत्र बोल रहे हैं और यह भाष्य कर रहे हैं ।

(हंसी)

ग्राम सेवकों का साइकिल भत्ता

*16--श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सेवकों को इस घोरतम महंगाई के समय में भी केवल 20 रु0 मासिक साइकिल भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार इस भत्ता को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

ग्राम सेवकों को मैदानी क्षेत्र में 20 रु0 तथा पहाड़ी क्षेत्र में 25 रु0 मासिक निश्चित यात्रा भत्ता दिया जाता है । इस भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

*17--श्री गुलाब सेहरा--

[29वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन द्वारा श्री पूरन चन्द्र भट्ट को दी गयी दूध की एजेन्सी

*18--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन में नवम्बबर, 1971 से लेकर मार्च, 1975 तक श्री पूरन चन्द्र भट्ट को सरस्वती शिश

मंदिर डिपो, निरालानगर, लखनऊ में दूध की एजेन्सी दी थी ? क्या श्री भट्ट को डिपो की एजेन्सी देने से पहले या कभी बाद दुग्ध संघ को इसकी जानकारी मिली थी कि श्री भट्ट रक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय कर्मचारी हैं और वह एजेन्सी लेने के अधिकारी नहीं हैं ? क्या उन पर यूनियन की कुछ धनराशि बकाया है ? यदि नहीं, तो उनकी एजेन्सी को निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री सीताराम निषाद--

जी हां ।

श्री पूरन चन्द्र भट्ट की सरकारी सेवा में नियुक्ति होने के सम्बन्ध में लखनऊ दुग्ध संघ को कोई जानकारी नहीं थी । श्री भट्ट पर दुग्धसंघ की कुल 487.31 रु0 की धनराशि बकाया होने के कारण उनकी एजेंसी निरस्त कर दी गई ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971 से 75 तक उनके पास एजेंसी रही तो यह जानकारी कब मंत्री जी के पास आयी कि यह सरकारी नौकरी में हैं और इनको एजेंसी नहीं मिलनी चाहिए ? निरस्त किस तारीख को की गई और इसके साथ ही साथ उनको कब मालूम हुआ कि उन पर 487 रुपये 31 पैसे बकाया भी हैं ? अगर तुरन्त एक्शन नहीं लिया गया तो क्यों ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, यह जानकारी होने पर कि 487.31 रु0 का बकाया है मार्च सन् 1975 में इनकी एजेंसी निरस्त की गई है ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे सवाल का जवाब यह नहीं हुआ । आपने कहा कि मार्च, 1975 में एजेंसी निरस्त कर दी गई । मेरा सवाल यह है कि उनकी जानकारी में यह कब आया कि यह नियमानुसार एजेंसी नहीं है और यह जानकारी में आने के कितने समय बाद इस पर कार्यवाही की गई ? तुरन्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस बात की जानकारी तो तभी हुई जब माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया । मैं आज भी नहीं कह सकता । जो माननीय सदस्य की सूचना है उसी के आधार पर यह समझा जा सकता है । एजेन्सी निरस्त करने की जो बात है वह उनके ऊपर जो बकाया था, इसलिए खत्म कर दी गई थी ।

फैजाबाद जिले के ग्राम रसूलपुर छिपरा में हरिजन कालोनी का निर्माण

*19--श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम रसूलपुर छिपरा में हरिजन आबादी गत वर्ष बनना मंजूर हुई थी जिसमें कुछ मकान पूरे बन थे और कुछ अधूरे, उनमें कुछ बने मकान गिर भी गए हैं और उनका पूरा खर्च विकास खंड अधिकारी द्वारा निकाल कर ले लिया है और फर्जी खर्चा दिखा दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

विकास खंड अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के ग्राम रसूलपुर छिपरा में वर्ष 1979-80 में निर्बल वर्ग आवास के लिए 26 मकान बनाया जाना प्रस्तावित था. जिसके विपरीत 21 भवन पूरे बने थे, 3 भवन अधूरे 1 शेष 2 भवनों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 1981 तक पूर्ण कराने के लिए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं ।

उपरोक्त पूर्ण निर्मित 21 भवनों में से अति वृष्टि एवं मझुई नदी की बाढ़ से 9 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त तथा 2 पूर्णतः ध्वस्त हो गए, शेष की दीवारों में यत्र-तत्र दरारें पड़ गयी हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि अधूरे मकानों को पूर्ण बना दिखाकर उनका खर्चा निकाल लिया गया हो, फिर भी जिलाधिकारी फैजाबाद को मामले की शीघ्र जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि 21 में से 3 भवन अधूरे थे, तो यदि यह अधूरे हैं जैसा आपने स्वीकार किया है तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह अधूरे क्यों रह गए थे ? क्या पैसा नहीं रह गया था या कोई और वजह थी ? दूसरी बात यह कि शेष 2 भवनों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 1981 तक पूर्ण कराने के लिए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दे दिए गये हैं तो जब 3 भवन अधूरे थे तो तीनों को क्यों नहीं दिया गया ? तीसरी बात जो मझुई नदी की बाढ़ और अतिवृष्टि से 9 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त तथा 2 पूर्णतः ध्वस्त हो गये, यह कहना सर्वथा असत्य है क्योंकि इसका प्रभाव इस गांव की आबादी पर पड़ा है और यह हरिजन आबादी है और काफी दूर पर है इसलिए भी यह कहना असत्य है । आपके अधूरे मकान जिनका वाउचर बनाया गया मेरा यह आरोप है कि इनका फर्जी वाउचर बनाया गया और जिनसे खपड़ा, लकड़ी आदि लिया गया उनका पेमेन्ट नहीं किया गया और फर्जी वाउचर पर बी० डी० ओ० ने पेमेन्ट ले लिया है । क्या इन सारी बातों की जांच आप कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, पहला प्रश्न यह था कि 3 मकान अधूरे क्यों रह गये ? उसके लिए उनको वार्निंग भी दी गई है । दूसरा उनका जो यह स्पष्ट आरोप है कि वह अधूरा मकान जो है बना नहीं है, मैं, चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक प्रश्न और था उनका । आपने केवल दो मकानों को पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, तीन मकान बनाने जा रहे हैं । दो बिल्कुल नहीं बने हैं । उनको बनाने के आदेश दे दिये हैं कि वे बनाये जायं ।

श्री जियाराम शुक्ल विकल, 'साकेती'--

मान्यवर, मेरे चुनाव क्षेत्र के ब्लाक कटहेरी मरहुआ बाजार में कुछ हरिजन कालोनियां बनी हैं, न उसके लिये लकड़ी दी गयी न और सामान दिया गया। इनके विभाग ने कह दिया कि कालोनी बनी ही नहीं। उसके भवनावशेष आज भी विराजमान हैं। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कालोनियां का निरीक्षण कर जांच करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे तथा दोषी अधिकारियों को सजा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न तो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह तो स्पेसिफिक गांव से सम्बन्धित था और आपने अपना प्रश्न दूसरे से सम्बन्धित कर दिया।

श्री रियासत हुसेन--

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि यह एक गांव के ही हरिजन कालोनी से सम्बन्धित है और ब्लाक के ही बी0 डी0 ओ0 द्वारा घोटाला किया गया, आपने डी0 एम0 को इनक्वायरी के लिये मामले को दे दिया यह देखते हुये कि डी0 एम0 इसको प्रोलांग कर सकते हैं, क्या डी0 एम0 से अन्तरिम रिपोर्ट एक हफ्ते के अन्दर मंगाकर अथवा उनसे यह आग्रह करके कि कमप्लीट इनक्वायरी रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर दें ताकि आप उचित कार्यवाही कर सकें, इस प्रकार के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक हफ्ता कहा था लेकिन बाद में स्वयं ही 15 दिन कह दिया। 15 दिन के अन्दर में इसकी रिपोर्ट मंगवा लूंगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने भी ये प्रश्न माननीय सदस्य करते हैं सरकार की ओर से रिपोर्ट मांगी जाती है उन्हीं लोगों से जो अनियमितता बरतते हैं और माननीय मंत्री जी उसी रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं। ऐसा मैं जब से आया हूं तब से बराबर देखता रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में जो ये अनियमितता के प्रश्न सदन में आते हैं क्या स्वयं वह जाकर उनको देखेंगे और अप रिपोर्ट सदन को देंगे ताकि सही चीज माननीय मंत्री जी के सामने आ सके सदन के सामने रखी जा सके।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी, आपही जायेंगे या माननीय विष्ट जी को भेजेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसमें माननीय विष्ट जी से आग्रह करूंगा और उनको फैजाबाद भेजूंगा कि वह स्वयं जाकर जांच करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

यह मजाक की बात नहीं है। आप भी देखते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी मेरा अपना जो अनुभव हुआ है उसके अनुसार माननीय सदस्य जब भी प्रश्न रखते

हैं सरकार के सामने, जितनी भी अनियमितता बरती जाती है क्षेत्र में या प्रदेश में वे रखते हैं और जिस विभाग से वे सम्बन्ध रखते हैं तो वही मंत्री जी उसी विभाग के अधिकारी से उसकी सूचना मांगते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर पटवारी के खिलाफ अगर कोई मामला है तो वहीं से रिपोर्ट मांगी जाती है डी0 एम0, ए0 डी0 एम0, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और वह पटवारी से कहता है कि तुम रिपोर्ट दे दो। फिर जिस व्यक्ति के ऊपर अनियमितता की शिकायत होती है वही व्यक्ति रिपोर्ट देता है। इससे देश और प्रदेश का बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहता था कि मंत्री जी इस बात को कहें कि जो अनियमितता की शिकायतें आती हैं उनको वे स्वयं ही, यदि सब की सब न सही फिर भी दो-चार जगहों पर जाकर उनको देखें और उसे सदन के पटल पर रखें कि असल बात यह है। हम सरकार पर विश्वास तो करते ही हैं। तो मान्यवर, इसका आप उत्तर दिला दें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इनका हाल वही है कि उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पर प्यार आता है। मान्यवर, जब किसी के खिलाफ कोई जांच होती है तो उसी अधिकारी के सुपुर्द वह जांच नहीं की जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई उदाहरण माननीय सदस्य दें जहां पर ऐसा किया गया हो कि उसी अधिकारी को जांच सौंपी गयी हो जिसके खिलाफ अनियमिततायें हों, तो उससे वह जांच हटाकर किसी दूसरी अधिकारी को सौंपी जायेंगी।

आदर्श कोल्ड स्टोरेज, बिसौली, बदायूं के सम्बन्ध में शिकायतें-प

*20--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श कोल्ड स्टोरेज, बिसौली, जनपद बदायूं के विरुद्ध भारी अनियमितताओं तथा उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज अधिनियम, 1976 का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में 29 अगस्त, 1980 को पत्र द्वारा श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी बिसौली की शिकायत शासन को (मन्त्री जी को) तथा उच्च अधिकारी को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सीताराम निषाद--

जी हां।

शिकायतों की जांच कराई गई, किन्तु मेसर्स आदर्श कोल्ड स्टोरेज, बिसौली के विरुद्ध कोई गंभीर मामला प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसी अधिकारी के जरिये कराई गई थी और क्या जांच अधिकारी शिकायतकर्त्ता से भेंट भी किए थे, अथवा नहीं?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, शिकायतों की जांच उप निदेशक उद्यान, बरेली द्वारा कराई गई थी। वे वहां गए भी थे और उनको इत्तला भी दी गई थी और साढ़े चार बजे

तक इन्सपेक्शन हाउस में उन्होंने इन्तजार भी किया लेकिन उन्होंने शिकायतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही कोई पुष्टि की ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतकर्त्ता हैं, उनके कहने के मुताबिक उन्हें कोई इत्तला नहीं मिली कि वे जांच करने के लिए वहां आये हुए हैं । वे वहां उन्हीं लोगों से मिले जिनके खिलाफ शिकायत थी । मैं चाहूंगा कि क्या उस जांच को दुबारा शिकायतकर्त्ता से भेंट करके कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जहां तक शिकायतकर्त्ता को सूचना देने का प्रश्न है उसको विधिवत सूचना दे दी गई थी । लेकिन माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो मैं अन्य किसी दूसरे उपनिदेशक को भेजकर इसकी जांच करा दूंगा ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह शिकायत किसकी है और उस पर प्रमुख रूप से आरोप क्या हैं ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, शिकायती-पत्र श्री रमाकांत मिश्र का है और उस पर कवरिंग लेटर मोहम्मद असरार अहमद, एम० पी० का है । मान्यवर, यह पांच पेज का है और इसमें विस्तृत रूप से आरोप लगाए गए हैं । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे कार्यालय में आकर इसको देख लें ।

श्री सूबेदार सिंह--

प्रमुख आरोप क्या हैं, यह बता दें ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, यह आरोप मेसर्स भोला नाथ ओम प्रकाश कृषि यंत्र निर्माण के सम्बन्ध में व मेसर्स शुगर वर्क्स, बिसौली, श्री प्रेम प्रकाश बिसौली का मेसर्स आदर्श कोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल्स के सम्बन्ध में है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपने सम्बन्ध बताया । आरोप क्या हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, आरोप खासतौर से इनके दो थे एक तो उनका कहना यह था कि जो आलू रखने आते हैं उनसे किराया ज्यादा लेते हैं । दूसरा यह था कि इन्होंने एक चैम्बर कंस्ट्रक्ट कराया था उसकी स्वीकृति और लाइसेंस नहीं लिया था ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी अधिकारियों की अध्यक्षता के अधीन समितियों में विधायकों की सदस्यता सम्बन्धी त्रिवेन्द्रम में हुये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का निर्णय

**1--श्री विद्यासागर नौटियाल--

त्रिवेन्द्रम में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के इस निर्णय को कि विधायकों को ऐसी शासकीय समितियों की सदस्यता स्वीकार नहीं करनी चाहिये जिसकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारियों के द्वारा की जाती हो और जिसकी सूचना उत्तर प्रदेश शासन संसदीय अनुभाग को सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या 3109/(167)/(सं0)-77, लखनऊ, दिनांक 20 जुलाई, 1978 द्वारा दी थी, के सन्दर्भ में क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकगण उक्त निर्देश का पालन करते हुए शासकीय समितियों में भाग लेने से सक्षम हो सकें, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कोई कदम अब तक उठाए गए हैं ? यदि नहीं उठाए गए, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1968 में त्रिवेन्द्रम में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की संस्तुति "विधायकों को किसी ऐसी समिति की सदस्यता स्वीकार नहीं करनी चाहिये जिसके अध्यक्ष कोई सरकारी अधिकारी हों" के सम्बन्ध में शासन द्वारा वर्ष 1974 में यह निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में कोई कठोर सिद्धान्त नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि ऐसी समितियां भी हो सकती हैं जिनके अध्यक्ष, टेक्निकल एक्सपर्ट्स अथवा प्रशासक को बनाना लाभदायक मालूम हो। अतएव, हर मामले में मेरिट के आधार पर निर्णय लेना होगा। बाद में विधान सभा सचिवालय के दिनांक 20 जुलाई, 1978 के पत्र पर भी शासन ने पुनर्विचार कर यह निर्णय लिया कि पूर्व में शासन द्वारा लिए गए मत में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, इस प्रश्न का सम्बन्ध माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से नहीं है बल्कि इस माननीय सदन की गरिमा से और इसके भविष्य से है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह जो पत्र उनको भेजा गया था, इस पर गौर करने के बाद यह बतायें कि यह फैसला इस सरकार ने इस प्रश्न के बाद लिया या नहीं ? जो शासन की ओर से उत्तर आया है, उसमें यह कहा गया है कि ऐसी समितियां भी हो सकती हैं जिनके अध्यक्ष टेक्निकल एक्सपर्ट्स अथवा प्रशासक को बनाना लाभदायक मालूम हो। माननीय अध्यक्ष ने 20 जुलाई, 1978 के अपने पत्र में यह कहा था कि "यदि ऐसी समिति में सरकारी अधिकारी के सभापति होने के सम्बन्ध में कोई विधि, नियम अथवा विनियम हो तो ऐसी विधि, नियम अथवा विनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिये कि यदि समिति में विधायक नियुक्त किया जाय, तो वह उसका सभापति हो सके।" अध्यक्ष ने अपने इस पत्र में यह भी लिखा कि "शासन के ग्राम विकास अनुभाग-5 द्वारा गठित की जाने वाली ग्राम सेवकों/ग्राम सेविकाओं की प्रतियोगिता के चयन हेतु निर्मायक समिति जिसके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, में विधान सभा के माननीय सदस्यों को समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने

के लिए अपनी अनुमति देते हुए माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपना यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार की समितियों में सभापति विधायक ही होने चाहिये, यदि वे इन समितियों के सदस्य हैं। विशेषज्ञ सदस्य रह सकते हैं और यह अपेक्षा की है कि इससे माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया जाय। तो वर्ष 1974 में शासन ने यह फैसला किया था कि विशेषज्ञों की अगर समिति होती है तो इसमें कोई कठोर सिद्धान्त नहीं अपनाया जा सकता। वर्ष 1978 में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन त्रिवेन्द्रम में हुआ और यह केवल अध्यक्ष जी का निर्णय नहीं है पीठासीन अधिकारियों का सामूहिक निर्णय है और इस निर्णय की हमको सूचना दी गयी जो हमारे लिए ब्रह्म रेखा है, जिससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं। सलाह के रूप में वर्ष 1978 में जब यह पत्र आया, तो इस पत्र पर पिछले शासन ने विचार किया और आपने तो नहीं किया। यदि इस शासन ने भी विचार किया तो किस तारीख को किया, यह बताने की कृपा करें और क्या शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि जिले में जितनी भी समितियां बनें उनमें विधायकों को अन्दर न जाने दिया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

20 जुलाई, 1978 के जिस पत्र को माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनाया उसकी प्रति मेरे सामने भी है। इस सम्बन्ध में ऐसा निर्णय तत्कालीन सरकार की मंत्रिपरिषद् ने 13-2-79 को लिया था, जिसमें जो पिछला फैसला था, जिसमें यह कहा गया था कि कुछ समितियां ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में हर बात का मेरिट के आधार पर परीक्षण हो और एक सिद्धान्त बनाना संभव नहीं है। उसका तत्कालीन फैसला बाकी रह गया।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इस प्रश्न के अन्दर एक तरफ तो इस सदन की मान मर्यादा का प्रश्न है और दूसरी तरफ हर माननीय सदस्यों के सम्मान का प्रश्न है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रिविलेज स्थान जो माननीय सदस्यों को यहां प्राप्त है, वही बाहर भी हों, कि जिलों में विकास आदि से सम्बन्धित जितनी भी समितियां हों उनकी अध्यक्षता अधिकारीगण न करके नान आफिशियल ही किया करें ? क्या ऐसा आदेश जारी करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक माननीय सदस्यों के सम्मान का प्रश्न है, उस पर मैं पूरी तरह से माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं। लेकिन निर्णय हर मामले में अलग-अलग करना होगा। कुछ दिन पहले जब बजट पर चर्चा चल रही थी तब माननीय सूबेदार सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया था कि राष्ट्रीय एकीकरण समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी न होकर किसी जन प्रतिनिधि को होना चाहिये, मैंने उसकी यहां पर घोषणा की थी, वह उनका अच्छा सुझाव था, स्वीकार किया गया, तो हर मामले में उसकी मेरिट के आधार पर निर्णय लेना होगा, सबके लिये समान आदेश कर देना ठीक नहीं होगा। कहीं-कहीं टेक्नीकल लोगों को ही उसमें रखना आवश्यक हो जाता है। ऐसा आदेश जनरल कर देने से उसमें रुकावट पड़ सकती है, इसलिये समान सिद्धान्त बनाना सम्भव नहीं होगा।

श्री रियासत हुसैन--

जो टेक्निकल कमेटियों की बात माननीय मंत्री जी ने कही, तो जो बिजली से सम्बन्धित या नलकूपों आदि से सम्बन्धित कमेटी होती हैं, उनका अध्यक्ष

जिलाधिकारी होता है जब कि वह नान टेक्निकल होता है, उस समिति का सचिव जरूर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर होता है, तो जब जिलाधिकारी हो सकता है, जो टेक्नीकल नो हाऊ नहीं जानता, तो एक जन प्रतिनिधि भी हो सकता है, इसलिए इसे मानने में क्या दिक्कत है ?

श्री अम्मार रिजवी--

दिक्कत का कोई प्रश्न, मान्यवर नहीं है । लेकिन हर मामले का परीक्षण अलग-अलग करना पड़ता है । अगर किसी कमेटी विशेष के बारे में माननीय सदस्य चाहते हों तो वे मुझे बता दें, उस पर विचार किया जा सकता है, सब के ये समान सिद्धान्त बनाना सम्भव नहीं होगा ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, आज सम्पूर्ण प्रदेश में जो स्थिति होती जा रही है, उसमें संसदीय मूल्यों का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है । जो माननीय मंत्री जी आदेश देते हैं, उनका भी सही रूप से पालन नहीं किया जाता । इसलिये क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश करेंगे कि जो भी समितियां हैं, उनकी अध्यक्षता नान आफिशियल ही किया करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक कि चुनौती को स्वीकार करने का सवाल है, माननीय सूबेदार सिंह का आशीर्वाद रहेगा । तो हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं ।

श्री गौरीशंकर, एडवोकेट--

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इस तरह की व्यवस्था करने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आप किसी कमेटी को बतायें, तो उसके ऊपर जरूर परीक्षण करवाया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय, संसदीय कार्य मंत्री, जैसा पूछा गया, आपको सिद्धान्तः स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस समय यह सम्भव नहीं है कि हर जगह पर जन प्रतिनिधि बना दिये जांय । अगर किसी विशेष कमेटी के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य का सुझाव आता है, तो उस पर विचार अवश्य किया जायगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, कौन सी वह परिस्थितियां हैं, क्या कारण है, कि उनमें यह व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, व्यवस्था तो सभी अच्छी हैं, लेकिन किसी एक विशेष कमेटी के लिए माननीय सदस्य बतायें तो अवश्य उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने सिद्धान्त की बात आप से पूछी ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक सिद्धान्त की बात है, वह यह है कि जिन कमेटियों में ज्यादा से ज्यादा सम्मानित सदस्य उसके अध्यक्ष रहें, उसके सम्बन्ध में एकदम से यह बात कह देना कि कोई दूसरा रहे नहीं, तो इस पर विचार करना होगा ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

यह कौन कह रहा है कि दूसरा सदस्य न रहे ।

श्री उपाध्यक्ष--

वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, वास्तविक स्थिति यह है कि और किसी एक विशेष कमेटी के लिए किसी माननीय सदस्य का सुझाव आता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अध्यक्ष के लिए मैंने कहा था ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो त्रिवेन्द्रम में आल इंडिया कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया, उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी आदेश देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं ?

(सहकारिता मंत्री जी के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सहकारिता मन्त्री जी, आप प्रश्न करना चाहते हैं कि उत्तर दे रहे हैं ।

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री बासुदेव सिंह)--

अभी न तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, न उत्तर दे रहा हूं । मैं चाहता हूं स्पष्टीकरण देना, क्योंकि मैं इस मामले में थोड़ी जानकारी रखता हूं । मैं यह बता दूं कि मैंने यह निर्णय लिया था कि जिन-जिन समितियों में माननीय सदस्य सदस्य हों, उन-उन समितियों की अध्यक्षता माननीय सदस्यों को करनी चाहिए । अगर

ऐसा नहीं होता है, तो, मैंने यह कहा था कि, माननीय सदस्यों को ऐसी समितियों में नहीं जाना चाहिए। मेरे मस्तिष्क में एक बात थी जो मैं निवेदित करना चाहता हूं, वह यह है कि अगर शासन को असुविधा हो और वह उन समितियों में जहां अधिकारी हैं वहां हमारे माननीय सदस्यों को अध्यक्ष बनाने में असमर्थ हैं तो उनकी उन कमेटियों में माननीय सदस्यों के नामितों को बैठने की इजाजत दे देना चाहिये।

श्री अम्मार रिजवी—

जो सहकारिता मन्त्री जी ने सुझाव दिया है कि उनके रिप्रेजेन्टेटिव्स उन कमेटीज में बुला लिये जायं उसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

क्या मंत्रि परिषद् के दो मंत्रियों की भिन्न राय हो सकती है जब कि दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं। एक सुझाव दे रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर नहीं दिया, सुझाव दिया था और उस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया। इसमें कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं हुआ किसी बात का।

(प्रश्नों का समय समाप्त।)

श्री रियासत हुसैन—

मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके प्रश्न का काफी उत्तर आ गया।

पशुधन विकास सहायक संघ की मांग

**2—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या पशुधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पशुधन विकास सहायक संघ उत्तर प्रदेश जो दिनांक 4-2-1981 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चल रहे हैं, की मांगों के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

पशुधन विकास सहायकों ने दिनांक 4-2-81 से हड़ताल नहीं की और न हड़ताल चल ही रही है।

पशुधन विकास सहायक संघ की मांगों से सम्बन्धित विवरण मेरे कक्ष में उपलब्ध है, जो देखा जा सकता है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

1—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले के गौरी बाजार बैतालपुर रामपुर कारखाना और देसही देवरिया विकास खण्डों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर सड़कें बनी हैं ? यदि हां, तो इसमें से कितनी सड़कें बना हैं ? यदि हां, तो इसमें से कितनी सड़कें गन्ना विकास की हैं जिस पर इस योजना द्वारा मिट्टी भरी गयी है ? यदि हां, तो क्या गन्ना विकास से अनुमति लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

इन विकास खंडों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 474·647 कि0 मी0 लम्बी 175 सड़कें बना हैं । इसमें 22 सड़कें गन्ना विभाग की हैं जिन पर मिट्टी का कार्य कराया गया है ।

गन्ना विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी । इसके लिये सम्बन्धित खंड विकास अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच करने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जायेगी ।

मेरठ जिले के मोदी पुरम में आलू के आटे की लगायी जाने वाली कथित फैक्ट्री

2—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने मेरठ जिले के मोदी पुरम में सार्वजनिक क्षेत्र में आलू का आटा बनाने की फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? क्या सरकार फर्रुखाबाद, कानपुर आदि आलू अधिक पैदा करने वाले जिलों में ऐसी फैक्टरियां सार्वजनिक क्षेत्र में लगाने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यदव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

केवल आलू का निर्जलीकरण प्लान्ट लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग कारपोरेशन लि0 के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि यू0 पी0 स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड में वर्तमान समय में

कितने कर्मचारी कार्यरत हैं जो दैनिक मजदूरी पाते हैं ? क्या यह सही है कि श्रम न्यायालय, लखनऊ में इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट, 1947 की धारा 33-सी/2 के अन्तर्गत विवाद दिनांक 1 अगस्त, 1978 के द्वारा यह निर्णय हुआ था कि समस्त दैनिक वेतन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाय ? यदि हां, तो उनकी सेवा शर्तें एवं वेतनमान क्या निर्धारित किया गया ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा रेगुलर होने के उपरान्त उनका वेतनमान अभी तक नहीं निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दिनांक 1 जनवरी, 1981 की स्थिति के अनुसार केवल 9 दैनिक वेतन-भोगी वर्कर्स कार्यरत हैं ।

जी हां ।

यह निर्णय हुआ था कि समस्त दैनिक कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन पर रेगुलर किया जाय ।

दैनिक मजदूरी पाने वाले ऐसे समस्त कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1 अगस्त, 1978 को 240 दिन की सेवाएं पूर्ण कर ली थी, न्यूनतम मासिक वेतन पर नियमित किया गया है व इन वर्करों को अन्य रेगुलर कर्मचारियों की भांति अवकाश की सुविधाएं नियमानुसार दी जा रही हैं । श्रम न्यायालय के समक्ष हुए अनुबन्धन में न्यूनतम वेतन (Minimum wages) देने का उल्लेख है, वेतनमान का नहीं । अनुबन्धनानुसार न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ।

विकास खन्ड, मिलक, जिला रामपुर के भवन की भूमि

4--श्री जयदीप सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खन्ड, मिलक, जिला रामपुर के भवन निर्माणार्थ राजकीय उद्यान की भूमि का हस्तान्तरण शासनादेश संख्या 4105/बारह (4)--167-74, दिनांक 7 सितम्बर, 1974 के द्वारा राज्यपाल महोदय ने करने की स्वीकृति दी थी ? क्या उपरोक्त आदेश द्वारा स्थानान्तरित भूमि पर किसी व्यक्ति अथवा विभाग द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस अवैध कब्जे को हटवाने एवं अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पशुधन विकास सहायक संघ की मांग

5- श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन विकास सहायक संघ की मांगों की पूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में 14 नवम्बर, 1980 को कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, संघ की मांग के अनुसार पशुधन विकास सहायकों की संशोधित कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व सारणी दिनांक 6 दिसम्बर, 1980 को प्रसारित कर दी गयी है। अन्य मांगों से सम्बन्धित विवरण मेरे कक्ष में देखे जा सकते हैं।

देवरिया जिले में खाद पर दी गयी छूट

6--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में रबी की फसल के लिए खादों पर छूट दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कालिका इन्टर कालेज, कोइरौना, जिला वाराणसी को गांव सभाओं से अंशदान दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

7--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या अ0 शा0 1/अ0 शा0/167/80-1अ0/27/53/76, दिनांक 30 मई, 1980 के द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 16-क के अनुसार एक संस्था को गांव सभाओं के वैयक्तिक लेखे की अज्ञात धनराशि को दे दी जाये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में भी प्रश्नकर्ता ने जों मन्त्री को एक पत्र दिसम्बर, 1980 में लिखा है और पंचायत राज, जिला अधिकारी वाराणसी ने कोई परिपत्र सभी ब्लाक अधिकारियों को 9 दिसम्बर, 1980 को जारी किया है इस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार गांव सभा के फन्ड को सुरक्षित रखने की कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

किन्तु पंचायती राज निदेशालय के कालिका इन्टर कालेज, कोईरौना, जिला वाराणसी को गांव सभाओं के अंशदान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नगत पत्र द्वारा जिला पंचायती राज अधिकारी को गांव पंचायतों के प्रस्ताव पारित कराकर अपनी संस्तुति भेजने के लिये लिया था।

जी हां।

गांव सभाओं की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण ब्लाक अधिकारियों को 9 दिसम्बर, 1980 को जारी किये गये परिपत्र पर अनुसरण नहीं किया जा रहा है और नही कोई धनराशि भुगतान की गई है।

जी हां।

आगरा जिले के बमरौली खटरा–नमला शगला मार्ग का खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्माण एवं आगरा तहसील में स्वीकृत मार्ग

8––श्री विजय सिंह राना––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास क्षेत्र बरौली अहीर के अन्तर्गत खाद्यान्न योजनाओं में बमरौली–खटरा से नगला शवला तक जाने वाली जन मार्ग स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? और यदि नहीं, तो यह कब तक स्वीकार कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

9––श्री विजय सिंह राना––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की आगरा तहसील के अन्तर्गत 1978–79 और 1979–80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितने जन मार्ग स्वीकृत हुये हैं और उनमें से कितने मार्गों पर कार्य पूरा हो चुका है और कितनों पर कार्य होना शेष है तथा यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पशुचिकित्सालय, सदर भट्ठी, आगरा का भवन

10––श्री बदन सिंह––

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि सदर पशु चिकित्सालय सदरमही, आगरा का भवन बिल्कुल नष्टप्राय (खन्डहर) हो गया है ? यदि हां, तो सदर पशु चिकित्सालय होने के कारण इस भवन को सरकार शीघ्र निर्मित करायेगी ।

श्री बलराम सिंह यादव––

जी हां ।

सदर पशु चिकित्सालय सदर भट्टी, आगरा के भवन निर्माण कराने हेतु आगणन प्राप्त हो गये हैं तथा शासन के विचाराधीन हैं ।

कृषि बीज भण्डार, राजपुरा, जिला जालौन का निरीक्षण

11––श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बीज भण्डार, रामपुर जनपद जालौन में मास दिसम्बर, 1980 में परगनाधिकारी, जालौन ने छापा मारकर बीज भन्डार में काफी अनियमिततायें पाई ? यदि हां, तो अनियमिततायें क्या थी तथा इस बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

परगनाधिकारी, जालौन द्वारा राजकीय कृषि बीज भन्डार राजपुरा जनपद जालौन का निरीक्षण नवम्बर, 1980 में किया गया था ।

निरीक्षण में यह पाया गया कि यूरिया का स्टाक एवं वितरण के इन्द्राज रजिस्टर में नहीं थे । परगनाधिकारी की निरीक्षण आख्या पर जिला कृषि अधिकारी जालौन से मामले में जांच कराई जा रही है ।

मुरादाबाद जिले के विकास खंड छजलेट एवं जोया में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

12--श्री रामकृष्ण महेश्वरी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के छजलेट एवं जोया विकास खंडों में सूखा खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कुल कितन कि0 मी0सड़कें बनी थीं और उसमें कुल कितना व्यय हुआ था? क्या यह सत्य है कि इन विकास क्षेत्रों में अभी तक मजदूरों की बहुत बड़ी धनराशि देनी शेष है ? यदि हां, तो कब तक उसका भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मुरादाबाद जनपद के छजलेट एवं जोया विकास खंडों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कुल 112.099 कि0 मी0 सड़कों का निर्माण हुआ जिसमें कुल रुपया 18,51,792 मूल्य का खाद्यान्न व्यय हुआ। इसमें 1.55 मै0 टन खाद्यान्न का भुगतान श्रमिकों को भारतीय खाद्य निगम, मुरादाबाद से रिलीज आर्डर प्राप्त न होने के कारण नहीं किया जा सका था । अब खाद्यान्न का आबंटन कर दिया गया है, भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायगा ।

जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा जूनियर इन्जीनियरों का कथित चयन

13--श्री लालसा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ में जिला विकास अधिकारी (डी0पी0ओ0) द्वारा माह नवम्बर, 1980 में कुछ जूनियर इंजीनियरों का चुनाव किया गया था जिसके फलस्वरूप माह दिसम्बर, 1980 में उक्त पद पर नियुक्ति हेतु कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का नाम प्रकाशित कर दिया गया जिसका नाम न तो मेरिट में था और न वे अनुसूचित जाति के थे ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है और क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

जिला आजमगढ़ में जिला विकास अधिकारी (डी0 पी0 ओ0) द्वारा माह सितम्बर, 1980 में जूनियर इजीनियरों का कोई चुनाव नहीं किया गया था । माह दिसम्बर, 1980 में किसी ऐसे अभ्यर्थी का नाम प्रकाशित नहीं किया गया था जिसका नाम न तो मेरिट में था और न वे अनुसूचित जाति के थे अतः इस संबंध में किसी अधिकारी के दोषी होने तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

14--श्री किरन पाल सिंह--

[6ठें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न सं0 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

15-16—श्री राम चरण सिंह—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित] ।

17—श्री छत्तर सिंह—

[स्पष्टीकरण के आधार पर हटाया गया] ।

18— श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[8वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न सं0 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

19—श्री लालसा—

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित] ।

20—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित] ।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों को पक्का किये जाने हेतु धनराशि का आबंटन

21—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

क्या ग्राम विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों को पक्की करने हेतु प्रदेश में जनपदों को कितनी धनराशि स्वीकृत हुयी है और कब तक यह सड़कें पक्की हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अम्मार रिजवी—

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों को पक्का करने हेतु प्रदेश के जनपदों को 8 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है । यथा समय धन की उपलब्धि के अनुसार इनके पक्की हो जाने की सम्भावना है ।

बुन्देलखंड मन्डल के झांसी एवं देवगढ़ में पर्यटन स्थल का चयन

22—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखंड मन्डल में वर्ष 1980 में पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए किन-किन स्थलों का चयन किया गया और इन स्थलों के विकसित होने की कब तक सम्भावना है ? उक्त स्थलों के चयन का क्या आधार है ?

श्री अम्मार रिजवी—

बुन्देलखंड मंडल में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु वर्ष 1980 में पर्यटन विभाग द्वारा झांसी एवं देवगढ़ (ललितपुर) का चयन किया गया है । इन स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा क्रमशः 50 एवं 20 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह बनाये जाने की योजनां है जिसके छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है । इन स्थलों का चयन विभागीय छठीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में गठित कार्यकारी दल की संस्तुति के आधार पर किया गया है ।

तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत पेयजल कूप का निर्माण

23--श्री बिहारी लाल दोहरे--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि मार्च, 1977, जून, 1980 तक पेय जल कूप ब्लाक कन्नौज, ब्लाक जलालाबाद, तहसील कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद में निर्मित कराये गये थे ? क्या यह सही है कि जिनका भुगतान कर दिया गया परन्तु वे अभी तक पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुए ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आशुतोष कुमार, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, कृषि विभाग का निलम्बन

24--श्री हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कृषि निदेशक के आदेश संख्या 2813-डी, दिनांक 27-7-77 के द्वारा श्री आशुतोष कुमार, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, कृषि विभाग (भूमि संरक्षण), उत्तर प्रदेश को निलम्बित किया गया परन्तु अब तक उन्हें चार्जशीट नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्या उन्हें तत्काल बहाल कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

श्री आशुतोष कुमार, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के विरुद्ध विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि) द्वारा 9-1-81 को आरोप-पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

न्यायालय का निर्णय होने तक श्री आशुतोष कुमार की बहाली का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के कर्मचारियों का जी0 पी0 एफ0

25--श्री झिलमिट राम--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विपणन विभाग से कृषि उत्पादन मंडी समितियों में प्रतिनियुक्त पर कर्मचारियों की अवकाश एवं जी0 पी0 फण्ड का अंशदान नहीं जमा कराने का क्या कारण है ? क्या उनका पेन्शन व अवकाश अंशदान जमा करायेंगे ? यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

13-5-80 के पश्चात् प्रति नियुक्त कर्मचारियों का अवकाश वेतन अंशदान कतिपय औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण जमा नहीं कराया जा सका है । जी0 पी0 फण्ड का अंशदान नियमतः जमा नहीं कराया जाता ।

जी हां । औपचारिकतायें पूर्ण होने पर यथाशीघ्र अंशदान जमा कराया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र बहादुर सिनहा, उप-निदेशक, फलोपयोगी शाखा का स्थानान्तरण

26--श्री झिलमिट राम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्यान एवं फल उपयोग विभाग में उद्यान सम्वर्ग तथा फल उपयोग सम्वर्ग (कैडर) पृथक्-पृथक् हैं ? यदि हां, श्री राजेन्द्र बहादुर सिनहा, उप निदेशक, फल उपयोग शाखा का स्थानान्तरण उद्यान सम्वर्ग उप-निदेशक, लखनऊ के पद पर करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उनको उनके मूल विभाग फल उपयोग सम्वर्ग को वापस कर उप निदेशक, लखनऊ के पद पर उद्यान सम्वर्ग से उप निदेशक की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27--श्री राम करन, श्री रामधनी राम तथा श्री राम हर्ष राय--

[8वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उन्नाव जिले के ग्राम मिर्रीकलां-शम्भूखड़ा सड़क का निर्माण

28--श्री रियासत हुसैन--

क्या विधान सभा के सत्र 1978 के 7वें सोमवार (8 मई, 1978) के लिए निर्धारित श्री मोहन सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मिर्रीकलां से ग्राम्य शम्भूखड़ा (पोस्ट मिर्रीकलां, तहसील पुरवा, ब्लाक अलोहा, जिला उन्नाव) तक बनाई जाने वाली डेढ़ किलोमीटर लम्बी लिंक रोड का निर्माण पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी है एवं निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पशुपालन निदेशालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

29--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की कोई सेवा नियमावली अब तक न तैयार होने का कारण क्या है । इसे कब तक तैयार कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

पशुपालन, निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की सेवा-नियमावली को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसे यथाशीघ्र प्रख्यापित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

कृषि विभाग के ब्यूरो अनुभाग के स्टाक का चार्ज

30— श्री छत्रपाल सिंह—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि कृषि निदेशालय के ब्यूरो अनुभाग में कन्ज्यूमेबुल तथा डेड स्टाकों का औपचारिक चार्ज 1977 से अब तक नहीं हुआ है । यदि हां, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है व सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने, दोषी व्यक्ति को दण्डित करने व कागजात को गायब होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है । यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री बलराम सिंह यादव—

कनज्यूमेबुल स्टाक का चार्ज 7-12-1978 को तथा डेड स्टाक का चार्ज 16-10-1979 को हुआ, जिसमें कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विश्वविद्यालय के पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के कुलपति

31—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मौजूदा समय में कुल कितने विश्वविद्यालय चल रहे हैं तथा विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति के कितने कुलपति कार्यरत हैं उनकी संख्या क्या है तथा हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग संघ, फैजाबाद मंडल द्वारा किसी प्रकार का मौजूदा कुलपति कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है । यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी । यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रदेश में तीन कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हैं । इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपतियों में से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति का कोई कुलपति इस समय नहीं है । कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में इस समय कुलपति का पद रिक्त है और कुल सचिव कुलपति के पद के सम्प्रतिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं । कार्यवाहक कुलपति के विरुद्ध हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग संघ, फैजाबाद मंडल की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

अल्मोड़ा जिले की पारकोट एवं द्वारहाट सिंचाई योजनायें एवं गूल का निर्माण

32—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में पारकोट द्वार हाट, सजगाड़ी, ताड़ीखेत, वि० स०, अणा, विकास खंड गरुड़, तहसील बागेश्वर में लघु सिंचाई गूलों के लिए फरवरी, मार्च, 1980 में टेंडर किया गया है और ठेकेदारों को भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ । स्थानिक विकास योजना के अन्तर्गत इन सिंचाई योजनाओं के लिए टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे । ठेकेदार द्वारा पारकोट, द्वारहाट योजना का कार्यादेश प्राप्त न किये जाने के कारण इसमें कार्य नहीं हुआ । अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता । शेष अन्य योजनाओं में अब तक किये गये कार्यों का भुगतान किया जा चुका है ।

फैजाबाद जिले में हरिजन कालोनियों का निर्माण

33--श्री प्रियदर्शी जेटली तथा श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1979-80 में फैजाबाद जनपद के हरिजन कालोनी बनाने के लिए कितना धन मिला था। कितनी कालोनीज कहां-कहां कितनी जगह से बनी है। क्या यह सही है कि अधिकांश बनी हरिजन कालोनीज गिर गई है या रहने के काबिल नहीं रह गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गांव बिसघन, जिला कानपुर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वैद्य श्री शिव कुमार का वेतन

34--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बिसघन, ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर के जिला परिषद् से सम्बन्धित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 1976 से 1980 तक कौन चिकित्सक नियुक्त रहे हैं और उन्होंने किस अवधि तक का वेतन प्राप्त किया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

गांव बिसघन, ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर के जिला परिषद् से सम्बन्धित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में सन् 1976 से 1980 तक श्री शिव कुमार वैद्य (चिकित्सक) नियुक्त रहे हैं तथा इन्हें सम्पूर्ण उक्त अवधि का निर्धारित वेतन दिया गया है।

जिला परिषद् आगरा के सेवा निवृत वैक्सीनेटर श्री चिरंजीलाल का जी० पी० एफ०

35- श्री बदन सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री चिरंजी लाल, अवकाश प्राप्त वैक्सीनेटर, जिला परिषद्, आगरा की सेवा से 31 अगस्त, 1975 को निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो उनके रिवाईज्ड वेतन एरियर, प्राविडेन्ट फंड सन् 1975 तक तथा ग्रेच्युटी माह अगस्त, 1975 के वेतन का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

इन्हें रिवाइज्ड वेतन का भुगतान (एरियर), दिनांक 5-4-78 को किया जा चुका है तथा प्रोविडेन्ट फंड 1962 से 1975 तक का भुगतान, दिनांक 13-5-77 को उन्हें प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त श्री चिरंजी लाल ने परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश की पुष्टि एवं सत्यापन से पूर्व कुछ आंशिक अनुतोषिक के भुगतान का प्रार्थना-पत्र, दिनांक 22 दिसम्बर, 1980 को जिला परिषद्, आगरा में प्रस्तुत किया था। जिस पर 1000 रु० (एक हजार) का चेक

7-1-81 को तैयार किया जा चुका है। इसे प्राप्त करने के लिये उन्हें लिखित सूचना भेज दी गई है।

जिला कृषि अधिकारी, देवरिया द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण

36--श्री रुद्रप्रताप सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, देवरिया द्वारा वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में 82,818,26 रु0 कोषागार से आहरण करके ठेकेदारों के नाम बंधित पास बुकों में रखा गया है और इतने दिनों के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य पूरे नहीं कराये गये तथा शासन के पैसों का ठेकेदार के नाम जमा करके ब्याज का अनुचित लाभ कमवाया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करके ऐसे अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जालौन जिले के समाचार पत्रों को कागज का कोटा

37--श्री शंकर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद से प्रकाशित होने वाले किस-किस पत्र को गत पांच वर्षों मे क्रमशः कितना-कितना कागज का कोटा दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जालौन ने भारत सरकार से संस्तुति की थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

38--श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)--

[6ठें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

39--श्री विमला राकेश--

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित।]

डाक्टर भूपाल सिंह, पशुधन विकास अधिकारी, देवबन्द, सहारनपुर के विरुद्ध शिकायत-पत्र

40--श्रीमती विमला राकेश--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पशुधन अधिकारी, प्रभारी पशु चिकित्सालय, देवबन्द, सहारनपुर के विरुद्ध जनपद के छः विधायकों की 3 माह पूर्व लिखित शिकायतों एवं उन्हें मेरठ मंडल में करीब 14 वर्ष होने के उपरान्त भी उनके स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी अविलम्ब इन पशु डाक्टर के विरुद्ध जांच कराने और आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, डाक्टर भूपाल सिंह, पशुधन विकास अधिकारी, देवबन्द (सहारनपुर) के विरुद्ध विधायकों की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच करायी जा रही है।

डाक्टर भूपाल सिंह, देवबन्द पशु चिकित्सालय में दिनांक 14-7-79 से तैनात थे, परन्तु मेरठ मंडल में वे 29-6-68 से कार्यरत थे। एक ही मंडल में 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण इन्हें इलाहाबाद मंडल के इटावा जनपद में स्थानान्तरित करने के आदेश जुलाई, 1980 में प्रसारित किये गये थे। डाक्टर सिंह ने अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरण एक वर्ष के लिए रोकने की प्रार्थना की जो स्वीकार कर ली गयी और उनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया।

कृषि विभाग द्वारा जिंक सल्फेट की खरीद

41--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिंक सल्फेट की कुल कितनी आवश्यकता विभाग द्वारा आंकी गयी है और कितनी पूर्ति विभाग द्वारा की जा रही है ? अप्रैल, 1977 से अब तक वर्ष वार विभाग ने कुल कितनी जिंक सल्फेट किन-किन फर्मों से किस दर पर क्रय किया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा 2000 मी0 ट0 जिंक सल्फेट की आवश्यकता आंकी गई है जिसकी आपूर्ति करने हेतु उद्योग निदेशक, कानपुर को मांग भेजी गई है।

अप्रैल, 1977 से अब तक वर्षवार विभाग में जितनी मात्रा विभिन्न फर्मों से जिस दर पर क्रय की गई है उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 440 पर।)

विप्लव प्रेस, लखनऊ का कथित अनुदान

42--श्री मोहन सिंह--

क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री ने स्थानीय विप्लव प्रेस को नवम्बर मास, 1980 में 50,000 रुपये का अनुदान स्वीकार किया है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

कृषि उत्पादन मन्डी के सचिवों का प्रशिक्षण एवं आयु

43--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि उत्पादन मन्डी के सचिवों के प्रशिक्षण हेतु 1 अक्तूबर, 1980 से चलने वाले सत्र में चार कर्मचारी ऐसे भेजे गये हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है ? क्या यह सही है कि अब तक 45 वर्ष से कम आयु के कर्मचारी ही भेजे गये हैं ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भेजने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रशिक्षण सत्र में भेजे गये चार कर्मचारियों में से केवल दो की आयु 45 वर्ष से अधिक थी।

जी हां ।

उक्त दो कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भेजने का कारण 45 वर्ष से कम आयु के अर्ह कर्मचारियों का अभाव तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता की प्रति-पूर्ति करना था ।

44--श्री ध्रुप राय--

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित ।]

मथुरा जिले के लालपुर बांध हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

45--श्री चन्दन सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के लालपुर बांध में तहसील छाता के किन-किन ग्रामों की जमीनें आई हैं और कौन-कौन से किसानों की ? क्या उन किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

मथुरा जनपद के तहसील छाता में लालपुर बांध का निर्माण त्वरित योजनान्तर्गत वर्ष 1972 में कराया गया जिसमें 6 ग्रामों की, 126.70 एकड़ जमीन, 230 किसानों की अर्जी है जिसका विवरण संलग्न है । ग्रामीण रोजगार त्वरित योजना के अन्तर्गत मुआवजा देने का प्राविधान नहीं था ।

फैजाबाद जिले के विकास खण्ड अमानीगंज, मिल्कीपुर आदि में हरिजन बस्तियों का निर्माण

46--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979-80 में विकास खण्ड अमानीगंज, मिल्कीपुर, हरिश्टनगंज, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कितनी हरिजन कालोनियां (बस्तियां) बनाने की स्वीकृति प्रदान हुई थी, कितने का निर्माण कार्य पूरा हुआ, कितना अधूरा है ? क्या यह भी सही है कि बाढ़ के पूर्व बस्तियों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, किन्तु बाढ़ में उन्हें क्षतिग्रस्त दिखाकर पैसा हड़प किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1979-80 में फैजाबाद जनपद के विकास खण्ड अमानीगंज मिल्कीपुर, हरिश्टनगंज के अन्तर्गत कुल 93 आवासीय भवन निर्बल वर्ग के लिये बनाया जाना प्रस्तावित था । इसमें से कुल 51 आवासीय भवनों का निर्माण किया जा चुका है । अवशेष 42 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 1981 तक पूर्ण कराए जाने का निर्देश सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को दिया जा चुका है ।

जिला स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार विकास खण्ड अमानीगंज में 17 आवासीय भवन पूर्ण होने के उपरान्त 15 आवासीय भवन भीषण वर्षा के कारण गिर गए हैं । यह सही नहीं है कि निर्माण कार्य पूरा हुए बिना बाढ़ में उन्हें क्षतिग्रस्त दिखाकर पैसा हड़प लिया गया है ।

---

†छापी नहीं गई ।

सुबेहा–बाराबंकी सड़क पर रारी नदी के घाटमपुर पुल के निर्माण की मांग

47––श्री राम सागर––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुबेहा से बाराबंकी सड़क वाया देवीगंज पर ग्राम घाटमपुर के पास रारी नदी के पुल का शिलान्यास जिला परिषद से निर्माण हेतु दिनांक 30–4–77 हुआ था । यदि हां, तो अब तक निर्माण पूर्ण न होने का क्या कारण है ।

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां ।

प्रश्नगत स्थान पर जिला परिषद, बाराबंकी द्वारा लकड़ी का पुल बनवाये जाने की योजना थी । जिला परिषद द्वारा इस पुल के निर्माण हेतु दिनांक 28–2–79 को ठेका स्वीकृत किया गया । ठेकेदार द्वारा नदी में 30 बल्लियां भी लगाई जा चुकी थी, परन्तु पिछली बरसात में पुल की प्रस्तावित ऊंचाई से नदी का जल स्तर 6 फिट ऊपर पहुच गया था, अतः जिला परिषद द्वारा पुल की डिजाइन आदि के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तकनीकी की राय ली गई । सार्वजनिक निर्माण विभाग की राय के अनुसार इस स्थान पर लकड़ी का पुल उपयोगी नही रहेगा । जिला परिषद् द्वारा पुल के डिजाइन के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से विस्तृत जांच कराई जा रही है ।

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा लोहेपार के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती–पत्र

48––श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लोहेपार ब्लाक सिसवा बाजार जनपद गोरखपुर के ग्राम प्रधान शारदा दूबे के विरुद्ध भूतपूर्व विधायक सिसवा क्षेत्र गोरखपुर द्वारा 17–5–79 को लिखित शिकायत गम्भीर अनियमितताओं तथा भारी घपला एवं गांव समाज की सम्पत्ति बेचने के संबंध में की गयी थी । यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच आज तक न कराय जाने का क्या कारण है ।

श्री अम्मार रिजवी––

भूतपूर्व विधायक सिसवा बाजार को सम्बोधित एक शिकायती पत्र, जिस पर दिनांक 16–5–75 अंकित है तथा श्री उदयभान गिरि सा० लोहेपार का एक अन्य शिकायती–पत्र दिनांक 17–5–79 प्राप्त हुआ था । इन दोनों शिकायती पत्रों की तहसीलदार महराजगंज द्वारा जांच कराई जा रही है ।

49––श्री कुबेर भंडारी, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिवंश सहाय––

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कृषि विभाग के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

50––श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भंडारी––

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1839/143 आर० ए० 6364–ए० 586 आर० ए० 4,

दिनांक 16-4-67 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के कुछ कर्मचारियों का कृषि निदेशक, उ0 प्र0 के द्वारा प्रकाशित सन् 1973 की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 1340 से 1415 तक था परन्तु सन् 1979 में कृषि निदेशक के द्वारा प्रकाशित ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 1340 से 1415 तक कर्मचारियों के नाम नहीं अंकित हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारियों की ज्येष्ठता क्रम सूची कब तक ठीक कर दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को उनकी सहमति प्राप्त करने के हेतु सन्दर्भ किया गया है । 'आयोग' की सहमति प्राप्त होने पर ही यथास्थिति प्रश्नगत 76 लोगों के नाम ज्येष्ठता सूची में रखने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

(समय 12 बज कर 19 मिनट)

मोदी नगर में भूख हड़ताली महिलाओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत आज 5 सूचनाएं प्राप्त हुई थी और पांचो सूचनाएं स्वीकार कर ली गयी हैं ।

*श्री राम आसरे बर्मा--

मान्यवर, मोदीनगर में 100 भूख हड़ताली महिलाओं पर स्थानीय पुलिस द्वारा 12 मार्च, 1981 को लाठी चार्ज किया गया, बेरहमी से उन्हें पीटा गया तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया ।

इस घटना से वहां के जन साधारण में क्षोभ एवं उत्तेजना व्याप्त है ।

लोक महत्व की अविलम्बनीय घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता हूं ।

देवरिया जिले के ग्राम सलेमपुर निवासी श्री नारायण कानू के परिवार की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, देवरिया जिलान्तर्गत सलेमपुर नगर में 4/5 मार्च, 1981 को श्री नारायण, उसकी गर्भवती पत्नी श्रीमती मालती व उसका पुत्र झगरू उम्र साढ़े 22 साल को जहर खिलाकर गला दबाकर जान से मार डाला गया । उसके स्त्री के पेट में 8 माह का बच्चा था । मारने के बाद घर का सारा सामान आततायी द्वारा ले लिया गया । लोगों का मत है कि उसके पास दो लाख से अधिक का सामान व नकद था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मामले पर परदा डालने हेतु आततायियों ने उसके घर में पान के पत्र, हल्दी, अगरबत्ती व 4–5 कपूर छोड़ गए थे जिससे लोगों का ध्यान बट जाय। लोगों में चर्चा है कि कप्स को सबूत से हटा दिया गया है। यह चर्चा है कि इसके परिवार की जान की हत्या जमीन तथा घर के लालच में की गई है।

दिनांक 5–3–81 को नगर के लगभग 5 हजार लोगों ने मौन जुलूस निकाला तथा सी0 बी0 आई0 से जांच की मांग किया। 45 घंटो के बाद लाशों की पोस्टमार्टम कराया गया तथा 5 दिन के बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर गए।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मन्त्री से मांग करता हूं कि पूरे घटना की जांच सी0 बी0 आई0 या सी0 आई0 डी0 से कराने का आदेश देवें।

प्रौढ़ शिक्षा परियोजना अधिकारी, फैजाबाद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा––

मान्यवर, दिनांक 9–3–81 को टान्डा, जनपद फैजाबाद में प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत डेढ़ सौ प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल परियोजना अधिकारी के भ्रष्टाचार, गबन तथा अभद्र व्यवहार के कारण, कर दी है। करीब 3 माह से साहित्य एवं अन्य सजावट लेखन तथा समय–समय पर मान्य देय अनुदेशकों की परियोजना अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया तथा मिट्टी के तेल के अभाव के कारण अधिकांश प्रौढ़ शिक्षा छात्रों को पढ़ायी सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है तथा करीब 25 हजार रुपया का गबन परियोजना अधिकारी द्वारा किया गया है। उपरोक्त कारणों को लेकर डेढ़ सौ अनुदेशकों ने तथा प्रौढ़ शिक्षा पाठशालाओं के छात्रों में तथा जनता में बेहद असन्तोष व्याप्त है। जल लपुर जनपद फैजाबाद में भी इन्हीं कारणों से करीब डेढ़ सौ अनुदेशकों द्वारा हड़ताल की जाने वाली है। अभी तक प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों ने अपनी हड़ताल वापस नहीं ली है जिससे प्रौढ़ शिक्षा पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं हो पा रही है।

अतः उपरोक्त गम्भीर मामले पर विशेष रूप से ध्यान दिलाते हुए चाहूंगा कि आप इस मामले पर तत्काल शासन से कार्यवाही कराने के आदेश प्रदान करेंगे।

किसान डिग्री कालेज व ए0 पी0 एन0 डिग्री कालेज के छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में पिछले सप्ताह से ही किसान डिग्री कालेज के छात्रों द्वारा विद्यालय में शिक्षा का कार्य संचालन न होने के कारण जिसमें अध्यापकों द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय—]

छात्रों को कक्षा में अध्यापन कार्य करने से अस्वीकार करने के फलस्वरूप भी सम्मिलित हैं, के विरोध में एक आन्दोलन चलाया जा रहा है जब तक लगभग 71 छात्र विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिये गये हैं। यह आन्दोलन उत्तरोत्तर उग्र होता जा रहा है न केवल किसान डिग्री कालेज के छात्र अपितु ए0 पी0 एन0 डिग्री कालेज के छात्रों का भी अभी एक छात्र की मृत्यु एस0 डी0 एम0, सदन की जीप से हो जाने के फलस्वरूप तथा उसकी जांच ठीक से न कराये जाने के कारण एक और आन्दोलन उमड़ कर आया है, इसमें भी छात्रों ने गिरफ्तारियां दी हैं और कालेजेज बस्ती सदन के सभी बन्द कर दिये गये हैं। छात्रों ने बार-बार जिला प्रशासन से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मांग किया परन्तु जिला प्रशासन निःसहाय स्थिति में कुछ कर पाने में असमर्थता प्रकट कर रहा है। छात्रों को जो शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने की साजिश की जा रही है तथा उनकी गिरफतारियां भी उन्ही धाराओं में दिखलायी जा रही हैं। इससे जनपद के सम्पूर्ण छात्रों में रोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि छात्र समस्याओं निराकरण के लिये जिला प्रशासन को तथा फर्जी मुकदमों को न रखने का निर्देश भी देने का कष्ट करें।

झांसी जनपद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति तथा क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोकमहत्व की सूचना सदन में रखना चाहता हूं। झांसी जनपद में दिनांक 12-3-81 को भीषण उपल वृष्टि से लाखों किसानों के परिवार तबाह हो गये हैं। पशुधन की भी काफी क्षति हुई है। विगत तीन वर्षों से लगातार दैवीय प्रकोप से सूखा एवं बाढ़ से किसान तबाह है। जनपद के मऊरानीपुर, बैगरा, बड़ा गांव, बबीना आदि ब्लाकों में तो 100 से लेकर 200 ग्राम तक के ओले देखे गये। सम्पूर्ण फसल नष्ट हो चुकी है। पशुओं के खाने के लिये चारा नहीं है, किसानों को एक समय का भोजन उपलब्ध नहीं है। बच्चों की पढ़ाई एवं अन्य व्यवस्था की बात तो अलग रही। सम्पूर्ण क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि अविलम्बनीय गरीब किसानों एवं पशुओं के प्राणों की रक्षा हेतु सहायता देने की व्यवस्था करें एवं सम्पूर्ण वसूली तुरन्त स्थगित की जाय तथा खाद एवं बीज जो सहकारी संस्थाओं से दिया गया है उसे क्षतिपूर्ण को भी शासन व्यवस्था करे।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की दो सूचनायें आज विचारार्थ रहीं। पहली सूचना माननीय खैरुल बशर द्वारा दी गयी थी, जो 12 मार्च, 1981 को माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में थी, जिसमें उनका कहना है कि दिनांक 19 सितम्बर, 1980 को माननीय विधायक, श्री हरगोविन्द वर्मा ने नियम 301 के अन्तर्गत श्री सी० बी० झा, स्वत्वाधिकारी प्रकाशक "लोक रस" निवासी चमनगंज, सीपरी बाजार, झांसी के साथ पुलिस द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार तथा उनकी डकैती की रपट को फाड़ कर फेंक देने व उन्हें विपक्षी से मिल कर मकान खाली कराने के उद्देश्य से झूठे मुकदमें में फंसाए जाने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय सदस्य के कथनानुसार माननीय मुख्य मन्त्री ने उक्त सूचना के सन्दर्भ में अपने दिनांक 18 अक्तूबर, 1980 के जवाब में तथ्यों पर पर्दा डालते हुए सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।

प्रश्नगत सूचना में माननीय श्री खैरूल बशर ने अपनी सूचना के साथ पांच सम्बन्धित लेख्यों की प्रतियां संलग्न करने का उल्लेख तो किया है, परन्तु उक्त सूचना के साथ कोई संलग्नक नहीं दिया गया है।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 के अनुसार यदि किसी सदस्य की विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बन्धित शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के नियम 65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के प्रश्न को ग्राह्य किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि वह हाल ही में घटित किसी निश्चित विषय से सम्बन्धित हो, जैसा कि इस मामले में नहीं है। अतः मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री संजय सिंह द्वारा मन्त्री मण्डल के सदस्यों के विरुद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरी सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा दी गयी थी। आज दिनांक 16 मार्च, 1981 को श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री राम आसरे वर्मा, सदस्यगण विधान सभा, ने माननीय सदस्य श्री संजय सिंह द्वारा निर्दिष्ट राज्य मन्त्रि मन्डल के एक मन्त्री के विरुद्ध "विशेषाधिकार की अवहेलना" के प्रश्न की सूचना दी है। सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि श्री संजय सिंह ने 13 मार्च, 1981 को फैजाबाद तथा झांसी मन्डल के कांग्रेसी विधायकों की बैठक में मन्त्रि मन्डल पर कुछ आरोप लगाये थे और उसके तीन दिन पूर्व आगरा व मेरठ मन्डल के विधायकों की बैठक में भी श्री संजय सिंह ने एक मन्त्री का नाम लेकर उसके विरुद्ध आरोप लगाये थे। श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री राम आसरे वर्मा का यह भी कहना है कि श्री संजय सिंह द्वारा लगाये गये उक्त आरोप अखबारों में मोटे शीर्षकों के अन्तर्गत प्रकाशित हुये हैं और प्रदेश की जनता में चर्चा का विषय बन गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, निर्णय देने से पहले इस पर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं। विराजें। जो लिखना था वह लिख चुके।

[श्री उपाध्यक्ष--]

इस सूचना में जिस मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने का मन्तव्य प्रकट किया गया है उसका नाम नहीं दिया गया है, अतः यह अस्पष्ट है। साथ ही यह मामला सदन के बाहर किसी दल के अंतरंग मामले के सम्बन्ध में है। यहां अध्यक्ष पीठ से यह निर्णय भी हो चुका है कि केवल समाचार पत्र में छपे किसी समाचार के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसका सम्बन्ध सदन की कार्यवाही या कार्य से नहीं है। अतः मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

दिनांक 4 अगस्त, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न, संख्या 5 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के संशोधन हेतु शोधन वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

ग्राम विकास मन्त्री, अपना शोधन वक्तव्य दें।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

दिनांक 4-8-80 को श्री मित्रसेन यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 के सम्बन्ध में श्री रियासत हुसेन सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि--

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि पाठा पेयजल योजना जिसका एरिया मांझा, तहसील इलाहाबाद से लेकर बांदा तथा और जिलों में फैली है, जिसे जल निगम ने बनाया और उसके बाद मेंन्टीनेन्स के लिए जल संस्थान को दे दिया गया जिसके अध्यक्ष कमिश्नर, झांसी डिवीजन हैं। कमिश्नर झांसी ने अध्यक्ष की हैसियत से सरकार से 45-50 लाख रुपये की मांग की कि इतना रुपया उनको मिलेगा तो वह मेंन्टीनेंस कर पायेंगे। इसकी वजह से वह पूरी पाठा पेयजल योजना बेकार पड़ी है। जल संस्थान के अध्यक्ष ने जो मांग की है सरकार से माननीय मंत्री जी ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि श्रीमन् 1972 में सर्वे हुआ था उसके अनुसार 35506 ग्राम पेयजल स्कीमें हैं इनको लागू करने की सिफारिश की गयी थी। 1,12,561 गांव उस हिसाब से आते हैं। माननीय सदस्य ने जिस तरफ इशारा किया है उसे मैंने नोट कर लिया है। 7001 ग्राम जहां योजना पूरी हो चुकी है और 900 ग्राम जहां पूरी होनी है उनकी सूचना देना इस समय सम्भव नहीं होगा लेकिन यह जरूर है कि जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है उसको जरूर दिखवा लूंगा।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला, सही उत्तर इस प्रकार है--

"श्रीमन्, 1972 में सर्वे हुआ था उसके अनुसार 35506 ग्राम पेयजल संकट से प्रभावित हैं। इनमें पेयजल सुविधा सुलभ करने की सिफारिश की गयी थी। 1,12,561 गांव उस हिसाब से आते हैं माननीय सदस्य ने जिस तरफ इशारा किया है उसे मैंने नोट कर लिया है। 7001 ग्राम जहां योजना पूरी हो चुकी है और 900 ग्राम जहां

पूरी होनी है उनको सूचना देना इस समय सम्भव नहीं होगा, लेकिन यह जरूर है कि जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है उसको जरूर दिखवा लूंगा ।

पुनः उक्त तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में श्री भोलालाल, सदस्य, विधान सभा ने पूछा था कि 25596 गांवों में पेयजल की समस्या है । अभी तक 7001 गांवों में पेयजल की समस्या हल की जा चुकी है । इस वित्तीय वर्ष में 900 गांवों में और हल हो जायगी । इस तरह साढ़े 17 हजार गांवों में यह समस्या हल होना बाकी है । अगर इसी रफ्तार से समस्या को हल किया गया तो तीस वर्ष लग जायेंगे, तब यह सरकार पेयजल की समस्या को हल कर पायेगी । क्या सरकार इस गति से सन्तुष्ट है । यदि नहीं, तो क्या वह इस गति को तेज करने की कृपा करेगी ।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि 700 और 900 गांव जल निगम से सम्बन्धित हैं, 1970 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करायी जा रही है, इसके अलावा 2000 गांवों में शासन हैण्ड पम्प लगवाने जा रही है, टोटल 4180 होता है और 900 इससे अलग हुए । इस तरह से 5000 जगहों पर पेयजल की व्यवस्था करायी जा रही है । चूंकि पानी काफी है लिहाजा लैन्ड डेवलपमेन्ट विभाग तथा जल निगम दोनों मिलकर पेयजल की व्यवस्था करा रहे हैं ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है --

"इस वर्ष 900 गांवों में पेयजल सुविधा जल निगम द्वारा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

1971-72 से गांवों में ग्राम विकास विभाग द्वारा पेयजल की व्यवस्था करायी जा रही है जिसके अन्तर्गत 1980-81 में 2000 गांवों में शासन हैन्डपम्प लगवाने जा रही हैं इसके अतिरिक्त 1970 कुओं तथा 250 डिग्गयों का निर्माण प्रस्तावित है । इस तरह से 5000 जगहों पर पेयजल की व्यवस्था करायी जा रही है । चूंकि पानी की काफी कमी है लिहाजा रूरल डेवलपमेन्ट विभाग तथा जल निगम दोनों मिलकर पेयजल की व्यवस्था करा रहे हैं ।"

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 441 पर)।

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981*

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*दिनांक 17 मार्च, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(समय 12 बजकर 37 मिनट)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुयीं थी । जिनमें से कोई भी कार्य स्थगन के लिए स्वीकार करने के योग्य नहीं थी ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, पढ़ दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

पढ़ने की परम्परा नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

आपने परसों ही परम्परा डाली है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सारांश बताये देता हूं पहली सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की, दिनांक 15-3-81 को मेडिकल कालेज, लखनऊ के जूनियर डाक्टरों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के सम्बन्ध में है, श्री सूबेदार सिंह, श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह, तीनों लोगों की सूचना एक ही तरह की है, जो इसी विषय से सम्बन्धित है । श्री शंकर सिंह ने श्री सतीश चन्द्र शर्मा, भूतपूर्व विधायक जिला एटा का दिनांक 18 नवम्बर, 1980 को अपहरण होने के बाद कांग्रेस (आई) के विधायक श्री लटूरी सिंह की तथाकथित साजिश से हत्या होने के सम्बन्ध में सूचना दी है । इससे ही सम्बन्धित श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री एवं श्री मोती लाल देहलवी ने सूचना दी है । सातवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह ने 3 फरवरी, 1981 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर हो रहे आंदोलन के क्रम में, अधिवक्ताओं, शिक्षा संस्थानों, व्यापारिक संघों, ट्रक यूनियनों आदि द्वारा हड़ताल प्रारम्भ कर देने से जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में दी है । आठवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा की जनपद फैजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर में कुछ महीने पूर्व हेल्थ विजिटर श्रीमती चन्द्रावती देवी तथा मार्च, 1981 में हेल्थ विजिटर कुमारी एलमा थामस की रहस्यमय मृत्यु से राजकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं में व्याप्त असुरक्षा के सम्बन्ध में है । इनमें से कोई ऐसी नहीं थी जिसको कार्य स्थगन के लिए स्वीकार किया जाय ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है ।

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मुझे सुन लीजिये । यह विषय गम्भीर

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, यह बड़ी गंभीर घटना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें, मैंने माननीय देहलवी को बुला लिया है ।

एटा जिले के भूतपूर्व सदस्य, श्री सतीश चन्द्र शर्मा की हत्या में विधायक श्री लटूरी सिंह की कथित साजिश के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन की सूचना दी है वह बड़ा गंभीर मामला है । इस माननीय सदन के तमाम माननीय सदस्यों को कलंकित करने वाला एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है । इसलिए माननीय सदन के वर्तमान एक सदस्य श्री लटूरी सिंह का सम्पर्क डाकुओं से है और मान्यवर, उन डाकुओं के जरिये से इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री सतीश चन्द्र शर्मा का पहले अपहरण कराया गया और उसके बाद माननीय लटूरी सिंह जी ने अपने सामने उनकी हत्या करायी और अपने सामने उस शव को खेत में गड़वा दिया । मान्यवर, कितना गम्भीर मामला है और यह हत्या सिर्फ इसलिए करायी कि माननीय लटूरी सिंह जी कोई मुकदमा वापस करवाना चाहते थे भूतपूर्व विधायक श्री सतीश चन्द्र शर्मा से । जब उन्होंने इन्कार किया तो हत्या करवायी और शव को गड़वा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषय की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं या उसके बारे में इन्फारमेशन दे रहे हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह अधिकार जनता और भूतपूर्व विधायकों को है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, तो कोई भी हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, लेकिन अगर कोई विधायक किसी तरह का दबाव देकर मुकदमा वापस कराना चाहेंगे और वापस न लेने पर हत्या कराने लगेंगे तो, मान्यवर, हमारे इस प्रदेश की स्थिति क्या होगी? आज जो घटना हुयी और श्रीमती फूलन देवी ने जो पुलिस वालों को सूचना दिया है कि माननीय लटूरी सिंह ने किस तरह से उस भूतपूर्व विधायक की हत्या करवाई और माननीय लटूरी सिंह के पीछे आज पुलिस घूम रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने कहा कि पुलिस श्री लटूरी सिंह के पीछे घूम रही है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोती लाल देहलवी--

जी मान्यवर, और माननीय लटूरी सिंह भागते फिर रहे हैं। ऐसे-ऐसे हमारे माननीय सदस्य हैं। उनको चाहिए था कि आज वह सदन के सामने हाजिर होकर अपनी सफाई पेश करते। मान्यवर, मैं फिर कहूंगा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इससे जनता क्या सोचेगी जनता के बीच हमारी सब की छवि बिगड़ेगी जब कि विधायक गण डाकुओं से संबध रखते हैं और हत्या करवाते हैं। मान्यवर, आप विधायकों की मर्यादा की रक्षा करें और इस पर आप पुनः विचार करें और मान्यवर माननीय लटूरी सिंह को तो इस घटना के बाद से सदन से इस्तीफा दे देना चाहिये अगर वह खुद से इस्तीफा नहीं देते तो मान्यवर, आपको अधिकार है कि ऐसे सदस्य को, जो डाकुओं से संबंध रखता हो, हत्याएं करवाता हो, तो उसको इस सम्मानित सदन की सदस्यता से हटा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री देहलवी, आपने औचित्य दर्शाते हुए एक से सेन्टेन्स कहा और आपके भाषण के दौरान मैंने उस सेन्टेन्स पर आपको इंगित भी किया था तो जब पुलिस स्वयं माननीय लटूरी सिंह के पीछे घूम रही है तो उससे सिद्ध हो गया कि इस मामले पर इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और ऐसी स्थिति में अगर इस पर काम रोको प्रस्ताव ले लिया जाए, तो यह उचित नहीं होगा और इस तरह से न्याय के रास्ते में अवरोध भी उत्पन्न होगा।

(व्यवधान)

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसीलिए तो औचित्य का प्रश्न है, क्योंकि पुलिस श्री लटूरी सिंह को गिरफ्तार करने में अक्षम है क्योंकि वे एक सत्ताधारी पक्ष के मजबूत सदस्य हैं और पुलिस वालों पर बलपूर्वक दबाव पड़ रहा है कि उनको गिरफ्तार न किया जाए। तो इस तरह अगर यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उनके इतिहास को नहीं जानना चाहता।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह घटना अविलम्बनीय लोक महत्व की है क्योंकि एक भतपूर्व विधायक की हत्या की गयी है और हत्या करवाने वाले मौजूदा विधायक हैं। यदि इसकी चर्चा इस सदन में नहीं होगी तो फिर कहां होगी? मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर विषय है। यहां के आदरणीय सदस्यों की मर्यादा का प्रश्न है, उनकी मर्यादा और छवि के आगे एक क्वेश्चन मार्क का निशान उठ खड़ा होगा और बाहर बहुत बदनाम होंगे। इसलिए मान्यवर, इनकी रक्षा करें ऐसे आसामाजिक तत्वों की चर्चा हम लोग आपस में नहीं करेंगे तो क्या बाहर वाले करेंगे और पुलिस तो कुछ नहीं करेगी? जैसा कि मैंने पहले कहा कि वह सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हैं और बहुत ऊंचे स्तर से पुलिस पर दबाव पड़ रहा है कि उनको गिरफ्तार न किया जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग आपस में चर्चा कर और आप अपनी ओर से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई उचित दन्ड देंगे तो इससे पूरे सदन की मर्यादा की रक्षा हो सकेगी इसलिए इसपर चर्चा करा दें ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने गम्भीरता के बारे में कहा और उस पर निर्णय लेंगे । मैं तो जो अखबारों में जो छपा है, उसको जानता हूं । अखबार में छपा है कि उनको गिरफ्तार किया जायेगा । चूंकि सेशन चल रहा है, इसलिये, मान्यवर, मैं सूचना चाहता हूं कि माननीय लटूरी सिंह इस माननीय सदन के सदस्य हैं, तो इस गिरफ्तारी और सारे कार्यक्रम में आपकी परमीशन के लिये आपसे कन्टैक्ट किया गया है कि माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

फौजदारी के मामले में केवल उनको गिरफ्तारी की सूचना ही देनी है । मेरी अनुमति की इसमें जरूरत नहीं । जहां तक सूचना की बात है, सूचना हमको मिली है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय देहलवी जी और माननीय मोहन सिंह जी ने अभी माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि माननीय लटूरी सिंह कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं । मान्यवर, उन्होंने इसके लिये कुछ प्रार्थना-पत्र दिया है लेकिन जो सूचना मिली है, वह जिस पार्टी से चुनकर आये थे उसी से है । जहां तक दूसरी बात का संबंध है, हमारी लेजिस्लेचर पार्टी में कहीं ऐसी कोई चीज नहीं स्वीकार हुयी, तो यह कहना कि उनका संबंध कांग्रेस (आई) से है, गलत है । उनका सम्बन्ध कांग्रेस (आई) से नहीं है । वे जिस पार्टी से चुनकर आये थे, उसी पार्टी से हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपा करके शांत बैठ जाय ।

श्री दलगंजन सिंह--

हम नहीं बैठ सकते । उनका विधायक कातिल है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब अध्यक्ष खड़े हों, तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ करता। कौन किस दल का सदस्य है, यह केवल किसी के कह देने से माना नहीं जा सकता है। कौन सा व्यक्ति किस दल का सदस्य है, उसके लिए आवश्यक है कि उसके दल से लिस्ट आवे और हमें उसको स्वीकार करे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

उस सदस्य ने प्रार्थना-पत्र भेज दिया था इसके लिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो यह जानते ही हैं कि जब अध्यक्ष बोल रहा हो, तो नहीं बोलना चाहिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

जब कानूनी तौर पर मौका नहीं देते, तो बोलना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब कानूनी तौर पर नहीं चाहेंगे, तो मौका नहीं मिलेगा । मैं कह रहा था कि कौन व्यक्ति किस दल का सदस्य है, अपने मन से कोई किसी दल का सदस्य कह दे, या किसी दल का सदस्य बन जाय, ऐसा नहीं । वह दल उसे स्वीकार करे और वह दल अध्यक्ष को लिखे कि अब मेरे दल की सूची में इसका नाम आ गया है तो वह व्यक्ति कायदन उस दल का सदस्य माना जाता है। जो सूची हमारे सामने है और जो सूची कांग्रेस (आई) के मुख्य सचेतक ने पढ़ी है और जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है, उसमें दम है और उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है । इसलिये यह कहना कि वह उस दल के सदस्य हैं, न्याय नहीं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मामला शासन में आया है । मान्यवर, जब कोई भी माननीय सदस्य अपना दल बदलता है तो आपके यहां दरख्वास्त देते हैं और उसकी एक प्रक्रिया है । उसमें लिखता है कि मैंने फलाने दल को छोड़ दिया है और इस दल में शामिल हूं। उसको बुलाकर आप अन्त में कह देते हैं । मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से, मान्यवर मालूम हो जाय कि माननीय लटूरी सिंह ने ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र आपके यहां दिया है कि उन्होंने कोई दल विशेष छोड़ दिया है और वे इस दल में सम्मिलित होना चाहते हैं और दिया है, तब कब दिया है जिसका अंतिम निर्णय अभी नहीं हो पाया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई इस तरह की सूचना उन्होंने दी है इसके लिए मुझे कागजात देखने होंगे, लेकिन जो दलों की लिस्ट मेरे यहां है अब तक उसमें उनका नाम जनता (एस) में लिखा हुआ है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मुझे फिर कहना पड़ रहा है इसलिए कि यह लिस्ट आपकी अन्तिम निर्णय के बाद चेंज होगी। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय लटूरी सिंह जी ने कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया है कि हमने इस दल को छोड़ दिया है और इस दल में मैं सम्मिलित हो रहा हूं जिसके आधार पर आप आगे की प्रक्रिया चलायेंगे कि माननीय लटूरी सिंह फलाने दल के मेम्बर हो गये? यदि है, तो वह किस तारीख का है?

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह का कोई कागज है या नहीं इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा।

*श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के सामने जो कुछ कहते हैं सत्य ही कहते हैं। अतः मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय लटूरी सिंह जी कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में बुलाये जाते रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न से इसका औचित्य का प्रश्न कहां बनता है?

श्री राम आसरे वर्मा--

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनको बुलाया जाता रहा है इसकी मुझे निश्चित जानकारी है। इस तरह से अगर यह निश्चित हो जाता है तो वह उस दल के सदस्य माने जायेंगे। कल जब सदन के सामने वोट लेने का मसला होता था तो लटूरी सिंह कांग्रेस विधायक दल के सदस्य थे और जब हत्या की बात है तो उस समय मंत्री जी कह रहे हैं कि वह हमारे सदस्य नहीं हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनको बुलाया जाता रहा है?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने अभी आप से निवेदन किया था कि कांग्रेस दल की बैठक में केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो कांग्रेस दल के सदस्य हैं अन्य को नहीं। जो हमारे पास सूची है, हमारे सदस्यों की सूची है, उनमें उनका नाम कहीं नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

कांग्रेस विधान मंडल दल के सचिव का वक्तव्य देख लें, मान्यवर, जिसमें उन्होंने कहा है कि लटूरी सिंह उनके दल के सदस्य घोषित किये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में कांग्रेस दल के लोगों ने उनसे कहा था कि आप हमारे दल के सदस्य बन जायें हम चुनाव घोषित करा देंगे उस समय उन्होंने कांग्रेस दल की सदस्यता स्वीकार की थी और चूंकि आप कह रहे हैं इसलिए मैं चुप हूं वरना मैं आपको कल दिखलाऊंगा इनके सचिव हैं नरेश, जिनका वक्तव्य है जिन्होंने कहा है कि हमारे दल के सदस्य हैं लेकिन आप.....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी दल के भीतर क्या स्थिति है उससे मेरा वास्ता नहीं है । मेरा वास्ता उस लिस्ट से है जो मेरे सामने है । जब मेरे पास आ जायेगा तब मैं इसको देखूंगा ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, इस मामले में मेरे दल का नाम घसीटा जा रहा है तो इस सिलसिले में मेरा आपसे निवेदन है कि श्री लटूरी सिंह को त्याग-पत्र दिये हुए डेढ़ महीना हो गया और मुझसे उन्होंने व्यक्तिगत तौर से यह कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी को लिखकर दे दिया है और मैं उसका सदस्य हो गया हूं और मैं अध्यक्ष को भी लिख रहा हूं । मैं आपसे स्पष्टीकरण के रूप में बता देना चाहता हूं कि यह मेरी निश्चित जानकारी है कि वह सत्ता पक्ष के लोगों में हैं और सत्ता पक्ष की मीटिंग में जाते थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय प्रदीप कुमार जी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपसे कहा था कुछ लिखित नहीं । अब आपका उनसे क्या सम्बन्ध है यह आप जानें और आपसे उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध जानें ।

*श्री धम्मन सिंह गहलौत--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह 15 दिन के अन्दर दूसरी घटना है हत्या की । अगर इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं । मेरा उनसे भावनात्मक लगाव है, मेरी पार्टी के वह व्यक्ति थे । मैं आग्रह करता हूं कि इस पर आप विचार करें और विचार करने की अनुमति दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस पर विचार करता लेकिन माननीय मोतीलाल जी ने एक बात कही कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है । अब ऐसी स्थिति में अगर मैं इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करूं तो न्याय के हक में यह बात नहीं है और इसीलिये मैंने उसकी अनुमति नहीं दिया । जो मोतीलाल ने प्रस्तुत किया न्याय के हक में इसे स्वीकार करना उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने राजेन्द्र अग्निहोत्री को बुलाया है ।

(समय अपरान्ह 1 बजे)

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सम्पूर्ण प्रदेश की जनता के सामने यह चिन्ता का विषय आया है । आज वैसे ही सम्पूर्ण प्रदेश डाकुओं की समस्याओं से ग्रस्त है । प्रतिदिन डाकुओं के माध्यम से प्रदेश के कई जिलों से अपहरण और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हत्यायें की जा रही हैं और आज यहां यह प्रश्न उठा है कि लटूरी सिंह जी सत्ता पक्ष के सदस्य हैं कि नहीं लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता सभी समाचार-पत्रों के माध्यम से और उनके जिलों में और बाहर भाषण देने से आज जनता यह जानती है कि श्री लटूरी सिंह कांग्रेस के सदस्य हैं । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि कहा गया कि पुलिस पीछा कर रही है लेकिन पुलिस पीछा कर रही है मंत्रियों का कि उनको वह अनुमति दें कि वह लटूरी सिंह को पकड़ सकें लेकिन यह हमको जानकारी है कि मंत्री द्वारा आज दबाव पड़ रहा है कि लटूरी सिंह को न पकड़ा जाय । वे मेरे दल के भूतपूर्व सदस्य हैं मेरा उनसे भावात्मक लगाव है इसलिए मुझे निश्चित जानकारी है कि वे सत्ता पक्ष से हैं । सरकार को यह घोषणा करना चाहिए कि दो दिन के अन्दर लटूरी सिंह जहां भी हों, पकड़कर हाजिर करेंगे और सही हत्यारों को पकड़कर जेल के अन्दर भेजेंगे । आज इस कारण से सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर एक शंका पैदा हो गई है इस सरकार के प्रति । मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूं वहां 5 बजे से लोगों ने घर के दरवाजे से निकलना बन्द कर दिया है । किंतु सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा इस प्रकार के डकैतों से मिलकर के इस प्रकार की हत्यायें कराई जा रही हैं और खुद गड्ढा खोदकर गाड़ा जाता है । यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है और माननीय उपाध्यक्ष जी मेरी मांग है कि इस पर चर्चा करायी जाय और मैं आपके सामने ऐसे उदाहरण पेश करूंगा कि जहां-जहां यह डकैती की समस्या है वह सत्ता-धारी पक्ष इन डाकुओं को किस प्रकार. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

औचित्य के नाम पर चर्चा तो कर ली । अब विराजें ।

(श्री शंकर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सूबेदार सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ माननीय सदस्यों न जिनमें अग्निहोत्री जी भी शामिल हैं लटूरी सिंह का सम्बन्ध कांग्रेस से लिया है, कांग्रेस (आई) शब्द नहीं जोड़ा, इसमें शंका है ।

(व्यवधान) (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

आपने शायद मेरे कथन को नहीं सुना । मैंने स्पष्ट यह कहा था कि जो लिस्ट मेरे सामने है उनका नाम फंला दल की लिस्ट में है ।

श्री अम्मार रिजवी--

किस दल का नाम है, हमको बता दें . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप याद करें जो कुछ मैं कहता हूं उसे दोहराता नहीं हूं । आपका काम है कि यहां सचेत रहे । अध्यक्ष पीठ से क्या कहा जा रहा है उसे सुनें ।

श्री शंकर सिंह--

बचता नहीं माखजे रोजे हिस्र से,

कातिल अगर रकीब है तो तुम गवाह हो।

मान्यवर, यह चाहे जितना अपने गुनाहों पर पर्दा डालें आज इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। जिस दिन फूलन देवी पकड़ी जायेगी उस दिन इनके चेहरे से नकाब हट जायगा।

मान्यवर, यह जो यहां पर प्रश्न उठाया जा रहा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री.....

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, जिस दिन फूलन देवी पकड़ी जायगी पहले शंकर जी उसके साझेदार होंगे....।

क एसदस्य--

आपको अभी से फिक्र पड़ी हुई है....।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं माननीय सदस्य से कहता हूं कि इस विषय पर चर्चा हो जाय कि बुन्देलखंड क्षेत्र में जितनी डकैतियां पड़ी हुई हैं और जो विधायक ने पुलिस से सिफारिश की है वह कौन सा विधायक है, किस दल से उनका सम्बन्ध है। मैं सदन में चर्चा की मांग करता हूं क्योंकि जो विधायकों ने सिफारिश की है....।

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्यवस्था के प्रश्न के नाम से अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं। बैठें।

श्री शंकर सिंह--

बाजपेयी जी ने जो कहा है उसका उत्तर उनको बाद में दूंगा।

यहां पर जो प्रश्न खड़ा हुआ है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे मोती लाल देहलवी जी ने कहा कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है। ठीक है समाचार-पत्रों में यह समाचार आया। लेकिन उसके साथ जो महत्वपूर्ण समाचार जुड़ा है वह यह है कि पुलिस को सरकार ने उनको पकड़ने की परमीशन अभी नहीं दी है। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि वह हमारे सदस्य नहीं हैं। यह प्रश्न यहां पर उठाना नहीं चाहिये था। जो सत्य है आप निश्चित करेंगे....।

श्री उपाध्यक्ष--

अखबार को आधार नहीं माना। देहलवी जी की इत्तला को आधार माना है। देहलवी जी ने कहा कि पुलिस पीछे पड़ी है।

श्री शंकर सिंह--

आपके सामने उनको प्रार्थना-पत्र देना होगा वह निश्चित रूप से आपके सामने आ जायेगा कि किस दल से उनका सम्बन्ध है। किसी दल से उनका

सम्बन्ध हो लेकिन हत्या की गम्भीरता उससे किसी भी हालत में कम नहीं होगी।

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं है कि उन्होंने एक भूतपूर्व विधायक को मरवाया, खेत में गड़वाया और यह कि वह स्वयं उसमें भागीदार हैं। इसके पहले भी अगर आप देखें तो इस तरह की कई घटनायें हुई हैं। भूतपूर्व विधायक छेदा सिंह का मर्डर हुआ। उसमें भी सदन में बहस हुई। यह आरोप लगाया गया और सदन में आया कि सत्ता पक्ष के एक विधायक का उस हत्या में हाथ था। इसके साथ ही आपके मंत्री हैं उनका हाथ आया कि डकुओं के जेब से उनकी चिट्ठी बरामद हुई। इटावा के मंत्री जी की चर्चा है कि वह डाकुओं से सम्बन्धित हैं। दो रोज पहले चारबाग स्टेशन में एक अपहरण हुआ। खादी बोर्ड इटावा के मंत्री जी की चर्चा है कि वह डाकुओं से सम्बन्धित हैं। दो रोज पहले चारबाग स्टेशन में एक अपहरण हुआ। इस कारण शान्ति-व्यवस्था पर सदन की कार्यवाही करें व चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप यह औचित्य पर बोल रहे हैं? मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री शंकर सिंह--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप विषयान्तर बोल रहे हैं। यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री शंकर सिंह--

[× × ×]

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष--

जिन लोगों ने इसकी नोटिस दिया था, उनको मैंने बोलने की इजाजत दे दी।

श्री अनवार मुहम्मद खां--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जरूर कहूं कि यह मेरे बार्डर का मामला है और वहां पर पार्टीबन्दी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी, कृपया बैठें।

श्री सूबेदार सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। एक कार्य स्थगन प्रस्ताव पर आपने चर्चा करा दी और उस पर लोगों

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री सूबेदार सिंह--]

को सुन लिया । इसलिये आप हमको भी मौका दें । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री...

श्री अनवार मुहम्मद खां--

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि क्या आप इस पर सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आप हमें तरीका बता दें कि कौन सा तरीका अख्तियार करें जिससे आप हमें बोलने की इजाजत दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियमावली लेकर पढ़ डालिये उसमें सब तरीका लिखा हुआ है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

अगर आपकी नजर में कोई [× × ×] हो तो कह नहीं सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, किसी भी सदस्य के लिये यह कहना कि वह किस पार्टी से सम्बन्धित है, आसान है लेकिन उसका निर्धारण नियमों के अन्तर्गत होगा । वैसे जब किसी सम्मानित सदस्य के बारे में कोई जिक्र किया जाय तो अच्छा यह हो कि जब वह यहां पर मौजूद हो, उस समय कहा जाय ताकि वह उसका स्पष्टीकरण दे सके । इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है किसी शख्स को सरकार बचाने नहीं जा रही है । कानून में जो प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार काम किया जायेगा । अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है तो मैं चाहूंगा कि उसकी पूरी जांच हो । जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि सरकार नाजायज तरीके से दबाव डाल रही है, मैं उनसे चुनौती के साथ कहना चाहूंगा कि किसी अधिकारी अथवा मंत्री के द्वारा नाजायज तरीके से दबाव डाला गया हो तो सरकार कहीं पर भी दोषी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी । अगर इस तरह से किसी व्यक्ति का दोष पाया जायेगा तो उसका निर्णय न्यायपालिका करेगी ।

दूसरा प्रश्न औचित्य का जो है उसमें जब बजट आपके सामने है उस पर चर्चा चल रही है जैसे डाकुओं के सम्बन्ध में तथा और तमाम बातों के सम्बन्ध में बातें उठाई गयीं तो इसकी चर्चा उस समय की जा सकती है इसलिए कार्यस्थगन अनिवार्य नहीं है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही, से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसीलिए मैंने इसको रिजेक्ट किया ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

अब सिंचाई के बजट पर चर्चा आरम्भ होती है ।

(श्री जियाराम शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अनवार मुहम्मद खां--

इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच हो जाय ।

(व्यवधान)

श्री धम्मन सिंह गहलौत--

इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(व्यवधान)

(श्री धम्मन सिंह गहलोत सदन त्याग कर चले गये)

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, एक बात साफ हो गयी है कि कांग्रेस (आई0) दल में श्री लटूरी सिंह हैं । (व्यवधान) उनको संरक्षण प्राप्त है । हमारा दल इसके विरोध में सदन त्याग करता है ।

(व्यवधान)

(श्री मोती लाल देहलवी लोकदल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मुझे अपनी सूचना पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नरेन्द्र सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य--राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 69--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 104--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 105--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)‡

*श्री जिया राम शुक्ल, 'विकल साकेती'--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जो मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं । मान्यवर,

‡13 मार्च, 1981 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'--]

सत्ता पक्ष जो भी प्रस्ताव रखता है हमारे माननीय विरोधी दल के लोग उसका किसी न किसी रूप में विरोध जरूर करते हैं। जो उधर से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं लेकिन कटौती के प्रस्ताव रखने के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहता हूं, मैं महाकवि कबीर का समर्थक रहा हूं इसलिए कहना चाहता हूं --

निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय,
बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय।

मान्यवर, जो बजट सिंचाई की व्यवस्था के लिए रखा है और जो नये कार्यक्रम रखे गये हैं वह प्रदेश के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं और वे कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर, कोई भी विज्ञान की देन हो उसके दो पक्ष होते हैं एक तो लाभ पक्ष और दूसरा थोड़ा हानि भी होती है। हमारे यहां जो सिंचाई में शारदा नहर से लाभ हुआ है खास कर पूर्वी जिलों में यह किसी से छिपा नहीं है। आज से 10 वर्ष पहले चारों तरफ शोर मचा रहता था, हाहाकार मचा रहता था कि पानी नहीं है और आज स्थिति यह है कि नहरों में पानी इतना है कि किस तरह से उस पानी को खेतों में कम किया जाय। मैंने अभी कल टांडा क्षेत्र के कुछ गांवों का निरीक्षण किया, अरिया के पास छोटे-छोटे माइनर ओवर फ्लो कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था करें कि पानी ओवर फ्लो न करने पाये। किसान के खेत में गेहूं पका है तो उसमें पानी भरा तो नुकसान हो जायेगा।

हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हर बात का दूसरा पक्ष देखते हैं जो अकल्याणकारी होता है, उसी की चर्चा करते हैं और कल्याणकारी पक्ष का नाम नहीं लेते हैं। इस सम्बन्ध में मैं चार पंक्ति पढ़ना चाहता हूं--

बिजली की बात ज्यादा बादल की बात कम है,
घूंघट की बात ज्यादा आंचल की बात कम है।
जाने तुम्हारे दिल में यह कैसी निराशा है,
आंसू की बात ज्यादा काजल की बात कम है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज में सब तरह की चीजें हैं आंसू भी हैं, काजल भी है कांटे भी हैं और फूल भी हैं लेकिन आपका ध्यान हमेशा कांटों की तरफ क्यों रहता है। आप इस पक्ष की तरफ भी देखें कि जो हमारा चमन है उसमें फूल भी खिल रहे हैं। मान्यवर, शारदा सहायक नहरों का ही परिणाम है कि आज रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, शाहगंज आदि क्षेत्रों में जहां पहले पक्षी पीने के पानी के लिए तरसते थे,

आज पानी इफरात के कारण भड़क बोल रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस तरह के कार्य और किये जायेंगे, चलाये जाते रहेंगे तो पूर्वी जिलों का निश्चित ही बहुत कल्याण हो जायेगा। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ट्यूबवेल्स भी आते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक कटेहरी में विश्व बैंक योजना की ओर से कुछ ट्यूबवेल लगाये गये हैं, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

आगे आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मेरे क्षेत्र की बहुत प्रमुख समस्या है, वह है दरवन झील, जिसके बारे में मैं विगत बजट में भी चर्चा कर चुका हूं। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस झील को शारदा सहायक नहर तीन तरफ से घेरती है और उसकी वजह से बरसात में उसका स्वाभाविक बहाव रुक जाता है और वह बाढ़ से क्षेत्र में प्रलयकारी स्थिति पैदा कर देती है। उसके लिए वह कोई योजना बनावें और विशेषकर जो नहर से निकली हुई वाटर माइनरों से पानी लगातार गिर रहा है आज भी गांव में जाने के लिए पानी में घुस कर जाना पड़ता है, उसकी समस्या को ठीक करावें। मेरा विचार है कि इन माइनर्स को झील में न गिरा कर नदी में गिरा दिया जाये, तभी वहां कल्याण हो सकता है। शारदा सहायक नहर के पास जलालपुर साईफन बना हुआ है, वे आगे तक नाला है, वहां तक पानी नहीं पहुंचता है। अतः झील से नहर तक नाला खोद कर साईफन तक पानी पहुंचाया जाये, जिससे उसका पानी फैलकर बह सके। इसके अलावा इन गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को आप सिंचाई विभाग के द्वारा पटवा कर, ऊंचा करवा दें, ताकि लोगों का संकट दूर हो सके। यह बड़े कष्ट की बात है और इसके लिए मैं मंत्री जी से बार-बार अनुरोध करूंगा कि यह काम शीघ्रातिशीघ्र करा दें, ताकि उन गांवों के वासियों को काफी लाभ हो जाये। एक सुझाव मेरा विभाग की ओर है, जिसके लिए विभाग को लिखकर भी दे चुका हूं कि मझुई और तमसा नदी के बीच में करीब एक हजार किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वहां कोई नहर पहुंचाई जाये। वहां ट्यूबवेल तो बहुत लगे हैं, नहरें भी बनवा दी जायं, ताकि पानी का स्तर ऊपर हो जाये और जो पानी नीचे चला गया है, उससे उत्पन्न समस्या हल हो जाए। इसके साथ में पुनः सिंचाई बजट का समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं न चेतना है, न बोझ है, यह विरोध कैसा आपका है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, आपने सिंचाई विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विरोध पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे पूर्व अभी जो वक्ता बोल रहे थे, माननीय विकल जी वह अच्छे कवि हैं और हम उनका सम्मान भी करते हैं। इसी सम्बन्ध में उनकी एक कविता यहां पर मुझे याद आती है—

"कभी इस तरह हम विकल ही न होते,
अगर रूप तेरा निहारा न होता।"

[श्री गौरी शंकर भैय्या---]

मान्यवर, बलिया की जनता सिंचाई मंत्री के रूप को देखकर विकल हो गई है । मैं चाहता हूं कि आपके सिंचाई क्षमता और ट्यूबवेल अधिक से अधिक मात्रा में सिंचाई करने का काम करें, ताकि उनकी विकलता शान्त हो सके ।

(इस समय 1 बज कर 22 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री दिवाकर विक्रम सिंह पीठासीन हुए ।)

प्रदेश की बात तो पिछले दिन भी की गई । कहा गया था कि पूर्वांचल में पानी ही पानी हो गया है । पता नहीं उनके यहां पर कैसे पानी पहुंच गया लेकिन मेरा मानना तो यह है कि पूर्वांचल के 10 जिले ऐसे हैं जिनमें पानी का निशान भी नहीं है । बलिया की ओर दोहरीघाट पम्प नहर योजना बनी, पानी देने के लिए । यह सच है कि बलिया जिले को अधिक से अधिक पानी देने का प्रबन्ध किया जा सकता था । जो नहीं हुआ एक तुर्तीपार प्रोजेक्ट है उससे पानी उठाने में बड़ी दिक्कत हो रही है । वह पानी उठाने में सक्षम नहीं है । वहां पर जो इंजीनियर है उसने कहा था कि अगर घाघरा नदी जो दूर चली गई है उसके लिए एक मशीन जिसकी कीमत 5 लाख रुपये के करीब है, मंगा ली जाय तो जो नदी दूर चली गई है उससे पानी लाने में आसानी हो जायेगी । लेकिन उसके लेने के लिए स्वीकृति नहीं प्रदान की गई । इस समय घाघरा नदी 1 या 1 1/2 किलोमीटर उत्तर चली गई है । उसे दक्षिण दिशा में ले जाने के लिए 1000 मजदूर डेली बेजेज पर लगे हुए हैं लेकिन वह 5 लाख रुपये की मशीन नहीं खरीदी गई । फर्जी मस्टर रोल के जरिये से लाखों रुपये लूटने का काम वहां पर आपके सिंचाई विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार कर रहे हैं । दोहरीघाट योजना के अन्तर्गत दोनों जिलाधीशों के प्रयास से 2 व 1/2 दिन तक पानी रहा । बेलथरा रोड जिस पर वह नहर टूट गई और पानी गांवों में भर गया, अब वहां पर जिनकी जमीनें थीं उनको मुआविजा दिया जा रहा है । गड़वार और चिलिकहर ब्लाक में नहर एक दम काम नहीं कर रही है और किसी गूल में ही पानी जा रहा है । यदि आप अपना प्रोग्राम बना लें तो मैं ब्लाक चिलिकहर और गड़वार दिखा सकता हूं कि वहां पर 40 हजार एकड़ भूमि में केवल इस नहर के कारण न तो गेहूं की फसल बोई ही गई और जो बोई भी गई वह सूख गई है । मेरा मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे दोहरीघाट पम्प नहर को चलाकर हमारे इलाके में पानी दिलाने की व्यवस्था करें ।

हमारे यहां पर एक ट्यूबवेल के इंजीनियर हैं । वे माननीय मंत्री जी के जनपद के पास के रहने वाले हैं । उनका कहना है कि अगर हम जायेंगे तो अपने जनपद की ओर ही ट्रान्सफर होकर जायेंगे । बलिया में 70 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े हैं । इन्हें बनाने का सक्षम प्रयास नहीं हो रहा है । ट्यूबवेल में काम आने वाली बिजली के मोटर, मशीनें और नालियां आदि काम ही नहीं कर रही हैं । पिछले सेशन में भी मैंने यह बात उठाई थी उस समय इस विभाग के मंत्री श्री बलबीर सिंह जी थे । उन्होंने उत्तर दिया था कि बलिया और आजमगढ़ जनपदों में केवल 4 ट्यूबवेल खराब हैं । आज भी आपका यही उत्तर है । मैं बराबर मांग कर रहा हूं कि अगर मंत्री जी देखें तो एक-एक सड़क पर 10-10 ट्यूबवेल खराब पड़े हैं । एक और गांव से सोहांव पम्प नहर पानी लिफ्ट करने की योजना है । वहां पर बक्सर और बलिया को मिलाने के लिए जो गंगा पर पुल है मरौली में । अगर सोहांव पम्प नहर का हैड यहां कर दिया जाय तो यह नहर चलने लगे और उसमें सिंचाई के लिए बराबर पानी आता रहे । पिछले मंत्रिमंडल के समय में भी निवेदन किया था लेकिन आज तक भी कुछ नहीं हुआ । बिहार

सरकार ने कोयलवर-बक्सर बांध बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बचाव के लिए बांध बना रही है। जो बैरिया से आरम्भ होकर मुहम्मदबाद तक जाता है। अधिकारी लोग गंगा के किनारे उस बांध को न बनाकर सड़क के किनारे बना रहे हैं। इसके सम्बन्ध में मेरे जनपद और गाजीपुर जनपद के लोग एतराज कर रहे हैं। अगर इसको बनाना ही है तो आप गंगा नदी के किनारे बनवायें ताकि बीच में जो भूमि पड़ती है, वह बचाई जा सके। मेरी प्रार्थना है कि इस कार्य को तुरन्त स्थगित करा दें और फिर से सर्वे करायें कि वहां के लोग जो कह रहे हैं उसमें कुछ दम है या नहीं। लेकिन मान्यवर, आपके अधिकारी वह काम गंगा के किनारे नहीं करना चाहते, वे उसको सड़क के किनारे पटरी पर बनाना चाहते हैं जिसके लिए वहां की जनता ने घोर विरोध किया है और मंत्री महोदय तक शिकायतें उसके बारे में लिख कर भी आई हैं। मेरा निवेदन है कि आप जिलाधिकारी को कृपया निर्देश दें कि वह इस काम को तुरन्त रोक दें, उसकी फिर से जांच करवाई जाये और यह देखा जाये कि जनता जो कहती है वह सही है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

एक मिनट और दें, मान्यवर। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां शारदा सहायक की एक शाखा रसड़ा तहसील से गड़वार ब्लाक के जगदीशपुर बहादुरपुर की तरफ जा रही है। इसके लिए जो बेल्ट है वह एक फर्लांग चौड़ी है। एक तरफ टोंस नदी है तथा दूसरी तरफ लकड़ा नदी है। यहां 4 सरकारी और 21 प्राइवेट नलकूप हैं। मेरा निवेदन है कि इस नहर को आप रसड़ा तहसील में ही गिरा दें। इसके लिए वहां की जनता ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया है और हाई कोर्ट से स्टे भी ले लिया है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

इस नहर को आपके अधिकारी लकड़ा नदी में ले जा रहे हैं, आप इसे आसानी से रसड़ा तहसील में गिरा सकते हैं। इस मांग को आप स्वीकार कर लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, भारत सरकार की एक महानलकूप की योजना बनी थी और जनता सरकार के समय में हमारे यहां सर्वे भी हुआ था। उस ओर भी सरकार ध्यान दे। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने इस प्रदेश की सिंचता क्षमता को बढ़ाने के लिये तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ को रोकने के लिये यह बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये भी मैं उनका आभारी हूं और उसके लिये जो उनको धन्यवाद देता हूं तथा मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। बस्ती जिला हमारा सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और इस जिले की हरैया तहसील सबसे पिछड़ी तहसील तथा बस्ती जिला घाघरा और बूढ़ी राप्ती नदी के बीच में है। इस जिले का 3/4 हिस्सा हर साल बाढ़ में डूब जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहां की यह है कि यहां सिंचाई के साधन नहीं के बराबर हैं। 4 महीने तक तो हमारा क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता है, उपजाऊ भूमि होते हुये भी लोग खेती नहीं कर पाते। हर साल तमाम उपजाऊ भूमि बाढ़ और नदी के कटान में बरबाद हो जाया करती है। 10-20 गांव हर साल उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिले में नदी के पेट में चले जाते हैं। फ्लड डिवीजन द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से जो काम हुआ है वह नगण्य है।

मान्यवर, हमारे यहां सिंचाई विभाग के 5 डिवीजन हैं और 3 डिवीजन ड्रेनेज खंड के हैं। इनसे ड्रेनेज के काम के बजाय फ्लड रोकने का काम लिया जाता है जो नहीं के बराबर काम हो पाता है। हमारे यहां रामजानकी मार्ग से दक्षिण घाघरा नदी से इन 5-6 सालों में हजारों एकड़ भूमि कट चुकी है। हरैया तहसील में बाढ़ की सबसे अहम समस्या है। इसके बावजूद हरैया तहसील को फैजाबाद फ्लड डिवीजन में कर दिया है, जब कि होना बस्ती में चाहिए। जो वहां का अधिशासी अभियन्ता है, वह फैजाबाद में बैठा करता है। उनका एक डिवीजन बस्ती शवनी में है, उसे उसको देखने का मौका ही नहीं रहता है। इसी प्रकार खलीलाबाद पूरी तहसील को गोरखपुर फ्लड डिवीजन में कर दिया गया है। वहां पर कोई भी कर्मचारी न तो इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, न सहायक अभियंता मौके पर कभी नहीं जाता है। जो भी हम सब विधान सभा के माननीय सदस्य यहां पर पास करके भेजते हैं, उस पैसे को साल भर वे लोग कुछ नहीं करते हैं, जब 31 मार्च नजदीक आता है, तो 15 दिन में सारा पैसा खर्च कर देना चाहते हैं और इस तरह से वे ठेकेदारों से मिलकर घपला करते हैं। आधा काम भी वहां पर नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बस्ती में एक बाढ़ विभाग का और डिवीजन खोल दें जिससे कि बाढ़ की समस्या और कटान की समस्या हल हो सके। बस्ती जिले के उत्तर में ट्रांसराप्ती क्षेत्र है, वहां पर भी बाढ़ की बड़ी भीषण समस्या है। उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाय। इन शब्दों के साथ में पुनः माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से सिंचाई विभाग की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए अपने क्षेत्र के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। वहां पर 90 प्रतिशत भूमि उपजाऊ है लेकिन सिंचाई की व्यवस्था न होने से उपज नहीं होती है। बरिखरा में एवं मुखलिसपुर में जो पम्प कैनाल हैं, वह साल भर खराब रहती है। सिंचाई विभाग से जो एक पुस्तिका मिली हुई है कि कई लाख रुपया मुखलिसपुर पम्प कैनाल के आधुनीकरण के लिए दिया जा रहा है, उसकी सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है. उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी नलकूप, सिंचाई की क्षमता अपने सीमित साधनों के आधार पर हमारी सरकार ने दिया है, मैं चाहता हूं कि उससे भरपूर काम लिया जाय। जो भी नलकूप वहां पर लगे हुए हैं, वहां पर उन्हें या तो बिजली नहीं

मिलती है या अन्य किसी दिक्कत से उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वहां पर 5 मई को जो आंधी आई हुई थी और उसमें जो बिजली विभाग के पोल गिर गये थे, वह अभी तक नहीं उठाये गये हैं। 8 मार्च को मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के हलुआ बाजार दौड़े पर गया था, वहां पिछले दस महीने बाद सरकारी ट्यूब वेल चल सका। बस्ती जिले में जो भी नहरें मौजूद हैं, जो भी ट्यूबवेल मौजूद हैं उनको ही अच्छे ढंग से उपयोग में लाया जाय तो ज्यादा सिंचाई की क्षमता बढ़ सकती है। सिंचाई समिति का मैं सदस्य हूं और उसकी जब बैठक हुई तो मुझे बताया गया कि 8 ट्यूब वेल बस्ती जिले में खराब पड़े हुए हैं, मोटर की गड़बड़ी से। जबकि सही यह है कि आधे से ज्यादा किसी न किसी कारण से हमेशा खराब पड़े रहते हैं। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी सरकारी नलकूप हैं, उन्हें खराब न रहने दिया जाय, उनकी पूरी-पूरी क्षमता का प्रयोग किया जाय। इसके लिए वहां के अधिकारियों पर अंकुश रखें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र के कड़बड़वा से लेकर बनजरिया तक दिलाना चाहता हूं कि वहां ठोकरों को अविलम्ब निर्माण कराया जाय तथा शेखाघाट पर पक्के ठोकर का निर्माण करा दिया जाय जिससे कटान की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाय। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की तरफ से ले जाना चाहता हूं। वहां पर जो राप्ती, गंडक आदि दर्जनों नदियां हैं, वहां पिछले साल में बाढ़ से जो तबाही हुई है उसके अन्तर्गत सरकार ने यह घोषणा की थी कि 70-80 फीसदी जायद की फसलें अगर बरबाद हो गयी हैं तो खरीफ में धान की सिंचाई में पैसा नहीं लिया जायगा लेकिन एक पैसा भी माफ नहीं किया गया। पूरी सिंचाई का पैसा देवरिया जिले में लिया जा रहा है। जहां पर नहरें बिलकुल नहीं चलीं जब रोपाई का समय हुआ धान के लिये तो पानी बरसना शुरू हो गया और फिर नहर के द्वारा भी पानी चला तो जो भी फसल थी वह डूब गयी। इसकी जांच कराई जाय। जहां पर 80 से 100 फीसदी फसलें डूब गयी वहां किसानों को राहत देने के लिये कुछ नहीं किया गया और फर्जी तौर पर वसूली की जा रही है इसको देखा जाय। मेरे जिले देवरिया में राजकीय ट्यूबवेल के दो डिवीजन हैं। एक डिवीजन देवरिया में है उसके इंचार्ज मिश्रा जी हैं और दूसरा डिवीजन गोरखपुर में है उसके इंचार्ज अग्रवाल साहब हैं। यह जो कप्तानगंज, हाटा, रुद्रपुर, गौरी बाजार, देशही देवरिया के ब्लाक हैं और गोरखपुर डिवीजन में पड़ते हैं इनको काट कर देवरिया में कर दिया जाय। इससे यह फायदा होगा कि जो ट्यूबवेल खराब हैं बलवाबाजार वे ट्यूबवेल महीनों वैसे ही पड़े रहते हैं। बरपार, बलवा बाजार के ट्यूबवेल गोरखपुर डिवीजन में हैं इनको भी देवरिया डिवीजन में कर दिया जाय। पिछली बाढ़ के कारण दोराची और दोहरी, कुरना नकटा ये सारे नाले भर गये हैं उनकी सफाई करा दी जाय ताकि पानी बरसात का निकल जाय और पानी से खेत डूबने न पायें। इसी तरह से गंडक के किनारे हुतिमपुर, से परासखाड़ से पटनवापुल तक

[श्री नन्द किशोर सिंह—]

बंधा बनवा रहे हैं उसे कहीं-कहीं रोका जा रहा है तो उसे रोका न जाय, पूरा बंधा चौड़ा करवाया जाय, नदी की गहराई चौड़ी कराई जाय जिससे रास्ता बन जायगा और पानी के कारण जो गांव डूब जाते हैं वे बच जायेंगे ।

एक बात मुझे यह कहनी है कि कुरना नाले पर गौरी बाजार के अन्दर पहाड़पुर टोला रुहिया का पुल बन रहा है जो चार साल से बन रहा है । उसकी दो ताखें पूरी हो चुकी हैं लेकिन एक बच गयी है और काम बन्द है । उसे पूरा कराया जाय । इसी तरह से धमऊर में दोहरी नाले पर एक पुल बन रहा था लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है । 200 बोरी सीमेंट दी गयी लेकिन ठेकेदार और इंजीनियर ये मिल कर उसे बेच लिया और कहते हैं कि सीमेंट नहीं है । इसी तरह से गंडक 3 के अधिशासी अभियन्ता सिंघल साहब हैं जिन पर पचास लाख रुपये के घपले का आरोप है । उनकी जांच कराने की आवश्यकता है । बस्ती में डुमरियागंज का इलाका हर साल डूब जाता है बाढ़ के कारण । उसके लिये कोई स्थायी योजना बनाने की व्यवस्था की जाय । इसी तरह से देवरिया जिले का एक इलाका है रुद्रपुर का जो गौरी गाजार से सटा हुआ है जहां गोरखपुर की तरफ से पानी आने के कारण लगभग 60 गांव पानी से डूब जाते हैं उनको बचाने की भी व्यवस्था करने की कृपा यह सरकार करे ।

मान्यवर, एक मिनट और दे दें ।

अभी पिछले वर्ष हाटा कोली रोड पर डैम विभाग द्वारा एक डैम बनाया गया था, वह पिछली बरसात में बह गया । आपके विभाग द्वारा अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । ऐसा आपका विभाग पुल बनवाता है कि पानी पड़ते ही वह बह जाता है । इसी प्रकार, मान्यवर, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कहना कि सरकार छितौनी आदि देवरिया जिले के सारे इलाकों पर ध्यान दे ।

*श्री सोमांश प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि में सिंचाई का साधन एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है, जिसके बिना कृषि में किसी भी तरह का उत्पादन बढ़ाना असम्भव है । मेरी जानकारी के मुताबिक जिस समय हमें देश में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हमारी सिंचाई की क्षमता 27.5 लाख हैक्टेयर थी, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़कर 52 लाख हैक्टेयर हुई । यह हमारी सरकार की कार्य क्षमता ही है और हमारे अधिकारियों द्वारा मेहनत हुई, उसका परिणाम है । सन् 1981 में 91.17 लाख हैक्टेयर के लगभग हो जायगी । मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे शासनकाल में कार्य नहीं हो रहा है या हमारी सिंचाई की क्षमता न बढ़ी हो । हां, इतना अवश्य है कि जितनी सिंचाई की आवश्यकता है, उतनी अभी हम पूर्ण नहीं कर पाये हैं और यह हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि ऐसा साधनों की कमी के कारण है । हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सिंचाई के साधन अधिक से अधिक बढ़ जायें क्योंकि हम यह जानते हैं कि कृषि का उत्पादन सिंचाई पर ही निर्भर है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मेरे पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी जमुना नहर ही एक ऐसी नहर है, जिससे हम सिंचाई करते हैं। परन्तु हमारे कृषकों को जितनी आवश्यकता है उतना पानी नहीं मिल पाता है। जितना हमारी नहर में क्षमता होनी चाहिये, उतनी नहीं है। वहां पर एक ताजवाला हैड वर्क्स है, उसमें कुछ डिफैक्ट हैं। कोई योजना भी है जो हरियाणा और हमारी सरकार द्वारा मिलकर तैयार होनी है। उसमें कुछ कार्य हुआ भी है, जिससे हमारी जमुना नहर में पानी की मात्रा बढ़ सके।

हमारे पश्चिमी जिलों--मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि में हमने निजी नलकूप के द्वारा ही अधिक से अधिक सिंचाई के साधन किये हुए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक निजी नलकूप और पम्पिंग सैट मिलेंगे। यदि सिंचाई के साधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल जायें, तो हम पूरे प्रदेश के उत्पादन में चार चांद लगा सकते हैं। हमारा किसान गेंहूं काटकर गन्ना बोने जा रहा है। हमें गर्मियों में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, हमें बिजली की भी दिक्कत होती है, डीजल की भी दिक्कत होती है और हम किसी भी प्रकार से उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। किताबों के मुताबिक 15 फरवरी से 15 मार्च तक गन्ना बोया जाता है, लेकिन हमारे किसान गेंहूं काटकर भी बुआई करते हैं। वे एक मिनट भी एक इंच खेत को खाली रखना पाप समझते हैं। शासन जितने ही साधन सिंचाई के उपलब्ध कराये, उतना ही लाभ होगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। मान्यवर, एक और सिंचाई का साधन है-खारा नहर योजना आपकी बन रही है, उससे भी जमुना नहर में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इस योजना को भी आप स्वीकार कराये।

मान्यवर, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी नहर की जो पटरियां हैं उनको पक्का करा दिया जाये तो इससे दो लाभ होंगे। एक तो पटरी कटने की शिकायत समाप्त हो जायेगी और दूसरे ग्रामीण अंचल मुख्य सड़कों से जुड़ जायेंगे। कुछ पटरियां पक्की हुई भी हैं लेकिन यदि इधर कुछ और ध्यान दिया जाये तो इससे बहुत लाभ हो सकता है।

मान्यवर, रजबहे और गूलें जो हैं उनके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि इनकी हर दूसरे वर्ष सफाई होनी चाहिये क्योंकि सफाई न होने से पानी के चलने में दिक्कत होती है और जिससे किसान पूरी सिंचाई नहीं कर पाता है।

मान्यवर, सिंचाई विभाग में एक इक्यूपमेन्ट सेक्शन है जिसके सम्बन्ध में 1975-76 में श्री ओ0 एस0 गहलौत कमेटी बनाई गई थी जिसने सुझाव दिया था कि इस सेक्शन को अलग करके एक कारपोरेशन बना दिया जाये। अतः इसका निगम बना दिया जाये तो अच्छा होगा चूंकि आपके यहां करोड़ों रुपये की मशीनरी द्वारा आपके विभाग का भी काम होता ही है लेकिन यह मशीनरी ठेकेदारों को भी दे दी जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि वह सही ढंग से मशीनरी का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

मान्यवर, हमारे चुनाव क्षेत्र में काठानाला की योजना है। मैं इसके सम्बन्ध में मंत्री जी से कह चुका हूं कि यह योजना बहुत आवश्यक है। यह

[श्री सोमेश्वर प्रकाश—]

बरसाती नाला है इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है । दूसरे यमुना नदी के, जो क्षेत्र हैं, उसमें हरियाणा की तरफ बांध बना है और उत्तर प्रदेश की तरफ आबादी और खेती को हर वर्ष बरसाती पानी से नुकसान होता है । अतः काठालाला की योजना पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और साथ ही अपने क्षेत्र की जनता के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि जिसकी कृपा से मैं आपके सामने खड़ा हो सका हूं ।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री वीर हैं बहादुर हैं और सिंह भी हैं । वीरता से लबालब भरा हुआ बहादुर सिंह अपने ही विभाग द्वारा सिंचाई विभाग निर्मित घुप अंधकार में अकेले भटक रहा है । सिंचाई विभाग के पास आज भी आंकड़े नहीं हैं कि हमारे इस प्रदेश में कुल जलराशि कितनी है । मान्यवर, कर्मनासा से पश्चिम नदियों तक इन दो सीमाओं के बीच में बसे इस प्रदेश में यदि हम जलराशि का उचित उपयोग करें तो इस प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हम धनधान्य से भर सकते हैं । मान्यवर, हमने पहले भी मंत्री जी से निवेदन किया था और उनको धन्यवाद देता हूं कि वह अकेले एक ऐसे यहां सदन में मंत्री हैं जिन्होंने पर्वतीय विधायकों को अलग से बुलाकर पूछा कि आपकी समस्यायें क्या हैं, तो उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि आप चाहे जहां से पैसा लायें लेकिन एक बुनियादी चीज को लेकर पैसे को खर्च करें तो उससे आपका मार्ग प्रशस्त होगा और कल्याण होगा । निवेदन किया था कि सिंचाई विभाग के लिये अलग से यह सर्वे करा लें कि कुल जलराशि प्रदेश में कितनी है । मान्यवर, हमारे यहां स्थिति यह है कि जलराशि घट रही है और नदियों की सतह ऊंची हो रही है । सिल्ट के कारण नदियों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है जिसके मैं आंकड़े दे सकता हूं । पिछले 10 वर्षों में जलराशि की कुल मात्रा में किस प्रकार के परिवर्तन हुये हैं, उनको देखकर मंत्री जी को भी आश्चर्य होगा । इस विभाग के अन्दर पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह का उत्पात किया जा रहा है मैं उसके बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के कुछ बड़े-बड़े अधिकारी आपको बदनाम करने पर तुले हैं । मैं नहीं मानता हूं कि वे लोग जो कहते हैं वह सच हैं । लेकिन जिन परिस्थितियों में यह सब किया जा रहा है इसके लिये मंत्री जी पर ही उंगली उठाई जा रही है, मैं नहीं उठाता हूं वहां की जनता आप पर उंगली उठा रही है । मान्यवर, हमारे यहां एक योजना है लस्तर घाटी योजना । मैंने मीटिंग में शिकायत की थी कि वहां 1/16 का सीमेंट लगाया जा रहा है लेकिन 2 महीने बाद उस अविश्वासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता बनाकर पिथौरागढ़ में भेज दिया गया ।

मैंने सदन में प्रश्न उठाया था मेरे जिले में केमर नहर योजना है जो बनी है और लस्तर घाटी योजना है जो निर्माणाधीन है । पता नहीं कब बन कर तैयार होगी मंत्री जी बता सकेंगे कि वह कब तक बन पायेगी । दोनों योजनाओं में तकनीकी खराबी रही है जिस तरह से वहां सीमेंट में बंगलिंग की गई है वह कही नहीं जा सकती है । केमर गूल का जो हेड है नीचे है और उसकी टेली ऊंचाई पर है । यह मैं नहीं कहता, यह आपके विभाग के बड़े-बड़े तकनीकी

विशेषज्ञ कहते हैं और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। मंत्री जी और इनके पूर्व के जो मंत्री सिंचाई के थे, मान्यवर, पता नहीं इस कुर्सी पर बैठने वालों को क्या हो जाता है कौन सी जड़ी बूटी इस कुर्सी पर बैठकर सुंघाई जाती है। मंत्री जी कुर्सी पर बैठकर नीचे से जो कागज आता है उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मेरे यहां केमर नहर के पानी के बारे में जनता ने हड़ताल की थी आन्दोलन हुआ था और सब कुछ हुआ उसकी जांच हुई किन्तु जांच रिपोर्ट को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया और उसपर अमल नहीं किया गया। आज केमर के अन्दर पानी सप्लाई नहीं होता। हमारे यहां पहाड़ पर जो गूलें होती हैं उन्हें किसानों ने अपने सीमित साधनों से बनाया है। यदि सरकारी निर्माण कार्यों से गूलें टूट जाती हैं तो उन गूलों की मरम्मत न तो सिंचाई विभाग करने को तैयार होता है और न ही पी0डब्लू0डी0 उनकी मरम्मत करना चाहता है। उनको इसका मुआवजा तो मिलता नहीं। नाली भी टूटी पड़ी रहती है। मैं निष्ठा के साथ माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक बार पहाड़ के गूलों की चाहे जहां से हो धन खर्च करके उनकी मरम्मत की व्यवस्था करा दे तो बड़ी कृपा होगी। इन शब्दों के साथ में पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे सिंचाई अनुदानों पर बोलने का मौका दिया। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासन काल में यह प्रदेश आगे गया है सिंचाई विभाग ने भी काफी कार्य किया है और जो बजट आज पेश किया है मंत्री जी ने उससे भी काफी आशा हमको है कि प्रदेश की सिंचाई औसत काफी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ-2 मैं कुछ सुझाव स्वरुप तथ्यों की माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। खासतौर से नलकूपों की बात है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से नलकूपों की जो नालियां हैं उनको देखा जाय तो अधिकांश नालियां इस काबिल नहीं हैं कि उनसे सिंचाई हो सके। नालियां टूट गई हैं और पानी निकल कर बह जाता है।

नालियों में बगल की जमीन बरबाद हो रही है। मैंने इसके सम्बन्ध में विभाग को लिखा लेकिन मेरे लिखने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मैं निश्चित रूप से यह बात कह रहा हूं। जो अपने क्षेत्र की जानकारी के आधार पर है, कि शिकायतों पर कोई ध्यान इस पर नहीं दिया जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां, जहां आप ट्यूबवैलों को बढ़ा रहे हैं वहीं इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उन पर ट्यूबवेल आपरेटर्स हैं या नहीं हैं। जिन ट्यूबवेलों पर आपरेटर हैं वे भी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, चाभियां गांव के किसी आदमी को देकर वह अपने घर चले जाते हैं। जो नये ट्यूबवेल लगे हैं उनमें से बहुत से ऐसे ट्यूबवेल हैं जहां पर आज तक कोई आपरेटर नहीं आया है और उसकी व्यवस्था नहीं कर सका है ताकि किसानों को समय-समय पर पानी सिंचाई के लिये दिया जा सके। इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। कितनी नालियां ऐसी बनी हैं जिन नालियों के इन्ड तक पानी नहीं पहुंचता है, अगर विभाग को लिखा जाय तो विभाग उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने अपने जिले के सम्बन्ध में कई मसलों पर लिखा है कि आप जाकर देखें वहां

[श्री प्रियदर्शी जेतली--]

पानी नहीं जा रहा है, नाली टूट चुकी हैं लेकिन किसी भी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगी है, कोई सुनने वाला नहीं है जैसे शासन नाम की चीज जिले के अन्दर है ही नहीं ।

मान्यवर, मैं नहरों के बारे में कहना चाहता हूं । नहरों का निर्माण आप कर रहे हैं, उनका निर्माण होना बहुत जरूरी भी है । लेकिन अगर आप देखें तो कितने गांव ऐसे हैं जो नहरों के किनारे हैं वहां गाववालों के निकलने का रास्ता कोई नहीं है सिवाय नहर की सर्विस रोड के । अगर गांव का आदमी उस सर्विस रोड पर अपना ट्रैक्टर या बैलगाड़ी लेकर आता है तो उसका चालान हो जाता है और कानूनदार या चौकीदार जो वहां हैं वह पैसा वसूल रहा है इससे किसानों को परेशानी हो रही है । कितने गांव ऐसे हैं जो दो नहरों के बीच में आ चुके हैं और दोनों नहरों के बीच में होने के कारण बरसात में यह गांव डूब जाते हैं । यहां पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है । मैंने इस सम्बन्ध में विभाग को लिखा भी है, शिवलीपुर टन्ना मन्ना, महराजगंज आदि गांव ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ नहरें निकली है या निकल रही हैं लेकिन बरसात में पानी निकालने की समुचित व्यवस्था नहीं है । मैंने आपको लिखा था और आपने आदेश भी दे दिये थे लेकिन आज तक पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है । आनेवाली बरसात में वहां रहने वाले आदमियों को परेशानी होगी और नहरें टूटेंगी तो उनका चालान होगा । वह जुरमाना देगा लेकिन आपका विभाग अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार नहीं है । मान्यवर, मेरे यहां कोंडरा माइनर है । वह गत दो साल में 50 फुट कट चुकी है और करीब डेढ़ हजार बीघे जमीन सैलाब में डूबी है । मैंने इस सम्बन्ध में लिखा भी है लेकिन सिंचाई विभाग का कोई कर्मचारी वहां नहीं गया है । यह जो डेढ़ हजार बीघे जमीन बरबाद हो रही है इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है । क्या इन अधिकारियों को दंडित किया जायगा और किसानों को मुआवजा दिया जायगा । 2 साल से किसान अपनी फसल नहीं ले पा रहा है जबकि वह लगान दे रहा है, लगान देने के बाद भी वह एक दाना नहीं पैदा कर पा रहा है ।

(समय अपरहान 2 बजे)

मैंने कल भी अकबरपुर के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शारदा सहायक को फोन किया था लेकिन वे नहीं मिले । इसके पहले भी मैंने फोन किया था लेकिन पता नहीं था । कोई कर्मचारी उस नहर के कटान को बचाने के लिये नहीं गया है । यहां का कटान तब तक खत्म नहीं होगा जब तक नहर के दोनों किनारे पक्के नहीं बना दिये जायेंगे क्योंकि वहां भी जमीन रेह है । मान्यवर, आप जो सारी योजनायें जनता की राहत के लिये बना रहे हैं अगर सही तरीके से आप योजनाओं को अमली जामा पहनाने में आप के अधिकारी कामयाब नहीं होगें और मेहनत नहीं करेगें तब तक मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सारा पैसा पानी में चला जाता जायेगा । इस प्रदेश में, जिस विचारधारा से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की सरकार चलना चाहती है, देश के गरीबों के उत्थान के लिए काम करना चाहती है, उस काम को हम नहीं करा सकेगें इस लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बात को देखा जाए कि कौन सा अधिकारी इसमें दोषी है या नहीं कि दो साल के अन्दर भी वहां कोई अधिकारी नहीं गया और वहां की समस्याओं को नहीं देखा । मान्यवर, गरीब किसानों के हित को देखते हुए अब तक क्यों नहीं इन्तजाम, हो सका वहां की सारी फसलें बर्बाद क्यों हो रही हैं क्या अधिकारियों के कान तले जूं तक नहीं रेंग रही है । मान्यवर, इसकी जांच करायी

जाए कि कौन सी हमारे इन अधिकारियों को मजबूरी थी कि उनको लिखने पढ़ने के बाद भी वहां जाने से रोका। दूसरी बात मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि वहां उन किनारों को पक्का करवाया जाए और पर्याप्त आवागमन के साधनों की व्यवस्था की जाए वरना इसके अभाव में वहां की गरीब जनता परेशान रहेगी। तीसरी बात जिसकी तरफ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं वहां पर एक शिवलीपुर स्केप बन रहा है, उस स्केप के बनने से किसान और परेशान हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

जो मान्यवर वहां तीसरी स्केप बनने जा रहा है, उससे वहां के किसानों की दुर्गति हो रही।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, अब आप कृपया विराजें, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ अन्त में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने सिंचाई अनुदान पर बहस के समय, मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी सिंचाई विभाग के मंत्री हैं। सिंचाई विभाग अपने में इतना महत्वपूर्ण विभाग है इस प्रदेश की समूची आबादी और सारा प्रदेश इस विभाग पर निर्भर करता है। कृषि विभाग तब तक कुछ नहीं कर सकता, जब तक सिंचाई विभाग उसका सहयोग न करे। लेकिन माननीय मंत्री जी सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग दोनों में उलझकर रह गये हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी इतने अल्प समय में कुछ एक सुझाव देना चाहता हूं। नलकूप के लिए एक कमान्ड बनना था। वह कमान्ड आज तक सही तरीके से किसान को पानी नहीं दे सका, जिससे किसान को काफी नुकसान होता है। यह कमान्ड कभी भी गारंटी नहीं देता कि वह किसान को पूरा पानी देगा। यह बहुत अहम सवाल है कि दो ढाई सौ एकड़ तक पानी देने के लिए यह नलकूप तय करता है कि प्रत्येक किसान को पानी देंगे। लेकिन वह पानी दे नहीं पाता है। इसलिए यह कमान्ड व्यवस्था बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। दूसरे नलकूपों की जो नालियां हैं। चाहे वह 10 वर्ष पूर्व या पांच वर्ष या दो साल पहले की बनी हैं। वह सब की सब नालियां टूटी हुयी हैं। सारी नालियां बेकार हैं जिससे पानी काफी बेकार इधर-उधर चला जाता है और इससे किसानों को परेशानी होती है और किसान से सिंचाई लगान बराबर वसूल की जाती है। इसलिए मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे कृपया इन नालियों को दुरुस्त करवाएं ताकि वह पानी व्यर्थ में न जाए और किसान को

[श्री लल्लू सिंह चौहान--]

पुरी सुविधा मिले । तीसरी बात यह कि यह जो ट्यूबवेल आपरेटर्स हैं, जो मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं वह अपनी ड्यूटी सही तौर पर नहीं देते । अपने घनिष्ठ किसानों में से किसी को चाभी दे जाते हैं, जो भेदभाव के साथ सिंचाई करवाता है, किसी को पानी वक्त से मिलता है और किसी को नहीं । इसलिए इस ओर ध्यान दे ताकि किसान को समय से पानी मिले । दूसरे मान्यवर, जो तकनीकी वर्कशाप है डिवीजन में, उसमें जो स्टाफ रहता है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर मैकानिक व अन्य तकनीकी कर्मचारी खराब मोटरों को तुरन्त ठीक नहीं करते । मोटर जल जाता है । फसल सूखती रहती है और एस० डी० ओ० एक्जीक्यूटिव को लिखित शिकायत के बाद भी मोटर ठीक नहीं होती । यह वर्कशाप की हालत है ।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह कमांड वाली बात नलकूपों पर लागू होती है, वही सवाल नहरों पर भी लागू होता है । डिस्ट्रीब्यूटरीज की जो टेल हो जाती है, इलाके के अराजकतत्वों, खान्दियों और ब्रीचेज की वजह से सशक्त लोग पानी काट लेते हैं और आखिर में सिंचाई के लिये पानी नहीं पहुंचता । इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये कि इस तरह की स्थिति से देश का उत्पादन बढ़ नहीं सकता ।

मान्यवर, एक बात यह कहना चाहता हूं कि मैनपुरी जनपद एक पिछड़ा इलाका है । यहां पर तीन माइनर-कल्हार, फाजिलपुर और पटीकरा, ये मन्जूर हुयी थीं । एक माइनर चार साल पहले मन्जूर हुयी थी लेकिन अभी तक नहीं बन पायी । बाकी दो माइनर्स पर तो अभी कार्य शुरू ही नहीं हुआ । अगर इनको जल्दी बनवा सकें, तो वहां की जनता इसके प्रति बहुत आभारी होगी ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं जो एक सिद्धान्त के बारे में है कि जिले में आप सिंचाई समितियां गठित करें । उन्हीं की बात चले । मान्यवर, अक्सर देखने में आता है कि नहर और ट्यूब वेल मन्जूर कहीं के लिये जिले में होती है लेकिन ट्यूबवेल कहां बनता है । ये टेकनोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स बहुत ही निरंकुश हो गये हैं । ये जनता की तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं देते । जब तक जनता की तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं । ये इन्जीनियर कतई जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते ।

श्री अमर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने, जो सिंचाई का बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हुआ, जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका निन्दा करता हूं । मान्यवर, एक तरफ विपक्ष के हमारे सम्मानित भाई कटौती का प्रस्ताव पेश करते हैं, और यह मांग करते हैं कि बजट एक रुपये का कर दिया जाय, साथ ही साथ दूसरी तरफ अपने क्षेत्र में कार्य कराने की मांग भी करते हैं । मान्यवर, मैं नहीं समझ पाता कि वे कटौती का प्रस्ताव किस आधार पर पेश करते हैं, तो मैं तो अपने उन भाइयों को सुझाव दूंगा कि क्या बेहतर होता कि आप लोग मंत्री जी से मांग करते कि इस बजट को और बढ़ाया जाय ।

इसके साथ ही, मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के कुछ समस्याओं को माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी सिंचाई विभाग के कार्य प्रगति का जो 80-81 का संक्षिप्त विवरण है, उसको आप के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, यह बात खारा नहर परियोजना के संबंध में है। पूर्वी यमुना नहर के हेड के निकट दोनो ओर का क्षेत्र ऊंचा होने के कारण सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जो यमुना से गंगा तक 60 किलोमीटर लम्बा और शिवालिक के नीचे-नीचे है। इसको यहां भाभर क्षेत्र कहते हैं और वहां पर यह धार का क्षेत्र कहलाता है। यह बहुत ही ऊंचा क्षेत्र है, जो खारा नहर योजना बनायी गयी है, वहां ताजेवाला हेड से 8/10 किलोमीटर ऊपर है और 35 फुट गहराई में 7, 8 कि0 मी0 तक गयी है। उससे वहां के क्षेत्र को फायदा होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि यहां पर ट्यूबवेल लगाये जांय। चूंकि वहां की जमीन में पत्थर है और आसानी से मशीन ड्रिल नहीं कर सकती है, इसलिये इसके लिये विशेष किस्म के रिग्स की जरूरत है। लेकिन आज तक उसका प्रबन्ध नहीं किया गया इस क्षेत्र के लिये। मैं दो बार 4-8 को और 28-12 को लिखा। फिर 4-1 को माननीय मंत्री जी को यहां पर लिखकर दे चुका हूं। लेकिन अफसोस कि अब तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में 8-9 सौ फीट की गहराई में ट्यूबवेल्स लगते हैं जो 62-65 के पहले लगे ट्यूबवेल नं0 16, 17, 24, 41, 46, 50, 52, 53, 54, 70, 75, 91 आदि-आदि ये सब बेकार पड़े हैं। इनके लिए भी मैंने मांग की मंत्री जी से। मैं फिर मंत्री जी का ध्यान इनकी ओर दिलाना चाहता हूं कि इन को दोबारा लगाये जाने के लिए शासन से कदम उठायें जायं। इस क्षेत्र में जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वहीं पर बड़ी भीषण समस्या है शिवालिक से निकलनेवाली नदियों से कटाव की। मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत 15-16 बड़ी नदियां बहती हैं जिनका तेज धारा से उपजाऊ और खेती योग्य जमीन हर साल कट कर बह जाती है। इन नदियों का कटाव रोकने के लिये कई बार निवेदन कर चुका हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन नदियों से जो प्रभावित गांव हैं। रामपुर बड़कलां, फतेहपुरपैलियो, कोठरी बहलोलपुर, काशिमपुर मजरापड़ली, पुजनेकी, समसपुर, बादशाहपुर, बंजारेवाला, गुग्गा वाला, हसनपुर मदनपुर, मंडोरा, चिम्मावास, पिदोड़ी, जैतपुर खुर्द, जयंतीपुर आदि-आदि, अगर इन गांवों की इस वर्ष बरसात के पहले व्यवस्था नहीं की गयी तो यह गांव कट-कट कर बह जायेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि आने वाली वर्षा से पहले इन गांवों के कटाव को रोकने के लिए व्यवस्था करने का कष्ट करें....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम हर्ष राय--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, मैं श्री शंकर जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का

[श्री राम हर्ष राय--]

समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6ठीं पंचवर्षीय योजना में 62 सौ करोड़ रुपये इसमें रखे गये हैं, उसमें 37 करोड़ रुपये कृषि और बिजली के ऊपर खर्च करने का प्राविधान है। इससे सिद्ध होता है कि यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी को इस नाते कि मंत्रि मंडल के सदस्यों में अनेक विशेषणात्मक शब्दों से विभूषित नाम के योग्य व्यक्ति को यह विभाग सौंपा गया है लेकिन मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि उत्तर प्रदेश में 174 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है जिसमें 98 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है लेकिन जैसा कि अधिकतर होता है सिर्फ कागज पर माननीय मंत्री जी और उनके अधिकारीगण लखनऊ में बैठकर नहर और माइनर की एरिया निकाल लेते हैं, ट्यूबवेल्स का कमाण्ड एरिया निकाल लेते हैं। मान्यवर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्रफल देखा जाये तो वह 27 प्रतिशत या अधिक से अधिक 30 प्रतिशत ही हो सकता है तो मान्यवर, अब आप देखें इस प्रकार उत्तर प्रदेश में सिंचाई 27, 30 प्रतिशत ही हुई है अब तक, तो जो हमारे प्रदेश की 86 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है, इतना बड़ा जो पैसा कृषि पर और उससे संबंधित जो उद्योग हैं, खर्च किया जा रहा है तो उसकी उपयोगिता भी देखें। इन 86 प्रतिशत आबादी को हमारी सरकार को चाहिए उनको धन्यवाद देना, इनको पुरस्कृत करना क्योंकि अन्न के सम्बन्ध में प्रदेश आत्म निर्भर है लेकिन उल्टे इन किसानों को या इससे सम्बन्धित आबादी के लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती। मान्यवर, इस सदन के तमाम माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जिस समय किसानों को सिंचाई की आवश्यकता होती है उस समय पानी नदारत रहता है चाहे वह ट्यूबवेल का पानी हो चाहे नहर का पानी हो। मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि रबी की बोआई के समय में पानी इतना अधिक छोड़ दिया जाता है कि फसल डूब जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

बहुत माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम हर्ष राय--

मान्यवर, गाजीपुर और बलिया दोनों जिलों के लिए एक अहम सवाल आज खड़ा हुआ है और वह है मोहम्मदाबाद से बलिया तक बांध बनाने की बात। जब जनता पार्टी शासन में थी तो चन्द्र शेखर जी वहां आए थे और पता नहीं किस सिद्धान्त के आधार पर यह बात कही थी और पता नहीं किस विवेक से आपकी सरकार ने भी उसको स्वीकार कर लिया। मान्यवर, यह प्रजातंत्र का युग है और करीब 400 गांव ऐसे हैं वहां कम से कम उनके प्रधान तो हैं, उनसे वहां की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और अगर वह स्वीकृति दें कि बन्धा हमारे उपयोग में है, हमारे हित में है, तो उसे बनाये। इसमें करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। यदि यह बन्धा टूट गया तो गाजीपुर और बलिया डूब जायेगा और आप कुछ नहीं कर पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप बैठ जायं। अब आप कृपया बैठें।

श्री जंग बहादुर—

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने सिंचाई बजट, जो हमारे मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में बोलने का अवसर दिया है। यह हमारा प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 5-6 देशों के बाद सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश का रकबा है। हमारे इस प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और 54 प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है लेकिन यदि हम सिंचाई विभाग को देखें और आज के पहले आजादी के पूर्व जो स्थिति थी उस समय लोग पानी पाताल गंगा से ऊपर लाते थे लेकिन आज 35 वर्षों के अन्दर 1980-81 में सिंचाई की क्षमता हमारे प्रदेश की बहुत बढ़ गई है लेकिन दुख की बात है कि जितना पैसा हमारे शासन से इस विभाग पर लगाया जा रहा है उसके अनुरूप हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। मैं आपके सामने अपने जनपद की बात रखना चाहता हूं। हमारे जनपद के अन्दर कई नहरें बनाई गई हैं। एक जमुनिया के पास नहर है उस नहर के बारे में मैं जानता हूं कि अच्छी तरह से खुदाई नहीं होती, फर्जी ठेका दे दिया जाता है, उनका पेमेंट होता है और उसका नतीजा यह होता है कि कई सौ एकड़ जमीन पानी के अन्दर डूब गई और कई बार कहने के बाद भी हमारे नहर विभाग के अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते। मैं आपको बता दूं कि जमुनिया में एक रामपुर माइनर खजुरा के पास बनाई गई है। 3 वर्ष हो गए लेकिन उसको पूरा नहीं करवाया गया। कई सौ एकड़ की भूमि को वह डुबा देती है। अब भी वहां के खेत पानी से भरे हुए हैं। लेकिन हमारे इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं देते। परिणाम यह होता है कि किसानों को विवश हो कर इस विभाग के ऊपर दिवानी मुकदमा दायर करना पड़ता है। अब ट्यूबवेलों को देखें। हमारे ट्यूबवेल के अधिकारी, मुझे आश्चर्य होता है, जो हमारे ट्यूबवेल के इंजीनियर हैं उनको स्वयं जानकारी में नहीं है कि हमारे जनपद में कितने ट्यूबवेल चालू हैं मैं बता सकता हूं। आंकड़े हम लोगों की जानकारी में हैं। हमारे जनपद में 440 ट्यूबवेल हैं जिन में से 116 कार्यरत नहीं हैं। हमारे इंजीनियर साहब को फुरसत ही नहीं है इन्हें देखने की कौन सा ट्यूबवेल चलता है कौन सा खराब है।... लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपनी बात जल्दी समाप्त करें। क्योंकि समय हो चुका है।

श्री जंग बहादुर—

मान्यवर, मुबारकपुर का ट्यूबवेल खराब हो गया था। वह तीन महीने तक पड़ा रहा फसल सूख गयी। बड़े आग्रह करने पर किसी तरह से उसका ट्रांसफारमर बदला गया। मैं अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा न कह कर दो सुझाव देना चाहता हूं। हमारे ट्यूबवेल के अधिकारी बैठे हुये हैं। मैं इन को बता देना चाहता हूं कि ट्यूब के अन्दर ट्रान्सफारमर और मोटरें बहुत जलती हैं क्योंकि जो बिजली दी जाती है मोटर में वह तीन फेसेज पर जलती है। एक फेस जलता है तो दो फेसेज पर मोटर चलती रहती है। गरम होने के बाद मोटर जल जाती है। इसको रोकने के लिए तीन फेसेज के प्रोटेक्टरों की व्यवस्था की जाय और जिस तरह से पंजाब वगैरह में रस्सी की जाली लगती है वह लगाई जाय। हमारे यहां तार की जाली लगाई जाती

[श्री जंग बहादुर --]

है जिस में मिट्टी भर जाने से वह नलकूप बन्द हो जाता है और उसमें पानी भी कम हो जाता है और जाली महंगा भी पड़ता है । पंजाब वगैरह में जो रस्सी लगाई जाती है वह लगाई जाय और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से निकाला जा सकता है सस्ती कीमत पर उसे बदला जा सकता है । इन शब्दों के साथ में मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जय दीप सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, अपनी बात संक्षेप में कहें क्योंकि समय समाप्त हो चुका है ।

श्री जयदीप सिंह--

माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि सिंचाई की सुविधा में विस्तार हुआ है और शासन ने भी अपनी पीठ ठोकी है, इस में कोई शक नहीं है कि 30 साल में जो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ वह सिर्फ कागजों तक सीमित रहा, खेतों तक नहीं पहुंचा । यह सिंचाई विभाग द्वारा दी हुई पुस्तिका है, जिसमें आपने सिंचाई की सुविधा का विस्तार 28.67 लाख हेक्टेयर से 91.17 लाख हेक्टेयर दिखाया है । मंत्री जी इस तरफ गौर करें तो उन को पता चलेगा कि उनके विभाग की क्या कारगुजारी है । शुरू के योजना काल पहले वास्तविक सिंचाई की सिंचन क्षमता का 96 प्रतिशत थी, जो बाद में 86 प्रतिशत फिर 80 प्रतिशत फिर 66 प्रतिशत और इस समय 59 प्रतिशत है । आपने इस साल 91.17 लाख हेक्टेयर का सिंचन क्षमता का लक्ष्य रखा है और वास्तविक सिंचाई 53.65 लाख हेक्टेयर का यदि माननीय मंत्री जी एक रुपये कटौती के प्रस्ताव से सहमत नहीं भी होते हैं उनसे आग्रह करूंगा कि 40 प्रतिशत तो बजट में कटौती कर ही लें । उसमें उतना ही पैसा लें जितना इनका विभाग कार्य वास्तव में कर रहा है । उससे अधिक सदन से पैसा मांगने का उनको हक नहीं है ।

मान्यवर, यह जो सिंचन की क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है इसके पीछे, जो कारण हैं, वह कारण सभी को मालूम है । सिंचाई विभाग का विस्तार हुआ, भ्रष्टाचार का विस्तार हुआ, ठेकेदारों का विस्तार हुआ और जो गलत डिजाइनिंग हो गई उसकी वजह से सिंचन क्षमता का उपयोग नहीं हो सका । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपने विभाग में ऐसा सेल गठित करें जो यदि सिंचन क्षमता का उपयोग सही न हो तो डिजाइन करने वालों के और एक्सीक्यूट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय । मान्यवर, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की बात तो ठीक है । परन्तु मंत्री जी के विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रोफारमा को अगर देखें तो एक ट्यूबवेल पर जो 80-81 में लगाये गये 6.30 लाख रुपया खर्च किया गया, 500 ट्यूबवेलों पर 32 करोड़ रुपया खर्च है । ये ट्यूबवेल 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे चले । मंत्री जी स्वयं ही जानते हैं कि विद्युत् की कमी है, तो आप यह देख सकते हैं कि 24 लाख रुपया खर्च करके आपका यह विभाग केवल 200 एकड़ कमान्ड एरिया को ही सिंचित कर पायेगा । इससे अधिक सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्या हो सकता है । इसके अतिरिक्त मंत्री ने कहा कि जहां पर पानी नहरों से सीपेज

से बाहर आ गया है वहां पर जमीन ठीक करने के लिये ट्यूबवेल लगाये जायेंगे। तो इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे फिर 6 घंटे ही चलेंगे और सीवेज ठीक नहीं होगा। इसलिये मेरा आग्रह है कि आप उन नहरों को पक्की करा दें या उनके पानी की निकासी के लिये ड्रेनेज बना दें जिससे पानी अपने आप निकल सके।

मान्यवर, सारे विश्व में इस समय ऊर्जा का संकट है और आने वाले कई वर्ष तक रहेगा। अभी पावर मिनिस्टरों की कांफ्रेंस हुई तो कहा गया कि 1990 तक बिजली की कमी रहेगी। मंत्री जी भी ने भी अभी कहा कि ऊर्जा का संकट प्रदेश में है, वह भी नहीं हो और सिंचाई भी हो सके इससे मेरा आपसे आग्रह है कि जहां पर दूसरी सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके, उनको आप अवश्य लें। मान्यवर, रोहिलखंड में बरेली और रामपुर जनपद में जितने बन्धे हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर बल्ली, हेरा और संख जो बांध बने हैं वे कच्चे बने हैं। वह जनवरी में बांधे जाते हैं और इनसे सिंचाई नहीं हो पाती है। यहां की स्थिति यह है कि यहां जो नदियां हैं इनमें पानी की रीजेनरेशन काफी होती है गर्मियों में भी इन नदियों में पानी उपलब्ध रहता है। पिछले साल जब बड़ी-बड़ी नदियां सूख गई थीं फिर भी इन नदियों में 30/40 क्यूसेक पानी इन नदियों में था। किन्तु इन नदियों पर बांध नहीं बांधे गये और नहरों में यहां से पानी नहीं लिया गया। मान्यवर, यह जो बल्ली बांध वहां पर है वह 1924 में बांधे गये थे और बाढ़ में वह भी गया था। नहरें इसकी मौजूदा हैं। नई नहरें बनाने के लिये कोई खर्च भी नहीं होगा और न कोई नई भूमि ही लेने की जरूरत है, इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पक्का बांध बांधा जाय। इस रेगुलेटर पर केवल 40/50 लाख रुपया खर्च होगा और और 15/20 हजार एकड़ जमीन पर सिंचाई होगी। इससे शासन को भी लाभ होगा और किसान भी इससे लाभान्वित होंगे और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि किसी इनर्जी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत कम खर्च में अधिक सिंचाई हो सकेगी।

मान्यवर, बरेली में एक चकधान की प्रथा है। उससे सिंचाई किए बिना ही धान की आबपाशी वसूल की जाती है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि उस प्रथा को आप समाप्त कर दें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने जो सिंचाई का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह बात बहुत साफ है कि सिंचाई इस देश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना अन्न उत्पादन के किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का समाधान फंस जाता है। इसके लिये सिंचाई अत्यन्त आवश्यक है। कृषि के मामले में चाहे जितनी खाद और बीज उपलब्ध किये जांय किन्तु अगर पानी की समुचित व्यवस्था न की जाय तो निश्चित रूप से खेती अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिये खाद्य उत्पादन के लिये सिंचाई की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। सिंचाई मंत्री महोदय ने सिंचाई के हर

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--]

विभाग, चाहे वह नलकूप हो, लिफ्ट कैनाल हो, चाहे बन्धे हों, नहर योजना हो, चाहे विश्व बैंक की योजना हो सब चीजों का ध्यान रखकर कृषि के विकास के लिये सजग रहने की बात कही है और उन्होंने ऐसा किया भी है । इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । साथ ही अपने क्षेत्र के बारे में दो-एक बातें उनके सम्मुख रखना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र चन्दौली है । वहां पर नहरें भी हैं, उप नहर भी हैं, लिफ्ट कैनाल भी चल ई गई हैं । वहां पर एक नारायण पम्प नहर है ।

लेकिन तब भी वहां पानी की समस्या बराबर बनी हुई है । इसका कारण यह है कि (लाल बत्ती) मान्यवर, इतने कम समय में हम कुछ भी नहीं कह पायेंगे । मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिये । इतने कम समय से काम कैसे चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में समाप्त करिये ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मैं कहना चाहता हूं कि चन्दौली में नलकूप के लिए 5 क्लस्टर निर्धारित किया जाये । हमारे चन्दौली विधान सभा क्षेत्र में चन्द्रप्रभा और गंडरई नदियों में पटाव हो गया है । पानी मैदान की तरह बहता है । उसका सर्वे कराकर चौड़ी कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है । मैं निवेदन करता हूं कि इन नदियों को खोद कर गहरा किया जाय । इसके साथ ही नारायणपुर पम्प नहर से सौ क्यूसेक पानी की व्यवस्था चन्दौली के लिए की जाय । चन्दौली में रायलताल से एक नाला निकलता है जो आगे जाकर अगहर और बहरिया नाले में जाकर गंगा में मिलता है फिर गंगा में मिल जाता है उसको खोद कर गहरा किया जाय उससे दो समस्याओं का हल हो सकेगा एक तो बरसात में पानी निकल जायेगा और दूसरा उसको सिंचाई के लिए नहर के रूप में लेकर उस क्षेत्र की सिंचाई अच्छी तरह से की जा सकती है ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं जितनी हमारी नहर की शाखायें निकलती हैं उनके टेल तक पानी नहीं जाता है । मैं सिंचाई मन्त्री जी से मांग करता हूं कि जो नहरें बनी हैं उनके टेल पर एक-एक ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दें । मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री शंकर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, उनका मैं आभारी हूं और साथ ही जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये उनको मैंने बड़े गौर से सुना । मैं इस पक्ष के माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने पूर्ण रूप से मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया और उससे भी कहीं ज्यादा उस पक्ष के सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने जैसे रामायण में एक संपुट होता है "हरहु नाथ मम संकट भारी" उसी तरह मन्त्री जी बजट का कहने को समर्थन किया लेकिन उनके पूरे भाषण में जो बातें कही वह इस पक्ष से कहीं ज्यादा सत्य और कटु थी । मान्यवर, मन्त्री जी के नाम का गुणगान किया जा रहा है और बहादुर मैं सुविधा के लिए उनको बी० बी० जी० कह लूंगा उनकी सेरेमरी हुए 9 महीने हो गये हैं लेकिन आज तक कोई डिलिवरी नहीं दिये । यह सरकार

अपने को किसानों की सरकार कहती है मैं बुन्देलखंड की बात बताना चाहता हूं 15 रोज पहले यह मामला आया था कि बेतवा कैनाल नहीं चल रही है दो महीनों से वहां के किसान अधिकारियों से गिड़गिड़ा रहे हैं कई प्रार्थना-पत्र दिये समाचार पत्रों में भी सूचना दी कि ललितपुर, जालौन और झांसी जिलों में फसल बरबाद हो गयी है लेकिन कोई बात नहीं सुनी गयी। जब 13 ता0 को बजट आया तो माननीय मन्त्री जी ने सूचना दी कि बेतवा कैनाल चालू कर दी गयी है। आपके किसान कक्ष से मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि बेतवा नहर कल सबेरे चालू हुई है और वह भी दो हजार क्यूसेक पानी आयेगा उससे ज्यादा नहीं और वह तीन दिन के लिए है कि जो नहर पूरी क्षमता से चल ही नहीं रही है, उससे किसानों की पूरी आबपाशी हो जाएगी ? उससे किसानों की आबपाशी कतई होने वाली नहीं है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने जो किसान-कक्ष स्थापित किया है उसके बारे में। आपकी किसान-कक्ष की योजना अच्छी योजना है, लेकिन किसान आपके किसान कक्ष तक पहुंच ही नहीं सकता है, तो ऐसे कक्ष से उसका क्या हित होने वाला है ? आपने 7वीं मंजिल पर उस किसान कक्ष को बनाया है, आटोमेटिक लिफ्ट के रास्ते वहां तक पहुंचना होता है। प्रदेश का कौन वास्तविक किसान ऐसा होगा जो वहां तक जाने का साहस कर सके या वहां पहुंच सके। कोई किसान आटोमेटिक लिफ्ट से और इतने गार्डों आदि के बीच से होते हुए वहां कैसे पहुंच सकता है ?

आपने किसान के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उस कक्ष को खोला है, लेकिन वहां होने से यह उद्देश्य जरा भी पूरा नहीं होगा। अगर अकेला वास्तविक किसान किसी तरह धोखे से उस लिफ्ट में फंस गया तो उसका तो हार्ट-फेल ही हो जाएगा। अब पुनः मैं बेतवा का जिक्र करना चाहता हूं। जब बेतवा कैनाल से झांसी की पेयजल योजना चालू की गई थी, तो यह निश्चित था कि उसके कारण से आपके सिंचाई के हितों की हानि होगी और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कहा गया था कि ऐसा होने पर आप उससे वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहेंगे। जब दो साल से पानी नहीं मिला है, नहरें फसलों को पानी दे नहीं सकती हैं, तो उससे ज्यादा अहित किसान का और आपका क्या हो सकता है। इसलिए अब वैकल्पिक सहायता के लिए स्वायत्त शासन विभाग से कहें और इन चार जिलों--झांसी, ललितपुर, हमीरपुर व जालौन के किसानों को जो क्षति हुई है, उनकी क्षतिपूर्ति की जाए, लगान माफ हो और आबपाशी माफ हो। बाढ़ की बात को पूर्वी जिलों के लोगों ने उठाया है, वह वास्तव में उनकी एक समस्या है। 218 करोड़ रुपये की जब आपकी मास्टर प्लान योजना है, तो उसमें से आप साढ़े 22 करोड़ रुपया ही क्यों खर्च करने जा रहे हैं। आपको तो उसके लिए युद्धस्तर पर काम करना चाहिए। आप एक वर्ष में 290 करोड़ रुपये की क्षति बाढ़ में सहन कर सकते हैं, 6 हजार मवेशियों को जान जा सकती है, साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो जब इतनी बड़ी क्षति हुई है तो आप उसे युद्ध स्तर पर लीजिए। आप तहसील स्तर पर सहायता बंटवाते हैं, आपने साढ़े 22 करोड़ रुपया इसमें बांट दिया, लेकिन वह बर्बाद गया है। जो किसान बिलकुल बर्बाद हुए हैं, बेघरबार हुए हैं, उनको कोई सहायता नहीं

[श्री शंकर सिंह—]

मिली है, उनके घर अधूरे पड़े हैं, लेकिन बीच के लोग मुस्तंडे लोग धींगामुश्ती करके, अधिकारियों से आधा-साझा करके आपकी सारी की सारी सहायता हड़प जाते हैं। सारे प्रदेश और जिलों की यही हालत है। अतः आप इसको बन्द कीजिए और जितना रुपया आप इस तरह से बेकार में बांटते हैं, उससे गांवों में ड्रेनेज बनवाइये, उस पर यह धनराशि खर्च कीजिए, तो उससे गांव वालों का बड़ा कल्याण हो सकता है। वर्ल्ड बैंक वाले बहुत से ट्यूब वेल्स लगा रहे हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। जितने ज्यादा से ज्यादा लगाये जा सकते हैं, लगाए जाएं। लेकिन विशेषकर जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। उनका ध्यान ज्यादा रखा जाए, जैसे बुन्देलखंड का क्षेत्र है। कुल 19970 ट्यूब वेलों में से 8934 पूर्वी जिलों में, 8890 पश्चिमी क्षेत्र में और केवल 638 ट्यूबवेल बुन्देलखंड में हैं। तो कब वक्त आयेगा जब आप पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर ध्यान देंगे उनकी ओर देखेंगे। एक तो आपने बुन्देलखंड के अधीक्षण अभियन्ता नलकूप को इटावा में बैठा दिया। इससे रोज गाड़ियां दौड़ती हैं, विभाग पर उसकी कोई पकड़ नहीं है, उनका कोई सम्पर्क नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि वे कुछ काम कर सकें तो उनको उरई (ORAI) में बैठा दीजिए।

जहां तक नलकूपों का प्रश्न है आपने उनका एलाटमेन्ट बांदा, जालौन और हमीरपुर जिलों में इसलिए नहीं किया क्योंकि डी0 पी0 ए0 से ट्यूबवेल मिल जायेंगे लेकिन भारत सरकार ने फंड भी काट दिया। जो एलाटमेन्ट डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत किया गया वह भी काट दिया गया। हमारे यहां पर जो रिग मशीनें जालौन और हमीरपुर में चल रही थीं वे भी इलाहाबाद चली गयी हैं। हमको पहला कोटा भी नहीं दिया गया। आपने अमेठी में 51 और सिदकरी में 25 नलकूपों का स्पेशल कोटा दिया है। आप एलाटमेन्ट कर दें लेकिन स्पेशल कोटा देने का नया संकट न पैदा करें। आप हमको कमान्ड एरिया में वर्ल्ड बैंक की मदद न दें लेकिन कम से कम हमें जो स्टेट प्लान में हमारा हिस्सा है उसमें तो दें। 'पिला दे ओक से साकी गर हमसे नफरत है प्याला गर नहीं देता न दें शराब तो दें'।

अब मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय अम्मार रिजवी साहब से भी एक बात कहना चाहता हूं। उनका विभाग भी सिंचाई विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। आपके बजट में बुन्देलखंड से छोटे किसानों के लिए पम्पिंग सैट खरीदने की बात कही है। उस पर आप 50 प्रतिशत की छूट भी देते हैं। हमारे यहां पर शिकायतें हैं कि रातों रात पम्पिंग सेट्स के डीलर खड़े रहते गये हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनका परसेन्टेज फिक्स हो जाता है। वे लोग किसानों के पास, जो कि भूखों मर रहे हैं, जाते हैं उनसे कहते हैं कि 2 हजार रुपया देंगे और पम्पिंग सेट दिलवा देंगे। वे खुश हो जाते हैं लेकिन उनको 2,000 रुपया देकर कागजों पर उनके दस्तखत करा लेते हैं। बैंक्स के मैनेजर्स की सांठगांठ से 10-10, 11-11 हजार रुपये के ऋण डाले जा रहे हैं और 2-3 साल बाद जब उन किसानों पर वसूली का इन्टर पड़ेगा तो वे लोग नाहक में ही मारे जायेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्कीम का बड़ा ही दुष्प्रभाव उन बेचारे छोटे किसानों पर पड़ेगा। अधिकारी लोग कुछ सुन नहीं रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि बुन्देलखंड की जो आपकी राजघाट की योजना है या पंचनद की योजना है। उसमें तेजी लाई जाय। उससे न केवल बुन्देलखण्ड के जिलों का अपितु उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, उनको भी लाभ पहुंचेगा। मैं माननीय गौरी शंकर का आभारी हूं कि वे इस इलाके के बारे में यदा कदा अपनी बात रखते रहते हैं। जिसका

प्रोफिट रेश्यो 6.1 का हो यदि उस कार्य को प्राथमिकता नहीं देंगे तो और किसको देंगे। गोरखपुर और महाराजगंज, के जो क्षेत्र हैं, वहां के लोगों के पत्र मेरे पास आये हैं कि पुलों और पुलियों में घटिया किस्म की ईंटें लगायी जा रही हैं, सीमेंट बेचा जा रहा है। हर जगह की समस्यायें हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अब मैं थोड़े से सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी-अभी माननीय सदस्य रामनरेश ने कहा था कि विधायकों के जो सुझाव हों उनको नोट कर लें। सभी माननीय सदस्यों की यह आम राय है कि नहरों और नलकूपों के कमाण्ड वास्तविक हों। नलकूपों को बिजली सुनिश्चित करके बिना किसी कटौती के दी जाये। विभाग में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कदम उठाये जायें। नहरों और लिफ्ट कैनाल की क्षमता बढ़ाई जाये। इन शब्दों के साथ में उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने इस बजट को वापस लेने की कृपा करें।

(व्यवधान)

*सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने, चाहे वे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, सभी ने यह माना है कि सिंचाई बढ़ी है और आज हम लगभग 91 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई कर पा रहे हैं। यह जो काम हुआ है यह छूमन्तर में नहीं हुआ है। काफी काम हुआ है और अभी काफी काम होना शेष है। यह बात सही है कि हम जो 174 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई करना चाहते हैं वह नहीं कर पाये हैं और अभी भी बहुत सा एरिया ऐसा बचा है जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

कटौती के प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि खेती की सघनता बढ़ायी जाये। यह सही है, हम वास्तव में उसे बढ़ाकर 200 परसेंट करना चाहते हैं। जब तक हम 4 फसलें पैदा नहीं करते, तब तक 200 परसेंट तक ले जाना सम्भव नहीं है। उसके लिए हमारा भरसक प्रयास जारी है और उस दिशा में हम आगे निरन्तर बढ़ रहे हैं। इसके लिए जो असंतुलन बढ़ा है उसे हमें दूर करना है।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर-मेरठ में जो कृष्णा-हींडेन लिफ्ट कैनाल योजना है, उसके बारे में कृपया बता दें, क्या कर रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[नरेन्द्र सिंह--]
हैं ? मैंने पिछले साल भी प्रश्न किया था पर उसका जवाब उस वर्ष भी नहीं मिला ।

(इस समय 2 बजकर 49 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैं जो कह रहा हूं माननीय सदस्य कृपया उसे सुन लें, फिर जो प्रश्न करना चाहें बाद में पूछ लें ।

मैं यह बता रहा था कि सघनता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं । सिंचन क्षमता को भी हम बढ़ा रहे हैं, पर हमारे किसान भी कुछ जागरूक कम हैं ।

(व्यवधान)

किसान उसका उतना लाभ नहीं उठा पाते जितना उठाना चाहिये । कभी-कभी उनके द्वारा भी रुकावटें डाल दी जाती हैं । जैसे नहर तो बन गयी, लेकिन माइनर बनाने से लिए यदि जमीन मिलने में कठिनाइयां उत्पन्न की जाती हैं तो काम रुक जाता है । उनके अवरोध पैदा करने के कारण कभी-कभी जो काम हम तेजी से करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं । दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि राजकीय नलकूपों का कमाण्ड क्षेत्र 120 था, इसे घटाकर 100 हेक्टेयर कर दिया गया है । अगर हमें बिजली मिली 24 घन्टे तो 100 हेक्टेयर सिंचाई करना मुश्किल न होगा । इससे कम करने से बहुत फायदा नहीं होने वाला है । अब तो हम चाहते हैं कि इससे सारा एरिया ले सकेंगे, तो उससे ज्यादा फायदा हम पहुंचा सकेंगे । नहर सीपेज जहां-जहां पर होती है, उसे रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं । उसके किनारे नालियां बना रहे हैं । और तरीके से जहां-जहां पर ड्रेन की जरूरत होती है, वहां पर ड्रेन भी निकाल रहे हैं । हम जानते हैं कि जहां पर सीपेज हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है । उसे रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, हमने कहा है कि गंडक कमाण्ड से 250 नलकूप लगाने का हम काम कर रहे हैं और जहां-जहां पर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसको हम करेंगे । हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि और भी तरीके से जिस तरह से हो सके कि नहरों में जहां पर टेल पर पानी नहीं पहुंचता है, जहां पर पानी हम कम दे पाते हैं, वहां पर पानी बढ़ाने के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं । मान्यवर, अगर कोई भी इलाइनमेंट एकबार तय कर लिया जाय, यदि कोई टेक्निकल बात नहीं पड़ जाती है, तब तक उसे बदला नहीं जायगा । जहां कहीं भी इस तरह की शिकायत आती है, तो उस पर कार्यवाही की जायेगी । नहरों की पटरियों को पक्का करने के लिए हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग से कहा है कि अगर तैयार हैं, तो हम उन्हें इसे देने के लिए तैयार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहरों की पटरी के बारे में जो आप कह रहे हैं, क्या पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर साहब वह सुन रहे हैं ?

(हंसी)

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अड़वा बांध जो है, उससे 11,309 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई । यह नहीं कहा जा सकता है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल उससे

सिंचाई कम हुई है और काम नहीं हुआ। मान्यवर, नरेशचन्द्र अग्रवाल ने कहा कि वाटर लागिंग होती है, तो मान्यवर, इस बार हर जिले को वाटर लागिंग कैसे रोकी जाय, इसके लिए हर जिले का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और यह प्लान बना कर कोशिश की जायगी कि उससे वाटर लागिंग खत्म किया जाय। इस दिशा में काफी तेजी से काम हो रहा है। नदियों के कटान के बारे में सर्वेक्षण हो रहा है। रपती से जो कटान हो रहा है, उसका भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। अगर यह योजनाबद्ध काम नहीं होगा, तो सही माने में हमको उस तरह से लाभ नहीं हो पायेगा, जैसा हम चाहते हैं। माननीय शंकर सिंह ने जैसा कहा इस बात के लिये प्रयास किया जा रहा है कि जो योजनायें बन रही हैं उनको समय के अन्दर पूरा कर लिया जाय। जैसे सरजू सहायक परियोजना है उसे तुरन्त पूरा कर देना चाहते हैं लेकिन जमीन न मिलने से अवरोध पैदा हो जाता है और उसके कारण विलम्ब होता है। शारदा सहायक परियोजना को 82 तक पूरा कर दिया जायगा। दिक्कत यह है कि कोर्ट में लोग चले जाते हैं जिससे तरह-तरह की रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तेजी से काम नहीं चल पाता है और विलम्ब हो जाता है लेकिन सरकार यही चाहती है कि सारा काम समय से पूरा हो जाय तो दूसरा काम शुरू हो सकेगा और जो पैसा लगाया जाता है उससे तुरन्त फायदा मिलने लगे।

ऊदल जी ने कहा है कि इस विभाग का पुनर्गठन किया जाय। मैं भी समझता हूं कि पुनर्गठन करना बहुत जरूरी है। यह विभाग इतना बड़ा हो गया है कि उसका पुनर्गठन होना नितान्त आवश्यक है ताकि सही ढंग से काम चले और रुपये का मिसयूज न हो, कोई गड़बड़ी न होने पाये और प्रोजेक्ट सही बने। निर्णय ले लिया गया है और जल्दी ही हम इसका पुनर्गठन करने जा रहे हैं। ऐसा होने पर जो विलम्ब होता है वह नहीं होगा और शिकायतें आती हैं वे भी दूर हो जायंगी।

जहां तक नलकूपों का सवाल है उनको बिजली नहीं मिलती है अथवा समय से वह नहीं बन पाते हैं इसके लिये प्रयास किया जा रहा है कि उनको जल्दी बिजली दे दी जाय ताकि काश्तकारों को जल्दी पानी मिल सके। इस कार्य हेतु एक राज्य मंत्री लगाये गये हैं जो बिजली तथा नलकूप दोनों को देख रहे हैं ताकि इस कार्य में विलम्ब न हो।

(समय अपराह्न 3 बजे)

मुआविजे का जहां तक सम्बन्ध है इस बात का प्रयास किया जा रहा है है कि लोगों को वक्त से मुआविजा मिल सके। यह कहा गया कि 50 करोड़ की मशीनें और 10 करोड़ के स्पेयर पार्ट्स बेकार पड़े हैं। कुल 508 मशीनों, में 340 मशीनें काम पर लगाई गयी हैं। 75 मशीनों की मरम्मत हो रही है जिनसे काम लिया जायगा। केवल 81 मशीनें ऐसी हैं जो कि काम लायक नहीं हैं, पुरानी हो चुकी हैं और इस्तेमाल नहीं की जा सकतीं। इनके लिये नीलामी कार्यवाही करनी होगी। इसमें विलम्ब जरूर हुआ है। 5 करोड़ के स्पेयर पार्ट्स हैं जो मशीनें

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

काम कर रही हैं उनमें वे इस्तेमाल होंगे । मशीनों के स्पेयर पार्ट्स साथ ही साथ लिये जाते हैं ताकि मशीनें खराब होने पर बेकार न पड़ी रहें । जितने पार्ट्स की जरूरत होती है उनका इस्तेमाल होता जा रहा है । सरयू गंडक कैनाल से पहले ट्रैक्टर खरीद लिये गये । ऐसी कोई बात नहीं है । यह योजना 75 में बनी थी, 78 में स्वीकृत हुई और 79 में ट्रैक्टर खरीदकर 80 से उनके द्वारा काम शुरू कर दिया गया । ट्रैक्टर बेकार नहीं पड़े हैं । शारदा सहायक में सीपेज की समस्या पर काफी गम्भीरता से शिकायत की गयी । जहां ऊंचाई है वहां खुदाई हो रही है और नहर के दोनों ओर ड्रेनेज बनाई जा रही है । नलकूपों के संचालन में सुधार किये जायं, श्री शंकर सिंह, श्री यदुनाथ सिंह आदि लोगों ने बताया तो इस पर हम लोग सहमत हैं, काफी काम भी कर रहे हैं, जो भी खराबियां नलकूपों में रिपोर्ट होती थीं, वे खराब होते थे, उनको ठीक किया जा रहा है । अभी जो यह कहा गया कि गूलें सिंचाई विभाग बनाये....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, स्पष्टीकरण दिला दिया जाय ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

तो मान्यवर, गूलें बनाने का जो काम था, उसमें शासन के स्तर पर यह तय हुआ है कि 5 से 8 हैक्टेयर तक गूलों का निर्माण सरकार स्वयं करायेगी और प्रति कुलाबा 100 कि0 मी0 गूलें पक्की की जायेंगी । छठी पंचवर्षीय योजना में 80 करोड़ रुपया रखा गया है । कुछ मा0 सदस्यों ने कहा कि यूटीलाइजेशन टाइम से नहीं कर पाते हैं । माननीय सदस्य कहते हैं कि कुछ काम कमाण्ड एरिया करता है और सिंचाई विभाग बड़ी गूलें बनाता है । इसमें अभी तो कमाण्ड एरिया काम कर रहा है ।

श्री शंकर सिंह--

वह बिना प्लानिंग के बनाते हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसको भी देख लेंगे । मान्यवर, यह फिर कहा गया है कि शारदा सहायक में सीपेज की समस्या । श्री प्रदीप कुमार ने बताया था किसानों को बिजली वैसे ही मिले जैसे उद्योग को मिलती है । किसानों के लिये यह कहा है कि प्रायरिटी पर दिया जाय । इस पर बिजली विभाग से कहा भी गया है कि अधिक से अधिक बिजली किसानों को दी जाय ।

माननीय शंकर सिंह ने बाराबंकी जनपद में नहर निर्माण पर 11 लाख रु0 व्यय किये जाने की बात कहते हुए यह बताया है कि नहर नहीं बनी । माननीय शंकर सिंह जी ने जो कुछ भी कहा है, इसकी जांच विजिलेंस द्वारा करायी जा रही है ।

श्री शंकर सिंह--

जो दोषी अधिकारी थे, उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी, उन्हीं के कहने पर जांच विजिलेन्स को दी गयी तो उसके साथ-साथ आपकी जांच भी जारी रहनी चाहिये । यदि दोष पाये गये थे तो ससपेण्ड करते, निलम्बित करते

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत क्यों बोले जा रहे हैं ?

(श्री शंकर सिंह द्वारा क्षमा मांगी गयी)

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि इससे यह भ्रम पैदा हो जायगा कि किसकी बात मानी जाय। इसकी विजिलेन्स जांच कर रहा है। जो जांच की रिपोर्ट आयेगी उस पर कार्यवाही की जायगी।

बेतवा नदी पर रबी की फसल बोये जाने और उसे दो माह से पानी न दिये जाने की बात माननीय शंकर सिंह जी ने कही। उनके जिले बुन्देलखण्ड के सारे विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई और 3 अधिकारियों की एक कमेटी भी बैठा दी गयी जांच के लिये। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हैं एक टेहरी के सचिव हैं ताकि आपकी जो शिकायतें हैं उसकी जांच हो जाय और भविष्य में कोई गड़बड़ी न होने पाये। दूसरे यह कहा गया है कि माता टीला का पानी, जो पीने के बाद बचे, उसे सप्लाई किया जाय। तो पीने के पानी का रखना पहले बहुत जरूरी है। झांसी है, बबीना है, जहां पानी माता टीला से मिलता है तो अगर पानी पीने वाला नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिये माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि जो पानी पीने से बचे उसको निकालकर सिंचाई कर दी जाय तो माता टीला से, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, पानी छोड़ दिया गया था ताकि सिंचाई समय से हो सके। इसलिये जितना माननीय सदस्य ने कहा है उतना किया गया है।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, सारी नदियां हिमालय से आती हैं लेकिन वहां बर्फ कम गिर रही है जिससे पानी कम हो गया है इसलिये इसमें ध्यान दें और खोज करें कि हिमालय में बर्फ ज्यादा से ज्यादा गिरे।

(व्यवधान)

मेरा सुझाव है कि पहाड़ों में बरसाती तालाब बनायें जिसमें पानी को रोका जाय जिससे जनधन की हानि न हो। इसमें मंत्री जी क्या करेंगे वह बता दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह भी कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके पंचनद बांध को बनाया जाय। तो श्री गौरी शंकर ने जो इसके सम्बन्ध में कहा है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि पंचनद की योजना 114 करोड़ रुपये की बनायी गयी थी। वर्ष 1976 में घोषणा की गयी कि बांध बनाया जायेगा लेकिन उसका डिटेल सर्वे नहीं हुआ था। जब सर्वे हो रहा था तो तय नहीं हो पाया कि कहां बांध बनाया जायेगा, चूंकि ठीक जगह नहीं मिल पायी बालू निकलने के कारण। इसलिये यह टेक्नीकल बात है। इसमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि बांध के लिये जमीन मजबूत हो। इसमें विचार हो रहा है। यह पंचनद बांध बनाने की बड़ी

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

जरूरत है । जंगल का एरिया है । इससे जालौन, हमीरपुर, कानपुर आदि एरिया प्रभावित होते हैं । यही नहीं मध्य प्रदेश का मुरैना भिंड एरिया भी प्रभावित होगा । इसके बन जाने से 12 लाख हेक्टेयर का फायदा होगा मध्य प्रदेश को और 12 लाख हेक्टेयर का फायदा उत्तर प्रदेश को होगा । इसलिये जो मा0 सदस्य चाहते हैं, हम वही चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो, तो वह हो रही है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने पंचनद के महत्वको स्वीकार किया है । लेकिन 1976 में कैबिनेट डिसीजन में स्वीकार कर लिया गया था तो होना चाहिये कि सर्किल इटावा में नहीं खोला जायेगा बल्कि साइट पर खोला जायेगा। क्योंकि 70-75 किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी लिख देते हैं कि साइट उपलब्ध नहीं है । इसलिये मेरा दावा है कि मान्यवर, इस एडवान्स टेकनालाजी के युग में उस डिजाइन को चेंज करके निश्चित रूप से कोई प्राविधान किया जा सकता है जैसे गंगा पर बांध बनाया जा रहा है दूसरी योजनायें बनाई जा रही हैं । मैं मंत्री जी का विशेष रूप से स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरा निश्चित मत है कि यह अधिकारी लोग जमुना और चम्बल के बीहड़ों में तम्बू नहीं लगाना चाहते हैं यह एयरकन्डीशन में बैठना पसन्द करते हैं । मान्यवर, मंत्री जी के मन में अगर इसको बनाने का विचार है तो इसको बनाया जा सकता है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने कहा सरकार इसको बनाना चाहती है और मध्य प्रदेश सरकार से बात चल रही है । हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाये ।

मान्यवर, हिन्डन किसनी दोआब के बारे में कहा गया । हिन्डन किसनी 5 करोड़ 60 लाख की योजना है हिन्डन पर 2 सौ क्यूसिक का और किसनी पर 100 क्यूसिक का । किसनी पर 7 किलोमीटर नहर बनाई जायेगी और हिन्डन पर 4 किलोमीटर की नहर बनाई जायेगी । इससे 8 हजार 5 सौ हेक्टेयर सिंचाई होगी । यह केवल खरीफ के लिये थी । वहां के विधायकों ने आकर कहा कि यह योजना उतनी उपयोगी नहीं है इससे फायदा होने वाला नहीं है । इसकी जांच कराई जायेगी वास्तव में उपयोगी है और आवश्यक है । तो मैं इस राय का हूं जैसा माननीय सदस्यों ने कहा उसमें कोई पालिटिकल प्रेशर की वजह से उसको नहीं रोका गया है बल्कि वहां के जनप्रतिनिधियों के कहने से रोका गया है । उन्होंने कहा इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है ।

श्री ऊदल ने जैसा कहा कि राजकीय नलकूप लगाना बन्द कर दिया जाये । मान्यवर, यह है कि हमारी योजना है हर जगह नलकूप लगाने की । इस साल 1040 या 11 सौ नलकूप लगने हैं अगले वर्ष हमारे 14 सौ राजकीय नलकूप सरकार द्वारा लगाये जायें और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2 हजार लगाये जायेंगे ।

श्री ऊदल--

एक भ्रम हो गया है । एक सेकेन्ड इसको स्पष्ट कर दूं कि मैंने क्या कहा था । मैंने कहा था कि जहां नहरों के टेल पर पानी नहीं पहुंचता है वहां

राजकीय नलकूप लगाये जायें, जिस इलाके में नहर का पानी नहीं पहुंचता है वहां राजकीय नलकूप लगाये जायें, बुन्देलखण्ड में जहां पानी नहीं होता है जहां पत्थर न हो बोर करके नलकूप लगाये जायें और नहरों के किनारे जहां सीपेज होता है वहां नलकूप लगाये जायें वह पानी उठाकर नहर में फेंके और सिंचाई भी करें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सरकार की पोलसी है कि ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल लगाये जायें । जहां नहरों से पानी नहीं पहुंचा जहां पर वाटर लेवल बढ़ रहा है वहां नलकूप लगाये जायें ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है वह बहुत ही कारामद बात है । आज तक जहां नहरों से सिंचाई नहीं हुई है नहर के कमान्ड एरिया में है उसको ट्यूबवेल लगाने के लिये निकालेंगे । यह एथारिटी नहर वाले होंगे या उस ट्यूबवेल डिपार्टमेंट वाले होंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नहर वाले बता सकते हैं कहां सिंचाई नहीं है दोनों अलग नहीं हैं एक साथ बैठकर निर्णय कर लेंगे ।

मान्यवर, हमने यह कहा है कि हम इस साल 2 हजार ट्यूबवेल लगाने जा रहे हैं । जो शिकायतें की गई हैं कि जहां पर सिंचाई नहीं हो पा रही है वहां पर ट्यूबवेल लगाये जायें तो इसकी व्यवस्था की जा रही है । यह भी व्यवस्था की जा रही है कि नहरों के टेल पर जहां पानी नहीं पहुंच पाता है वहां ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई की जाये । मान्यवर, ड्राउट प्रोन एरियाज के अंदर 25·46 करोड़ रुपये का प्राविधान 1980-85 तक किया गया है, छठ: पंचवर्षीय योजना में । इसमें 50 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता पैदा की जायगी । इलाहाबाद में 8832, वाराणसी में 600 है0, मिर्जापुर में 13623, जालौन 14140, हमीरपुर में 14912, बांदा में 12535 हेक्टेयर, तो इन जिलों में जो ड्राउट प्रोन एरियाज में आते हैं इन क्षेत्रों में आठ छोटे बांध, 20 बंधियां, 482 नलकूप, 6 छोटी नहरें बनाने की योजना है ।

एक सदस्य--

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ में कोई योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह ड्राउट प्रोन एरिया में नहीं आते हैं । मान्यवर, इसके अलावा जो माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं कि नहरों को पक्का किया जाये तो इस तरफ हमारा प्रयास है । अपर गंगा में 300 करोड़ रुपये की योजना है । इसी प्रकार

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

से गंडक नहर को पक्का किया है और शारदा सहायक जो बड़ी नहर है उसको भी पक्का कर रहे हैं। बुन्देलखण्ड में जो लिफ्ट नहरें हैं उन पर भी हम यह कार्य करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारा पानी बरबाद हो जाता है, कच्ची नालियों के कारण तो उसमें भी ट्यूबवेल की नालियां पक्की बनाई जायें ताकि पानी बरबाद न हो सके। नालियां पक्की बना रहे हैं और अन्डर ग्राउन्ड पाइप डाल रहे हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। फ्लड फोरकास्टिंग के सम्बन्ध में व्यवस्था कर रहे हैं। फ्लड के लिये अलग से व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जून जुलाई में यह न हो कि मैटीरियल खराब लग गया, मिसयूज हो रहा है तो यह जो शिकायतें आती हैं इस सम्बन्ध में अभी से योजना बन रही है। अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में इस सम्बन्ध में हम बैठक कर रहे हैं ताकि एक योजना बनाकर कार्य हो सके। इसके अलावा अन्य जो विभाग के सम्बन्ध में दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे। जो अधिकारी हमारे लखनऊ में रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि विकेन्द्रीकरण किया जाये। अनुसूचित जनजातियों के लिये निश्चय किया है कि उन क्षेत्रों में 15 परसेंट ट्यूबवेल रिजर्व कर दिये जायें। कानपुर बैरेज का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है और इस पर काम शुरू किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पहाड़ों पर चलते हैं उसमें बड़ी दिक्कत पैदा होती है, कहीं तो कांट्रेक्टर, ज्यादा रेट मांगता है, या तरह-तरह के क्लेम करता है, टाइम से काम पूरा नहीं करता है, काम छोड़कर भाग जाता है, तो यह जो बातें होती हैं इनके कारण कार्य में विलम्ब होता है। इसलिये हमने निश्चय किया है, अब हम सिंचाई निर्माण कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं इसके द्वारा टनल बनाने की बड़ी-बड़ी जो मशीनें हैं वह मंगाई जायेंगी। यह टनल बनाने का काम जो स्पेसिफिक काम हैं बड़े-बड़े कांट्रेक्टर करते हैं, इसको हम कारपोरेशन के द्वारा करायेंगे ताकि काम में पैसा कम लगे, काम जल्दी हो और हमारा कन्ट्रोल रहे। इसके बारे में एक बात और बता दूं।

श्रीउपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, अब अधिक समय नहीं है। (शोर)

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

एक साथ कई माननीय सदस्य नहीं बोल सकते हैं। माननीय राम गोविन्द जी अगर आधे दिन की बहस में आप अब तक एक सवाल नहीं कर पाये, तो इसके लिए अब समय नहीं है। कृपया विराजें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

पंचेश्वर बांध परियोजना। मान्यवर, शारदा नदी पर भारत और नेपाल की सीमा पर प्रस्तावित है। इसके सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए भारत और नेपाल के बीच काफी समय से बातचीत चल रही है। इस पर भारत सरकार ने 5 करोड़ रु० सर्वेक्षण के लिए दिया है और करनाली बांध परियोजना के अनुसंधान पर सिद्धान्त रूप से नेपाल और भारत दोनों तैयार हो गये हैं। इस पर मान्यवर, जल्द से जल्द काम शुरू होने की आशा है। इसके अतिरिक्त बहुत से माननीय सदस्य जो करप्शन के बारे में बार-बार शिकायत करते हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा

कि इस ओर भी हमारी सरकार काफी सचेत है साथ ही साथ यह भी किया जा रहा है कि हमारे पास जो खर्चे हैं, उनमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि अधिक किसी योजना पर न खर्च हो, और काम उसी पैसे में ज्यादा फायदे वाला बने और पैसे का मिस्यूज न हो इसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो करप्शन की शिकायतें आती हैं। आपको याद होगा कि माह जुलाई में जब हम आप बजट पर बातें कर रहे थे। उस समय से अब तक 25 प्रतिशत शिकायतें कम हुयी हैं। (शोर) अभी तक मान्यवर, जांच के उपरांत जिन केसों में कार्यवाही की गयी। वह इस प्रकार है। 40 अधिकारियों को मुअत्तल किये गया है। और सतर्कता जांच के फलस्वरूप 56 सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध एक्शन लिया गया और 30 अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। (शोर)

एक सदस्य––

कार्यवाही किस प्रकार की गयी।

श्री वीर बहादुर सिंह––

कार्यवाही अलग–2 तौर पर की गयी है। इसकी बहुत बड़ी डिटेल है। और मान्यवर, 4 अधीक्षण अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार 134 गजटेड आफिसर्स के खिलाफ जांच कार्यवाही फाइल है। तथा 200 जे0 ई0 के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। जिसमें से अभी तक एक अधिशासी अभियन्ता डिसमिस है, दो सहायक अभियन्ताओं को सेवा मुक्त किया गया है और 4 जूनियर इंजीनियर्स को सेवा मुक्त किया गया है। इस प्रकार से जितनी भी शिकायतें माननीय सदस्यों की ओर से आयी हैं, उस पर पूर्णतया कार्यवाही की गयी है, किसी को छोड़ा नहीं गया है, जिसके खिलाफ तथ्य सिद्ध हो गये हैं। और न ही किसी को भविष्य में छोड़ा जायेगा। यही इस सरकार की नीति है, चाहे वह किसी का सम्बन्धी हो, किसी को छोड़ा नहीं जायेगा और न ही किसी छोटे–बड़े प्रेशर का ख्याल किया जायेगा। इसलिए माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा चाहे वह जितना बड़ा प्रेशर वाला हो। यह इस सरकार की नीति है। जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जायेगी। इस तरह जो आप ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं नहीं समझता कि अब कोई ऐसी बातें रह गई हों।

मान्यवर, मैं नहीं समझता कि हमारे माननीय सदस्यगण जो चीज चाहते थे, उसमें से कोई चीज रह गयी हो। उन सारी चीजों को हमने खुद कर दिया है। अतः उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसको पेश करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें हमारे बजट के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई की लहर में न्याय को मत बढ़ाएं। कृपया विराजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,17,26,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47, 18, 56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 104-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 104-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान

द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2, 45,34,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 105–सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 105–सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36, 75, 42, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मण्डल

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,23,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,23,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग तथा अनुदान संख्या 5––निर्वाचन विभाग

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

[श्री जगदीश प्रसाद--]

संख्या 4--न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,69,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं अपने विभाग का अनुदान प्रस्तुत करते समय अधिक कुछ नहीं कहूंगा । सामान्यतः सारी बातें जो न्याय प्रशासन से सम्बन्धित हैं, जो सम्बन्धित पुस्तिका वितरित की गई है उसमें काफी विस्तार से पूर्ण विवरण दिया है । कार्य कलापों का उल्लेख किया गया है इसलिए उसके बारे में बहुत नहीं कहना है । मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं ।

उच्च न्यायालय, लघु न्यायालय, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, विधि परामर्शी, अधिवक्ता आदि की मदों में 12 करोड़ 62 लाख 19 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । यह प्राविधान आयोजनेत्तर के पक्ष में किया गया है । इसके अतिरिक्त 40 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पुस्तकालय के लिए इंग्लिश रिपोर्ट के सेट्स के क्रय करने के लिए व्यवस्था की गई है । इस समय जो हमारे सामने मुख्य समस्या है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं, वादों के निस्तारण की है । आये दिन आप देख रहे हैं, दिनोंदिन वादों की संख्या काफी अधिक हो गई है और दूसरी ओर न्यायालय की स्थापना और वादों के निस्तारण के लिए जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जा रही है उसको देखते हुए वादों की संख्या बहुत अधिक हो गई है । फिर भी सरकार उसके प्रति जागरूक है और उसके निस्तारण के लिए बराबर प्रयत्नशील है । हाईकोर्ट में श्रीमन् जैसा कि आप देखेंगे, हमारी पुस्तिका में दिया हुआ है, भारत वर्ष में सबसे अधिक जो हमने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय किये हैं वह सबसे अधिक हमारे यहां हैं । प्रति जज जो स्टैण्डर्ड नियत किया है हमारे ला कमीशन द्वारा 1978 में, करीब 820 प्रति जज फैसला का, उसके मुकाबले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 860 निर्णय किये गये । 1979 में 877, 900 के लगभग लक्ष्य था, और 1281 के लगभग निर्णय हुए । हमारे यहां 60 माननीय न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है और अभी भी 13 जजों की कमी है । इन सबके बावजूद अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमारे निर्णय और आदेश काफी अधिक हैं ।

श्रीमन् जी, हमारे यहां आपराधिक स्थिति है, जो समस्या है उसके बारे में, उनके निस्तारण के लिए एक विशेष अदालत के गठन का निश्चय किया गया है उसके द्वारा इसमें काफी कामयाबी मिलेगी । इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मोटर वहीकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत शुरू में प्रयास किया गया था । पहले हमने सिर्फ लखनऊ में इसकी व्यवस्था की थी । उसके बाद कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद आदि में यह व्यवस्था की गई । 24 हजार वादों का निस्तारण किया इसके द्वारा और 17 लाख रुपये की रकम वसूल हुई जुर्माना की । इस प्रकार यह कार्य काफी तेजी, द्रुत गति से किया जा रहा है । जैसा कि हमारे माननीय सदस्य जानते हैं इन मुकदमों के फैसले के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वह पार्टी स्वयं अदालत

में उपस्थित हो बल्कि स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से वह अपने मुकदमे का फैसला करा सकता है। दण्ड प्रक्रिया 1973 के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना की गई है और उसके द्वारा स्थापना के बाद सहायक लोक सेवा अभियोजक जो हैं उनके लिए और भी काफी सुविधा हो जायेगी। उनके परीक्षण में काफी सुविधानुसार कार्य सम्भव हो पायेंगे। इसके अतिरिक्त श्रीमन् निर्बल वर्गों को कानूनी सहायता देने के लिए एक बोर्ड का प्रदेश में गठन किया गया है जिसके द्वारा निर्बल वर्ग के लोगों को, कमजोर और अपाहिज लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके उनके लिए उसकी व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के श्री पी० एन० भगवती के परामर्श से एक राज्य स्तर पर बोर्ड गठन किया गया है और उसके माध्यम से सारी व्यवस्था की जा रही है।

श्रीमन्, शासन की नीति हमेशा रही है विकेन्द्रीकरण की। प्रदेश के हर जिलों में एक जिला के अतिरिक्त न्यायालय की व्यवस्था कर दी है अब आप जैसा कि देखेंगे कि इतने जिलों के अतिरिक्त 15 और स्थानों पर न्यायालय कक्ष तहसील स्तर पर स्थापित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक सवाल हमारे न्यायाधीशों के और मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट या उनके आवासिक समस्या की बात थी। 1977 से लेकर अब तक 560 न्यायालय कक्ष जिला स्तर पर और 480 आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है जिसमें काफी तेजी से कार्य हो रहा है और आवासिक सुविधायें दी जा रही हैं। अभी हाल ही में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 6 मंडलों (कुमायूं, गढ़वाल, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा तथा बरेली) में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक बेंच की स्थापना की जायेगी और उसके स्थान के लिए हमारी सरकार ने केन्द्र पर यह निर्णय छोड़ दिया है कि बेंच की स्थापना कहां हो। श्रीमन् एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हिन्दी में विधि पुस्तकें हमारे यहां उपलब्ध नहीं हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय हिन्दी विधि प्रतिष्ठान समिति को 3 लाख 95 हजार रु० की वित्तीय सहायता देने के लिए शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें से ढाई लाख रुपये ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है और उसकी वसूली के लिए 50 प्रतिशत जो उनके पुस्तक प्रकाशित होंगे उनको सरकार खरीद कर वसूली की जायेगी और शेष किश्तों में की जायेगी। 1980-81 में 65 हजार, 1981-82 में 40 हजार और 1982-83 में 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जायगा जिससे यह प्रतिष्ठान अपने पैरों पर खड़े होकर हिन्दी के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सके। इस समय न्यायालयों में हमारे वकीलों को, हमारे न्यायाधीशों की जो पुस्तकें हैं उनकी बड़ी आवश्यकता है और उन्हें ये पुस्तकें प्रदान करने के लिए यह सब व्यवस्था की गई है।

इन शब्दों के साथ में और कुछ अधिक नहीं कहना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूंगा कि अपने सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत करें।

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4-न्याय विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

[श्री नरेन्द्र सिंह]—

मान्यवर, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है । और एक सफल लोकतन्त्र, एक मजबूत जनतंत्र के लिए, मान्यवर, एक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है । मान्यवर, विधि का राज्य, रूल आफ ला, और लोकतन्त्र का अभिन्न सम्बन्ध है और यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के समय न्याय पालिका को विधायिका और कार्यपालिका के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण स्थान दिया । और यह कहने में, मान्यवर, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जुडिशियरी हमारे संविधान की और हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। सैकड़ों साल पहले लार्ड बेकन ने एक पंक्ति न्याय के बारे में कही थी 'गवर्नमेन्ट आफ ला इज ए सुप्रीम मैनिफेस्टेशन आफ सिविलाइजेशन' विधि का राज्य मानव सभ्यता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है । मान्यवर, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी भारतीय न्याय पालिका ने दुनिया में एक प्रकार से विशेष स्थान बना लिया है और यहां के निष्पक्ष और निर्भीक निर्णयों से विश्व के अनेक लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उन लोगों ने ऐसा कहा कि भारत के अन्दर निष्पक्ष न्यायपालिका के कारण लोकतंत्र का भविष्य सदा के लिए उज्ज्वल है । लेकिन पिछले सात-आठ वर्षों में न्यायपालिका के अधिकारों में विशेष रूप के कांग्रेस सरकार ने केन्द्र में और प्रदेशों में, न्याय प्रशासन पर कुठाराघात शुरू किया और इसका सबसे पहला अटैक 1973 में हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों को सुपरसीड किया गया । इसके पश्चात् 1975 में देश में आपातकालीन स्थिति प्रारम्भ हुई और और एक प्रकार से संविधान में प्रदत्त हमारे सारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया । अकेले मई, 1976 में 16 हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर किया गया । अभी हाल में सभी को विदित है कि तमिलनाड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टीस, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टीस, श्री एम0 एम0 इस्माइल और श्री के0बी0 एन0 सिंह दोनों का स्थानान्तरण किया गया । अपने यहां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडीशनल जज श्री आर0 सी0 श्रीवास्तव को, किस तरह से उनको बेइज्जत करने के बाद, इस्तीफा देना पड़ा । उसके पीछे कुछ, सभी को ज्ञात है, पालिटिकल कारण था मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के माननीय अनेक नेता जो बहुत से जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में जानबूझ कर सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप कर रहे हैं.... ।

(इस समय 3 बज कर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

बराबर ये लोग यह कहते रहे हैं कि जुडीशियरी कमिटेड है । ठीक है वह कमिटेड होनी चाहिये । संविधान के प्रति और जनता के न्याय के प्रति जुडीशियरी कमिटेड होनी चाहिये । लेकिन यह बात कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पार्टी के लिए कमिटेड होने के लिए कही है । मान्यवर, इन्हीं कई कारणों से आज यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका जिसको संविधान में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है उसका अधिकार क्षेत्र बराबर संकुचित किया जा रहा है । मान्यवर, इसके बारे में अभी हाल ही में समाचार पत्रों में जो टिप्पणियां निकलीं हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 23 जनवरी, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में "थ्रेट टु जुडिशियरी" हैडिंग के अन्तर्गत जिसमें आरबिट्रेरी ट्रांसफर्स का जिक्र किया गया है हाई कोर्ट्स के जजेज का... ।

श्री अधिष्ठाता--

उनका ट्रांसफर इसके परव्यू में नहीं आते ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसलिये कहना चाहता हूं कि यहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है । मैं उसकी चार लाइन पढ़ देना चाहता हूं ।

"जजेज ट्रान्सफर ए पेनेल्टी एमीनेन्ट जूरिस्ट्स टेकिंग पार्ट रन ए टू डेज लाइयरस कान्फरेंस हियर टुडे डिस्क्राइब्ड दि ट्रान्सफर आफ दि जजेज एज ए थ्रेट टू एन्ड पेनेल्टी फार इन्डीपेन्डेन्ट ज्युडिशयरी"

एवर सिन्स ही बिकेम यूनियन ला मिनिस्टर, मि0 शिव शंकर हैज बीन पेडलिंग दि आइडिया आफ मास ट्रान्सफर आफ हाई कोर्ट जजस बाई हिज स्टूबर्नसेस इन दिस मैटर, इन अटर डिसरिगार्ड आफ दि ओपीनियन आफ दि सुप्रीम कोर्ट एन्ड ईवन दि वाइस प्रेसीडेंट मि0 हिदायतुल्ला ए फारमर चीफ जस्टिस आफ इन्डिया हिमसेल्फ मि0 शिवशंकर हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ प्राफिट टू बी इनट्रस्टेड विद दि रिस्पान्सिबिलिटी आफ लुकिंग आफटर दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ लां एन्ड जस्टिस"

श्री अधिष्ठाता--

यहां पर इसका ताल्लुक नहीं है । आप हिन्दी तर्जुमा कर दें ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मैं अनुवाद कर दूंगा । 31 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है--

इसका अर्थ यह है कि जब से श्री शिव शंकर कानून मंत्री बने, वे हाई कोर्ट जजेज के सामूहिक स्थानांतरण के विचार को बराबर बढ़ा रहे हैं । इस मामले में उनकी जिद सुप्रीम कोर्ट के विचार की परवाह किये बिना तथा श्री हिदायत उल्ला वाइस प्रेसीडेन्ट के मत की परवाह किये बिना श्री शिव शंकर ने अपने आपको कानून व न्याय प्रशासन के प्रबन्ध के अयोग्य सिद्ध किया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप इसके गैर मुताल्लिक कह रहे हैं । उसका इस ऐवान से क्या ताल्लुक है ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं विशेष रूप से अपने प्रदेश की न्याय की स्थिति के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और जैसा कि मैं कह रहा था कि इस भूमिका में इस प्रदेश में न्याय विभाग की इतनी उपेक्षा हुई है जितनी कि किसी विभाग की नहीं हुई है । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 36 पृष्ठ का बजट भाषण उन्होंने पढ़ा लेकिन क शब्द भी न्याय प्रशासन के ऊपर उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है । उसमें क्रीड़ा, पर्यटन, नगर कल्याण आदि सभी के ऊपर कहा गया है लेकिन न्याय प्रशासन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है । मान्यवर, 4 वर्ष से मैं भी यहां पर बजट भाषण सुनता आ रहा हूं लेकिन इतने लम्बे भाषण में मंत्री जी का ध्यान उस तरफ नहीं जा सका, जो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ । माननीय वित्त मंत्री एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, किसी अफीमची को भी दे देते तो वह और विभागों को छोड़ सकता था किन्तु न्याय विभाग को नहीं छोड़ सकता था । लेकिन वित्त मंत्री जी का ध्यान न्याय विभाग की तरफ नहीं गया ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी ने इस वर्ष के प्रतिवेदन का जिक्र किया और कहा कि इसको पढ़ लिया जाय, इसमें सारी बातें हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन एक धोखा है । पिछले वर्ष का प्रतिवेदन मेरे पास है । 1979-80

[श्री नरेन्द्र सिंह--]

को विधि मंत्री ने इसको प्रस्तुत किया था। मैं तो कहना चाहता हूं कि आने वालों वर्ष में भी उसी 1979-80 के प्रतिवेदन को रखा गया है और 1980-81 के वर्ष में वही उतारा गया है।

यहां तक कि कुछ वाक्य तो ज्यों के त्यों हैं। ला-विभाग में जिसमें इतने विद्वान अधिकारी रहते हैं कम से कम ऐसे विभाग से यह आशा नहीं की जा सकती है। मैं कुछ प्वाइंट्स की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81 में जो न्याय प्रशासन है उसके पहली पंक्ति में लिखा है "न्याय प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या न्यायालयों में वादों के निस्तारण में होने वाली विलम्ब की है।" तो यही बात पिछले साल भी कही और इस साल भी कही है सिर्फ का, के, की का हेर फेर है। पिछला बजट माननीय मंत्री जी ने सितम्बर, 1980 में प्रस्तुत किया और 8 महीने में यह बिल्कुल तेली के बैल की तरह या एक रिकार्ड की जब सुई खराब हो जाती है तो एक ही जगह घूम कर एक ही राग अलापती है उसी तरह इसमें है। इसी प्रतिवेदन में कहा है "उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 56 से बढ़ा कर 60 कर दी गयी है और वर्तमान रिक्तियों के भरे जाने पर लम्बित वादों की संख्या में और कमी आने की आशा है" इसी तरह पिछले प्रतिवेदन में भी यही बात कही गयी है कि स्वीकृत संख्या को बढ़ा कर 60 कर दिया गया है। तो अधिकारियों ने मंत्रियों को गुमराह किया है। इसमें कहा गया है कि 100 जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होगी यही बात मान्यवर, गत वर्ष भी कही है लेकिन वह नियुक्तियां आज तक नहीं हुई है। मैं इसको पूरा पढ़कर समय नहीं लूंगा। तीसरी बात इसमें कही गयी है 36 नये जजेज की नियुक्ति होगी तो वही बात पिछले साल भी प्रतिवेदन में कही गयी और इस साल भी कही गयी है। जो कि आज तक नहीं हुई। तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इससे बहुत बड़ा असंतोष जुडिशियरी के अन्दर फैला हुआ है। इसी तरह, मान्यवर न्याय के विकेन्द्रीकरण की बात है इस प्रतिवेदन में 38 तहसीलों के अन्दर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों की कोर्ट के बनाने की बात कही गयी है। इस संख्या में भी कोई बढ़ोत्री नहीं हुई है।

एक बात बराबर 10 साल से चली आ रही है कि प्रदेश का केवल उत्तरकाशी एक ऐसा जिला है जहां जिला जज नहीं है। यही बात मान्यवर, पिछले साल भी कही गयी। यही बात पिछले दस सालों से कही जा रही है। अगर वहां पर कोर्ट नहीं बन सकता है तो फिर उसे लिखने की क्या आवश्यकता है।

एक बात पिछले साल कही गयी थी जो थोड़ा काम की थी, दीवानी प्रक्रिया संहिता में सुधार के सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में एक कमेटी की घोषणा की गयी थी। उसका क्या हुआ उस सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गयी है और उसे बिलकुल ओमिट कर दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन को इस तरह से गुमराह करना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप देखें कि आप इस तरह चल कहां रहे हैं।

दूसरी बात मान्यवर, आज 16 मार्च है और शनिवार को माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी इस सदन के अन्दर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र को भेज दिया गया है। मैं मान्यवर, उनकी इस भावना की सराहना करता हूं उनको इससे संतोष होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिलकुल इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पहले हो चुका है, और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की आंखों में धूल झोंकना होगा। 1976 में जब कांग्रेस की हुकूमत यहां थी और नारायण दत्त तिवारी जी ने एक ऐसा ही प्रस्ताव भेजा था

अनुदान संख्या 4--न्याय विभाग तथा अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग

और उसके बाद 1979 में मई में श्री बनारसीदास की सरकार ने दूसरा प्रस्ताव भेजा और मान्यवर, दोनो प्रस्ताव केन्द्र में गये और दोनों का हश्र यह हैं कि उन दोनों पर आज एक-एक इंच गर्द जमा पड़ा हुआ है । उन दो प्रस्तावों में तीसरा प्रस्ताव विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जुड़ गया है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार के प्रस्ताव से या आश्वासन से अब शान्त होने वाली नहीं है, क्योंकि वह दो बार धोखा खा चुकी है । जो दो प्रस्ताव गये हैं उनका भविष्य क्या है । अच्छा यह होता कि हमारी सरकार केन्द्र सरकार पर जोर डालती की वह निश्चित रूप से पहले के प्रस्तावों पर निर्णय लेती । मैं इस सम्बन्ध में एक विशेष कानून की ओर माननीय न्याय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि वह सचमुच में चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो तो वह उस पर आवश्यक रूप से विचार कर सकते हैं । आज सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन्द है । समस्त कालेज, विश्वविद्यालय, कोर्टस, बाजार ट्रैफिक और उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें पूरी तरह से बन्द हैं । आज आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली और कुमायूं मंडलों में पूरी तरह से बन्द रखा गया है, कम्पलीट बन्द है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस मांग का विरोध करने वाला आज एक भी आदमी आप बता दें तो हम मानें । ऐसी जबरदस्त आवाज प्रदेश ने कभी नहीं उठाई है । पिछली 23 तारीख से यह आन्दोलन चला था और 23 फरवरी से आज 16 मार्च इस आन्दोलन को प्रभावी ढंग से चलते हो गया है । इस अवधि में कोई भी काम किसी अदालत में नहीं हो रहा है । मैं जिस ऐक्ट की ओर अभी माननीय न्याय मंत्री का ध्यान खींचने वाला था, वह यूनाइटेड प्राविन्सेज हाई कोर्ट अमलगमेशन ऐक्ट/आर्डर, 1948 है ....

श्री अधिष्ठाता--

आप समय का ध्यान रखें ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

25 मिनट तो हैं ही, उसी में रहूंगा । यू0 पी0 अमलगमेशन आर्डर, 1948 की धारा 14 में साफ-साफ लिखा है--

"दि न्यू हाई कोर्ट्स एण्ड दि जजेज एण्ड डिवीजन कोर्ट्स देयर आफ, शेल सिट एट इलाहाबाद आर एट फच अदर प्लेसेस इन दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज एज दि चीफ जस्टिस मे विद दि एप्रूवल आफ दि गवर्नर आफ दि यू0 पी एपोन्इट ।"

अर्थात्, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की सहमति से यह निर्णय करेंगे कि खंड-पीठ या हाईकोर्ट कहा पर बैठे । वर्ष 1948 में दोनों सदनों ने यह प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा था । उसमें गवर्नर जनरल ने अपनी प्रदत्त शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए इसे गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के सेक्शन 299 के अन्तर्गत पास किया था । निश्चित रूप से यह कानून बना था और मैं समझता हूं कि यह कानून अभी तक रिपील नहीं हुआ है, यह आज भी सशक्त है । इसलिए मुख्य मंत्री जी इस बारे में प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेजें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को इस तरह से खड्ड में डालने से कोई लाभ नहीं है । आप इस कानून के तहत क्यों नहीं चीफ जस्टिस से बात करते हैं कि इस खंड पीठ की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में

[श्री नरेन्द्र सिंह---]

को जाए । इस मांग को टालते हुए बहुत समय बीत चुका है । अब न्याय मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री स्थिति की गम्भीरता और जटिलता को देखते हुये क्योंकि युवा और छात्र वर्ग भी उसमें अब पूरी तरह से शामिल हो गया है, जिनका नारा "या तो हाईकोर्ट दो वरना यू० पी० बांट दो" इस दिशा में तुरन्त माकूल कदम उठायें । अब इसमें कुछ ऐसे तत्व आ गये हैं, जिनसे आगे स्थिति और बिगड़ सकती है । इसलिए मंत्री जी इसको सीरियसली लें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना का आगे मजाक न उड़ायें ।

(समय अपराह्न 4 बजे)

इसके अतिरिक्त में उनसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इस विभाग का जो बजट अत्यन्त छोटा है, उसमें जितना भ्रष्टाचार है, जितनी कमियां हैं, उन सबका कारण यह है कि न्याय विभाग का बजट बहुत छोटा है । मैं सरकार को आंकड़े देना चाहता हूं, वह गत 5-6 वर्षों में इसका बजट देखें वर्ष 1975-76 में 6 करोड़ 58 लाख, वर्ष 1976-77 में 7 करोड़ 94 लाख, वर्ष 1977-78 में 8 करोड़ 58 लाख, वर्ष 1978-79 में 9 करोड़ 78 लाख, वर्ष 1979-80 में 11,36 लाख, वर्ष 1980-81 में 12 करोड़ 31 लाख और इस वर्ष यह 12 करोड़ 62 लाख 19 हजार रुपये का बजट है । यह थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन इस प्रदेश की आबादी 11 करोड़ के लगभग है और करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है । अगर देखा जाय तो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5.7 पैसे ही बजट पर खर्चा पड़ता है । तो मेरा निवेदन है कि इतने बड़े प्रदेश के लिए इसका बजट बहुत कम है । कम से कम इसको इसका दुगना होना चाहिए । कल ही नार्दन पत्रिका अखबार में छपा है कि

"रिसेन्टमेन्ट इन माउन्टिंग एमन्ग दि मेम्बर्स आफ दि स्टेट ज्यूडिशरी ओवर दि डिले वींग कांस्ड बाई दि एपाइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट इन दि एपाइन्टमेन्ट आफ एडीशनल सेशन्स जजेज रिकमेन्डेड बाई दि यू० पी० हाई कोर्ट इन अक्टूबर लास्ट इयर"

इनकी नियुक्ति की जो सिफारिश की गयी थी वह सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन ने की थी और यह एपाइन्टमेंट डिपार्टमेन्ट में पड़ा हुआ है । अगर हाई कोर्ट से नाम रिकमेन्ड हो गये तो सीधे ला सेक्रेटरी एपाइन्ट कर सकता है । इस वर्ष जो बजट मांगा जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है । आज जजेज में भारी असन्तोष व्याप्त है । कुछ लोग और रिटायर हो गये हैं । इसी जनवरी में कानपुर में यू० पी० जुडिशियल सर्विस के लोगों की जो मीटिंग हुयी उसमें जो "स्टेट पे कमीशन की रिपोर्ट" है, उसकी होली जलायी गयी । अगर ऐसा आपके जुडिशियल सर्विस के ही लोग करते हैं तो इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती है । दिल्ली में जुडिशियल आफिसरों द्वारा पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन हुए । बिहार में भी हो रहे हैं । इसी वजह से आज जुडिशियल सर्विस से लोग हट रहे हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका भविष्य अन्धकारमय है । मेरा सुझाव है कि हाईकोर्ट के जज को कम से कम 5 हजार और सेशन जजेज को कम से कम 3 हजार वेतन मेडिकल फैसिलीटीज और अन्य सुविधायें दी जायं । क्योंकि जो अच्छे एडवोकेट्स हैं उनकी आमदनी जजेज से बहुत ज्यादा है । अभी अभी कुछ दिन पूर्व श्री ओ० पी० राणा जो 2 महीने पूर्व एडिशनल जज नियुक्त हुए थे, छोड़कर चले गये । उनका कहना था कि 3 हजार रुपये में कौन सर दर्द मोल ले । तो अगर इस न्याय विभाग का बजट नहीं बढ़ाया गया तो जुडिशियरी में जो टैलेन्टेड लोग हैं वे जुडिशियरी में नहीं आना चाहेंगे ।

अनुदान संख्या 4--न्याय विभाग तथा अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग

मेरा एक यह भी सुझाव है कि न्याय विभाग से कोर्ट फी बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाय । सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने पिछले दिनों एक मीटिंग में कहा था कि--

"इन अवर प्रजेन्ट सिस्टम आफ जस्टिस देयर इज ए वेटेज इन फेवर आफ दि रिच एन्ड अगेन्स्ट दि पुअर, दि स्टेट सैल्स जस्टिस"

हमारी हाल की न्याय प्रणाली गरीबों की अपेक्षा, अमीरों के पक्ष में है । राज्य न्याय बेचता है ।

मैं जानना चाहता हूं कि कोर्ट फीस की टोटल इनकम क्या है और कितना हम खर्च कर रहे हैं । इससे जनता के साथ भारी अन्याय हो रहा है और यहां पर न्याय बेचा जा रहा है । पार्लियामेन्ट के सदस्यों का श्री जगन्नाथ कौशल की अध्यक्षता में एक पैनल बना था । उसने एक रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने कहा था कि--

इट वाज दि रिसपान्सिबिलिटी आफ दि स्टेट टू प्रोवाइड जस्टिस इन सिविल एन्ड क्रिमिनल केसेस एन्ड "दि स्टेट हैड नो राइट टू सेल दि जस्टिस"

आगे यह कहा था कि इस तरह से देखा जाये तो पता चलेगा कि यह सरकार कोर्ट फीस आदि बढ़ाकर न्याय का व्यापार कर रही है । यह सरकार न्याय को बेचती है और धनवान लोग ही उसका लाभ उठा पाते हैं, गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय अब समाप्त हो गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं ।

मान्यवर, एक बात मैं निर्वाचन विभाग के बारे में और कहना चाहता हूं । इस विभाग के लिये तो एक रुपया भी फालतू है । इस प्रदेश की ही लोक सभा की 5 सीटें खाली पड़ी हैं और विधान सभा की भी शायद 8 या 9 सीटें खाली पड़ी हैं । पहले कहा नवम्बर में चुनाव होंगे, फिर अप्रैल में कहा, फिर जून में कहा और आज तक नहीं हो पाये जबकि चुनाव कमीशन बार-बार चेतावनी देता चला आ रहा है । चुनाव कमीशन तक के आदेशों की उपेक्षा की जा रही है ।

यही नहीं मान्यवर, जितने भी स्थानीय निकाय हैं, चाहे नगर महापालिकाएं हों, चाहे नगरपालिकायें हों, चाहे टाऊन एरिया हो या नोटीफाइड एरिया हों, किसी के भी चुनाव यह सरकार नहीं करवा पा रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

अभी समाप्त कर रहा हूं ।

चुनाव कमिश्नर मिस्टर शकधर ने कहा है कि वोटर्स को आइडेन्टिटी कार्ड जारी किये जायें । आसाम और मेघालय में यह हो गया है । यहां उत्तर प्रदेश में भी वोटर्स को आइडेन्टिटी कार्ड्स जारी किये जायें ।

[श्री नरेन्द्र सिंह--]

एक बात यह कहना चाहता हूं कि 'तारकुन्डे कमेटी' की रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव हैं उनको सरकार स्वीकार करे।

एक बात चुनाव कमिश्नर श्री शकधर ने यह कहा है कि आप 100 करोड़ रुपये का एक फंड बनायें और जो भी रिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं केवल उनको वही इलेक्शन के लिये धन दिया जाये। इससे काले धन का जो उपयोग इलेक्शन में होता है वह नहीं हो पायेगा।

एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि चुनाव में सरकारी तंत्र का प्रयोग बिलकुल नहीं होना चाहिए। माननीय न्याय मंत्री जी बहुत ही भले आदमी मुझे लगते हैं, वे इस ओर अवश्य कदम उठायेंगे। इसकी एक मिसाल देकर खत्म करूंगा अपना भाषण। मान्यवर, मेरे ही पिछले चुनाव के वक्त मेरे विरुद्ध जो कांग्रेस के कैन्डीडेट थे वे रिवाल्वर लेकर चुनाव में घूमते थे और रिवाल्वर रखकर उन्होंने जबरदस्ती उसके बल पर 7 बूथों के वोट अपने पक्ष में डलवाये। वहां पर तैनात अधिकारियों ने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, उसका केस रजिस्टर हुआ, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह नहीं कहता कि उसका प्राजिक्यूट किया जाये, लेकिन भविष्य में सरकारी तंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई जाये।

मान्यवर, निर्वाचन प्रणाली में और न्याय प्रणाली में आज लोगों की आस्था दिन पर दिन उठती जा रही है और इससे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर सरकार न्याय प्रशासन में तथा निर्वाचन व्यवस्था में जनता का विश्वास पैदा नहीं कर पाती है, तो लोकतन्त्र का भविष्य अन्धकारमय है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। न्याय प्रशासन में दो बातें मुख्य हैं, एक तो न्याय सस्ता सुलभ हो और न्याय समय से हो। न्याय मिलने में देरी का मतलब होता है न्याय का न मिलना। इसी के साथ-साथ जो व्यक्ति जहां रहता है उसी के आस-पास उसे न्याय मिलना चाहिये, न्यायालय उसके करीब ही होना चाहिए। माननीय न्याय मंत्री जी ने इस पर विचार किया है। इसी दृष्टि से उन्होंने कुछ कदम भी उठाये हैं। हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वादों के निस्तारण का प्रतिशत अन्य प्रदेशों से अधिक है। जहां हमारे यहां न्यायाधीशों की संख्या 56 है, वहीं 4 और बढ़ाई है तथा 12-13 और बढ़ाने की बात वे सोच रहे हैं। तहसील मुख्यालयों पर भी 76 मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों की स्थापना की जा रही है।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं। दीवानी के मुकदमों में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और फौजदारी के मामलों में महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की अपेक्षाकृत हमारे यहां निस्तारण वहां से बेहतर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाय, तो हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। वाद निस्तारण को लेकर सेशन जज तथा 48 से लेकर 84 मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्वीकृति हमारे प्रदेश में हुई है और इस वर्ष जो स्वीकृति मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के सम्बन्ध में होने की सम्भावना है, उससे हमारे प्रदेश के मुकदमों के निस्तारण में काफी तेजी आ जायगी। इस प्रकार से सुलभता की दृष्टि से तहसील स्तर पर न्यायालयों की स्थापना और जजों की नियुक्ति करने से यह साफ जाहिर हो जाता है कि हमारे प्रदेश में हमारी

सरकार मुकदमों के निस्तारण की तरफ काफी ध्यान दे रही है । अब तक मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के यहां आशुलिपिक नहीं होते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत दिक्कत उठानी पड़ती थी । अभी हमें बजट देखने से यह मालूम हुआ कि अब उनको आशुलिपिक सुलभ हो सकेंगे ।

अभी जो वेतन आयोग की रिपोर्ट, जिसके कि शायद अध्यक्ष भी हमारे एक रिटायर्ड जस्टिस महोदय हैं, उस वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जबकि हमारे यहां जूडिशियरी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जिला जज को पे कमिश्नर के बराबर हुआ करती थी और जिलाधिकारी के समकक्ष उनको अधिकार दिया गया था, लेकिन निहायत खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जो हमारे जिला जज की पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पे-स्केल रखा है, उसमें ए0 डी0 एम0 जो होता है उसकी पे डिस्ट्रिक्ट जज से कहीं अधिक है अर्थात् 1840 से लेकर 2500 रुपया । डिस्ट्रिक्ट जज जो अपीलेट कोर्ट है, जो ए0 डी0 एम0 के खिलाफ अपील सुनता है उसका पे स्केल कम रखा है । जो सी0 जी0 एम0 हैं, उनकी तनख्वाह आज जो है, इस पे स्केल के अनुसार सिटी मैजिस्ट्रेट, सेलेक्शन ग्रेड का मैं बता रहा हूं, सिटी मैजिस्ट्रेट की तनख्वाह से कम है । एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा । मुकदमें के निस्तारण में जो इसमें नहीं आया है लेकिन मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि कुछ मुकदमों के निस्तारण में जैसे कि शिनाख्त की कार्यवाही तथा 164 के बयान आदि होते हैं, एक्यूज्ड एवं मुद्दई तथा गवाह को ले जाकर 164 के अन्तर्गत बयान कराया जाता है, इसमें परेशानी यह होती है कि जब मैं जस्ट्रेटों का ट्रान्सफर हो जाता है, तो उनको बहुत दूर से आना पड़ता है, उसमें यह भी होता है कि अगर कोई अहलकार आकर बयान कह देता है कि मैं उनकी लिखावट तथा पढ़त जानता हूं, तो वह ऐडमिसिबल होता है । तो इस तरह से सरकार का बहुत कुछ खर्च भी बच जायगा और इस तरह से हमारे मुकदमों का निस्तारण बहुत जल्द हो जायगा । केवल टेक्निकल हैंड्स डाक्टरों का तलब होना जरूरी होता है । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने सर्वांगीण विकास और न्याय प्रशासन में सुधार लाने के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने न्याय प्रशासन और निर्वाचन विभाग की मांगों पर बोलने का मौका दिया । कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहुत सी बातों के सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश में, देश में न्याय बिकता है । किसी भी लोकतांत्रिक देश में चाहे वह किसी भी शासन पद्धति से सम्बन्धित हो ऐसी स्थिति नहीं है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हर हाल में इस चीज पर विचार करें और अगर वह गरीबों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त नियुक्तियां करने के बजाय उनकी स्टाम्प फीस माफ होनी चाहिए । माननीय मंत्री जी ने जो वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया है उसको देखने से ज्ञात होता है कि उसमें देर ही नहीं अन्धेर भी है । न्याय में तो श्रीमन्, देर है ही परन्तु न्याय प्रशासन में अन्धेर है । न्यायाधीशों की स्थिति, चाहे जिला जज हों या हाईकोर्ट के जज हों, रोजाना गिरती जा रही है । यह चिन्ता का विषय है कि उनको केवल वही सुविधायें उपलब्ध हैं, जो तहसीलों के स्तर पर आज एस0 डी0 एम्स0 को प्राप्त हैं । सरकार अगर यह चाहती है कि इस प्रदेश की जनता की आस्था न्यायाधीशों में बनी रहे, वे टेलेंटेड हों, समाजसेवी हों, तो यह आवश्यक है कि उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाय । बहुत सी

[श्री जयदीप सिंह---]

लीगल कान्फ्रेंसेज हुई हैं उन सभी में यह बात मिलती है कि न्याय में जो देर होती है उससे भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है, अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। बहुत से अपराधी जानते हैं कि उनके मुकदमें अदालतों में चले जायेंगे, कई वर्ष तक वहां पड़े रहेंगे जिसके फलस्वरूप वह और अधिक अपराध करने के लिये प्रोत्साहित होते हैं। इस प्रतिवेदन से ऐसा लगता है कि शासन का यह षडयंत्र है कि न्यायपालिका पर से जनता का विश्वास उठ जाय। 73 से लेकर 76 तक फौजदारी के मुकदमों में 275 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह वह समय था जब न्यायपालिका पर हर समय प्रहार इस शासन की पार्टी की ओर से किए जा रहे थे। इसके अगले तीन वर्षों में केवल 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगर न्याय-पालिका को निष्पक्ष बनाना है और जनता में उसकी इमेज इम्प्रूव करनी है तो जो वैकेन्सीज पड़ी हैं उनको तुरन्त भरा जाय। 60-70 वैकेन्सीज हैं देश के हाई कोर्टों में उत्तर प्रदेश में भी बहुत हैं उनको इसलिए शायद नहीं भरा जा रहा है कि ऐसे आदमी नहीं मिल रहे हैं जो न्याय बांटने में आपके आदेशों का पालन करें। ऐसा न करके सही आदमियों का तुरन्त नामांकन किया जाना चाहिए। गरीबों को अगर न्याय देना है तो तहसील स्तर पर सभी मुन्सिफ कार्यालय स्थापित किए जायं ताकि उनको जिला मुख्यालय पर न जाना पड़े।

मैं शासन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सी० आर० पी० सी० में एक धारा है "एण्टीसिपेटरी बेल" के बारे में। पूरे देश में यह धारा लागू है, केवल उत्तर प्रदेश में ही वह धारा निरस्त की हुई है, तो इस पार्टी के भी मुख्य नेताओं को उस धारा का आश्रय मिला...

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, एक मिनट और दे दें। तो मान्यवर, उस धारा के आश्रय में सत्ताधारी दल के शीर्षस्थ नेताओं को भी राहत मिली थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रदेश में एण्टीसिपेटरी बेल को पुनः लागू करें। चुनाव में भी दुरुपयोग हो रहा है धन का चुनाव नहीं होते हैं नीचे की स्थानीय संस्थाओं के, तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन कायम करें, कमिश्नर तो पहले ही से है, जो स्थानीय संस्थाओं के चुनाव स्वयं करायें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठें।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने न्याय बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ न्याय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका स्वागत करता हूं। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं 2-3 मिनट में ही अपनी बात कहूंगा।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम का इलाका है, मेरठ मण्डल है, बरेली है, कुमायूं है तथा और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत बड़ी परेशानी वहां की जनता को होती है मुकदमे के सिलसिले में उन्हें इलाहाबाद तक आना पड़ता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां के वकीलों ने हड़ताल भी कर रखी है तथा हमारी सभी वहां की जनता की और वकीलों की यही मांग है कि इस क्षेत्र के किसी भी एक स्थान पर एक खण्ड पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापित कर दी जाय जिससे कि न्याय सरल और सुलभ हो सके। कभी-कभी यह भी देखा गया है कि पहाड़ से इलाहाबाद आने में कम से कम 3 दिन रास्ते में ही लग जाते हैं और साथ ही साथ...

श्री अधिष्ठाता--

इस पर तो आपके मंत्री महोदय कह चुके हैं।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

तो मान्यवर, 3 दिन लग जाते हैं सिर्फ आने में। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को हम बधाई देते हैं, श्री नारायण दत्त तिवारी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने केन्द्र को प्रस्ताव भेजा था इसको उन्होंने इण्डोर्स किया है और इस बात की घोषणा भी की है..

(मेजों की थपथपाहट)

एक सुझाव और है और वह यह है कि यह आदेश तो हो गया कि आपके जो कोर्ट्स हैं, वह तहसील स्तर पर जायेंगे लेकिन वह पहुंचे नहीं हैं। मैं आपको अपने जिले की बात बताता हूं मेरे जिले बुलन्दशहर में अनूपशहर में तहसील स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे कि हम लोगों को और वहां की जनता को कष्ट हो रहा है। अन्त में, मैं बजट का स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बगैर खर्चा किए भी किया जा सकता है मसलन जो फैसले लिखे जाते हैं। फैसले लिखे जाने से पूर्व पार्टी से पूछा जा सकता है कि आपको नकल चाहिए और कार्बन लगाकर नकलें दे दी जायं, जैसे गवाहों के बयानों की दी जाती हैं। अभी बयान की नकल मिलती है लेकिन फैसले की नहीं मिलती है। एस0 डी0 एम0 कोर्ट्स में यह जो बयान हैं, इसकी भी नकलें नहीं मिलती हैं तो वकील अपने मुन्शियों से इन्सपेक्शन कराते रहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह व्यवस्था अंग्रेजों ने चालू की थी और इसमें गरीबों के लिए नहीं सोचा गया था। यह बड़े-बड़े आदमियों के लिए थी।

हमारे यहां पहाड़ों में अदालतें इतनी दूर हैं कि मैं क्या कहूं। यदि किसी कारण वश अदालत में जज नहीं हैं या अदालत बन्द हो जाती हैं। तो जनता को आने जाने में सैकड़ों रुपये बेकार में खर्च हो जाते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि कीर्तिनगर में एक मुन्सिफ कोर्ट खोली जाय क्योंकि पूरे प्रदेश में तहसील कार्यालयों में मुन्सिफ कोर्ट आपका खोलने का विचार है। एक अदालत हमको भी दे दें।

मान्यवर, न्याय व्यवस्था की बुनियाद पंचायतें हैं, उनके जो अधिकार हैं वह एस0 डी0 एम0 के मातहत हैं और इससे पूरी जनता एस0 डी0 एम0 के मातहत है। यदि न्याय व्यवस्था को आप ठीक करना चाहते हैं तो एस0 डी0 एम0 से न्याय प्रशासन को अलग हटायें और मुन्सिफ मैजिस्ट्रों के अन्तर्गत रखें।

[श्री विद्यासागर नौटियाल--]

मान्यवर, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अनुसार जो मुकदमें कोर्ट में जाते हैं वह सालों तक चलते रहते हैं। होना यह चाहिए कि मोटर वेहिकिल्स में जो दण्ड हो वह डाक से यदि भेज दिया जाता है तो आटोमेटिक उस केस का निस्तारण हो जाय।

मान्यवर, वकीलों के साथ हमारे शासन की पुलिस का जो व्यवहार हो रहा है वह निन्दनीय है। देहरादून में उनियाल वकील के साथ और उत्तरकाशी में कमलाराम नौटियाल के साथ पुलिस ने ऐसा व्यवहार किया कि इन लोगों को हथकड़ी पहनाकर घुमाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि वकीलों की इज्जत को ध्यान में रखा जाय और उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाय।

मान्यवर, रेवेन्यू के जो केसेज हैं वे पहाड़ों में एस0 डी0 एम0 तहसीलदार और कमिश्नर से हटाकर अलग से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट कायम किये जाने चाहिये।

श्री जंग बहादुर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने न्याय प्रशासन का बजट जो मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, न्याय की हमारे समाज में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। शान्ति व्यवस्था समाज में बनी रहे, लोगों को समान रूप से रहने, खाने और काम करने का अधिकार मिले, समाज के उत्थान और प्रगति के लिए न्याय महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, जहां तक न्याय का सवाल है तो वह सस्ता होना चाहिए। इस दिशा में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कचेहरी और कोर्ट में कोर्ट फीस जो बढ़ती जा रही है, जिससे गरीब को न्याय मिलना कठिन हो गया है, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो वह न मुकदमा लड़ सकता है और न उसकी पैरवी कर सकता है और न दावा ही कर सकता है, इसलिए कोर्ट्स फीस को कम करना चाहिए। मान्यवर, दूसरी चीज यह भी होना चाहिए कि न्याय मिलने में शीघ्रता होनी चाहिये क्योंकि यदि न्याय मिलने में विलम्ब होता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव जिन्होंने प्रस्तुत किया है उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासन में जजों के बड़े ट्रान्सफर किये गये। मैं उनका ध्यान उस समय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जब सतीश चन्द्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज थे इलाहाबाद के हाईकोर्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब आपका शासन आया उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ में फैसला किया कि इस्तीफा स्वीकृत है वापस नहीं हो सकता। सुप्रीमकोर्ट में अपील हुई उस समय केन्द्र में आपकी सरकार थी सुप्रीम-कोर्ट ने उस फैसले को ठीक नहीं माना और श्री सतीशचन्द्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गये। आपके पालकी वाला जो अमेरिका में अम्बेसडर थे उन्होंने अमेरिका के प्रेसीडेंट जिमी कार्टर के मां के जूते का नाप भरी सभा में लेने के लिए झुके इस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया। इन्दिरा जी जब हार गई तो पालकीवाला ने कहा यह तो बड़ा ड्रास्टिक जजमेंट हुआ है। उन्होंने उसकी अपील बनाई, जब मुकदमें की पैरवी करने का समय आया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। मैं समझता हूं कि यह प्रोफेशनल मिस कन्डेक्ट है। आपने जो केन्द्र में कानून मंत्री बनाये इलाहाबाद हाईकोर्ट के अन्दर जहां आवश्यकता पड़ी जो भी

नियुक्तियां हुई हैं क्या वह उनके सम्बन्धी नहीं थे। चाहे कानून मंत्री के, चाहे चीफ जस्टिस के सम्बन्धी रहे हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी पर आरोप लगाने के पहले आप अपने दामन को देखें। दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हिन्दी में पुस्तक की व्यवस्था की जा रही है यह बहुत अच्छी बात है। मैं निवेदन करूंगा कि जो पुस्तिका सरकारी पब्लिकेशन में छापती है उनकी कीमत कम होती है और जो बाकी छपती है उनकी कीमत ज्यादा होती है वकील लोग 10-10 पेज की किताब 3-3, 4-4, रुपये में खरीदते हैं। मंत्री जी ने कहा कि गरीब और शिड्यूल कास्ट के लोगों को कानूनी सलाह मुफ्त दी जायेगी उससे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। उनकी कोर्ट फीस माफ होनी चाहिये ताकि न्याय का दरवाजा खटखटा सकें। मैं अन्त में मंत्री जी बजट का स्वागत करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट -

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे न्याय प्रशासन के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, एक सिद्धान्त है न्याय के बारे में--जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। जब न्याय मिलने में विलम्ब होता है तो यह कहा जाता है कि न्याय नहीं दिया जा रहा है। न्याय के बारे में एक और बात कही जाती है कि--जस्टिस शुड नाट ओनली बी डन, बट इट शुड एपियर टुबी डन। न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिये बल्कि यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिये कि निर्णय किया गया है। मैं आपका ध्यान विशेष रूप से मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें की क्या इतने बरसों की आजादी के बाद क्या यह न्याय गरीबों के दरवाजे तक पहुंच पाया है।

(इस समय 4 बजकर 37 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

क्या गरीब इन्सान जो गांव और गलियों में बड़े लोगों के द्वारा मारापीटा जाता है और अपमानित और उत्पीड़ित किया जाता है क्या वह गरीब आदमी कानून का दरवाजा खटखटाकर कोई इन्साफ पाता है। मेरा विश्वास है कि मान्यवर, आपको गरीब समाज की वेदना का अनुभव है और आप गरीब की वेदना को जानते हैं। वेदना की अनुभूति मुन्शी प्रेम चन्द्र की कहानी को पढ़कर नहीं बल्कि गरीब समाज से सीधा सम्बन्ध रखने से ही हो सकती है। म इसलिये विशेष रूप से अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिये ताकि इन्साफ गरीब आदमी, को आसानी से मिल सके और न केवल इन्साफ मिल सके बल्कि उसको सन्तोष हो कि उसको न्याय मिला है। क्योंकि बड़े-बड़े आदमी गरीब को जूते से पीटते हैं, मारते हैं, अपमानित करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं। वह गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से थाने जाता है तो बड़ी मुश्किल से चिरौरी, बिनती करने पर और अपनी अन्टी से पैसा देने पर उसकी रिपोर्ट 323 में लिखी जाती है। आप बतायें कि 323 पर जो रिपोर्ट लिखी जाती है, 323 नान कागनिजिबिल आफेंस है, उस गरीब के पास कोई प्रभाव नहीं होता है कि वह एस0 पी0 से परमीशन ले इसलिये उसको कोई इन्साफ नहीं मिलता है।

मान्यवर, अनटचऐबिलिटी ऐक्ट है, अगर इसको प्रभावकारी रूप में लागू किया गया होता तो जो समाज में गरीब आदमियों को मारा पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है, अगर अनटचऐबिलिटी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट—]

किया गया होता तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि जौनपुर, बेलछी, तन्जौर, अलीगढ़, बाराबंकी, आदि जगहों पर जो घटनायें हुयी हैं और हत्याकांड हुये हैं वह न होते । एक एक थाने में, आप अखबार उठाकर देख लीजिये, अखबारों में रोज ही इनके मारने पीटने एवं उत्पीड़ित करने की घटनायें आती हैं । हरिजनों के घरों को जलाया जाता है और उनको बेघरबार किया जाता है । आखिर उनके पास सहारा नहीं है इसके अलावा कि वह कानून के दरवाजे खटखटायें । श्रीमन्, उनके साथ क्या इन्साफ होता है इससे आप भी संतुष्ट नहीं हैं । खुशी की बात है, जो गरीब गांवों में, गलियों में रहता है उसको इन्साफ मिल सके उसके लिये आपने व्यवस्था की है कि आपके जजेज गांवों में जायेंगे और वहां जाकर उनकी वेदना को सुनेंगे और उनकी कहानी को सुनने के बाद प्रयास करेंगे कि उनको न्याय मिल सके । यदि आपका इरादा, आपके मन मस्तिष्क में यह चीज है तो आपको इसके लिये कठोर कदम उठाने होंगे और अच्छे जजेज को गांवों में भेजा जायगा तो सही मानों में ईमानदारी से उनको न्याय मिलेगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जुडीशियरी जिसको बड़ी अच्छी निगाह से देखा जाता था, जिसको पंच परमेश्वर मानकर उसमें पूरा विश्वास किया जाता था, आज मुश्किल है कि उस जुडीशियरी के बारे में लोगों की धारणायें अच्छी नहीं हैं । वह समझते हैं कि जुडीशियरी में रहने वाले लोग भी बेइमानी और भ्रष्टाचार के शिकार हो गये हैं । जो जज आप गांवों में गलियों में भेजे, वहां ईमानदार जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, जजेज जायं तो मैं समझता हूं वहां गरीब लोगों को इन्साफ मिलेगा और यह जो अपमान, उत्पीड़न गरीब आदमी का किया जाता है उससे उसको मुक्ति मिल सकती है । दूसरी बात निर्वाचन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं, निर्वाचन की प्रणाली में सुधार करना चाहिये । सारे लोगों का खर्च यदि सरकार वहन करे और सामूहिक रूप से चाहे मीटिंग हो जाय, उसमें सारे लोग अपना मैनीफिस्टो रखें, जैसे यूनीवर्सिटी में होता है, सारी बातें वहां आ जायं तो उसके बाद आप गांव-गांव जाकर निर्वाचन करा सकें तो मैं समझता हूं कि आपका यह क्रांतिकारी कदम होगा और यह व्यवस्था जिससे आप भी पीड़ित हैं, हर माननीय सदस्य इससे पीड़ित है, काला धन जो बाजार में आता है और उससे समाज में जो विकृति आती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी । इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि गरीब समाज की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये और गरीब समाज पर जो होने वाले अत्याचार हैं, जो उनके अपमान की एक लम्बी कहानी है, एक लम्बा सिलसिला है और उस लम्बे सिलसिले में जाकर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आपका ध्यान इस ओर नहीं गया तो समाज में एक क्रांति, लाल क्रांति आयेगी और खून बहेगा । गरीब उसके लिये न रोजी है, न रोटी है और न जमीन जायदाद है उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । आप 5-7-11 व्यक्तियों के परिवार के हिसाब से बराबर जमीन दे और इस देश की जमीन का बंटवारा दुबारा करायें । जो आदमी सर्विस में आ जाय उससे कह दें कि तुम्हारा कोई वास्ता जमीन से नहीं है । हर परिवार के बच्चों को प्राइमरी से लेकर यूनीवर्सिटी तक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय । मेरा सुझाव है कि यदि आप जमीन, धन और धरती बांट दें तो सबको मौका मिलेगा और सबको बराबर का वातावरण मिलेगा ।

तब फिर मैं समझता हूं किसी आरक्षण और रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होगी । इसलिए इस ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मन्त्री

जो कहा कि यह जो आरक्षण के नाम का मांस का टुकड़ा फेंक रखा है, उसे वापस ले लें और देश की समस्त जमीन को एक बार फिर से बराबर बांट दें इन दलित परिवारों में और जो बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं ऊंचे-ऊंचे गगन चुम्बी बिल्डिंग हैं, सबको तुड़वाकर बराबर करवा दें और सबको झोपड़ियां बनवा दें ताकि देश में एक रूपता आ सके। यदि आप यह न कर सके तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं इन पंक्तियों के द्वारा :--

लग रहा है फिर कोई लहर आने को है,
इस शहर के बाद भी कोई शहर आने को है।
रक्त खोरों पढ़ सको तो पढ़ लो अपना मर्सिया,
फिर नए विद्रोह की कोई खबर आने को है।

अंत में एक बात और कह कर अपनी बात को खत्म करूंगा।

हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है,
मगर हयात् की तलवार कौन रोकेगा।
फसीले आतिसो-आहान बहुत बुलन्द सही,
बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा।
नए ख्याल की परवाज रोकने वालों,
नए आवाम की ललकार कौन रोकेगा।

*श्री सुन्दर सिंह--

मान्यवर आपका अभारी हूं कि आपने न्याय बजट पर बोलने का अवसर दिया साथ ही में कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं और न्याय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, न्याय के बारे में बहुत सी क्रान्तिकारी बातें सामने आयीं। आज हमारे देश और प्रदेश में न्याय प्रशासन की मौजूदा स्थिति बड़ी दयनीय है। जैसे समाज में बहुत सी चीजें संकट की शिकार हैं, आज बहुत से नवजवान प्रदेश और देश के रहने वाले, नौकरी न पाने के शिकार हैं। जिस तरह से आज समाज में बहुत विषमताएं व्याप्त हैं, उसी तरह से न्याय प्रशासन में भी बहुत हैं। अगर इसको समय रहते न देखा गया, इनकी समस्याओं पर विचार नहीं किया गया और अभी तक हुआ यह कि न्याय प्रशासन की उपेक्षा हुयी है। मुन्सिफों, जजों, वकीलों और उनके कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों की उपेक्षा हुयी है। ए0 डी0 एम0 जो प्रदेश के हैं, उनकी तनख्वाह तो आपने बढ़ाई है और आपने न्यायाधीशों की तनख्वाह कम कर दी है। यह मान्यवर, किसी भी रूप में उचित नहीं है। इस लिए में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि न्याय प्रशासन की ओर ध्यान दिया जाए, इनमें काम करने वाले और इनसे संबंधित लोगों का ध्यान रखा जाए। अगर इनकी उपेक्षा की जायेगी इनके अधिकार का हनन होगा तो यह स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर सकेंगे। वकीलों की समस्यायें भी आज हमारे सामने बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर सिंह--]

सोचनीय है, जब इन बेचारों को कहीं काम नहीं मिलता बेरोजगारी के शिकार होते हैं, तब मजबूरी में इनको काला कोट पहनना पड़ता है। इसलिये इस समुदाय की ओर भी ध्यान देना होगा इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना होगा। आज भी इनकी उपेक्षा की जा रही है। यही वजह है इसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मुकदमें जिनमें कुछ नहीं होता, और जो दोषी नहीं होते, उनको सजा मिल जाती है और जिनमें मुल्जिम को सजा मिलनी चाहिए, वह मुकदमें छूट जाते हैं। इसलिए आज न्याय प्रशासन को सरल बनाना है। तो इसके लिये आवश्यक है कि हिन्दी में हर जगह काम हो, चाहे उच्च न्यायलय हो, या सिविल कोर्ट हो, कहीं भी हो, सब जगह काम हिन्दी में होना चाहिए। इसके प्रति अब तक जो उपेक्षा की गयी, उसके लिए अब प्रयास करना होगा। मान्यवर, आज हमारे न्यायालयों में जो निर्णय मिलता है, वह निर्णय पत्रिकाओं में छपता है और अंग्रेजी में छपता है। वह हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आये हुये वादकारियों की समझ में नहीं आता है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संबंध में सरल, सुबोध और सस्ती पुस्तकें वादकारियों को उपलब्ध करायी जायं।

मान्यवर, एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे न्यायालयों में न्यायाधीशों को, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों को (एक वकील होने के नाते मैं स्वयं अनुभव करता हूं) रहने के लिये व्यवस्था नहीं है। बहुत मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट इधर-उधर पड़े रहते हैं। इसलिए न्यायालयों में सस्ता और शीघ्र न्याय गरीब जनता के दरवाजे पर नहीं पहुंचता। जो पंचायतराज ऐक्ट बनाया है, जिसका लक्ष्य है कि गरीब जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध हो लेकिन वह पूरी तरह से असफल रहा है। संसदीय लोकतंत्र में अगर किसी एकमात्र संस्था का महत्व है तो वह न्यायपालिका का है। उसकी तरफ जनता की निगाह होती है। उसका एक महत्वपूर्ण फैसला सारे समाज को प्रभावित कर देता है। इसलिये उसमें प्रभावशाली व्यक्तिओं को होना चाहिये। अगर शासन वास्तव में गरीब और शोषित जनता की भलाई करना चाहती है, तो उसकी तरफ न्यायपालिका की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं बजट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और अधिकांश माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

मान्यवर, संक्षेप में मैं 2/3 सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा, जैसा कि मने निवेदन किया, माननीय हाईकोर्ट तथा अन्य कोर्टस में साढ़े छै लाख केसेज पेन्डिग हैं और मान्यवर, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में 2,131 मुकदमें ऐसे हैं जो 10 वर्षों की अवधि के हो चुके हैं। इसलिये, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और पहले भी कर चुका हूं कि अगर बजट को दूर करना पड़े तो करदें लेकिन एडहाक जजेज का एप्वाइन्टमेंट करदें और संविधान की धारा 224(ए) में प्राविधान है कि हाईकोर्ट के लिये एडहाक जजेज एप्वाइन्ट करें और 2/3 वर्षों में समय-बद्ध कार्यक्रम लेकर इन सारे मुकदमात् को जो पेन्डिंग पड़े हैं, का निर्णय करा सक, तो माननीय मंत्री जी

यह आपतो मिनिस्टरशिप के टेन्योर में बहुत बड़ी सेवा उत्तर प्रदेश की जनता की कर सकेंगे ।

दूसरी बात, मान्यवर, जो भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्यों ने कही, वह आप से छिपी नहीं है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत गहराई तक पहुंच गया है । मिसाल के तौर पर जिक्र करना चाहता हूं कि मेरठ जिलाकोर्ट में 2/3 जुडीशियल मैजिस्ट्रेट इस प्रकार के हैं कि एक-एक मैजिस्ट्रेट के पास 10/10 वकील हैं । तो मान्यवर, मैं 2/3 सुझाव देना चाहूंगा । उनको विजीलेंस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट की परमीशन लेनी पड़ती है तो इस संबंध में सुझाव देना चाहता हूं कि किसी एस0 पी0, विजीलेंस को ओथराइज करें, जो उन पर ट्रैप डाल सके और जो जजेज करेप्ट प्रैक्टिसेस में इनवाल्व हों उनको ट्रैप किया जा सके । मान्यवर, पहले सुनने में नहीं आता था कि जजेज भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं । लेकिन अब इसके बारे में सुना जाने लगा है । जजेज के लिए डी0 आई0 जी0 रेंज का विजीलेंस आफिसर तैनात करें ताकि उन पर ट्रैप डाला जा सके ।

तीसरी बात डी0 जी0 सी0 (सिविल) और (क्रिमिनल) और स्टैंडिंग कौंसिल की नियुक्तियों के संबंध में है । मान्यवर, इस प्रदेश में ऐसी प्रथा सी हो गयी है कि सरकार के बदलने के साथ ही साथ तमाम डी0 जी0 सी0 ज0 (क्रिमिनल) और (सिविल) बदल जाते हैं । उनका कार्य भी एक प्रकार से निष्पक्ष नहीं रहता । उनके बदलने के बारे में एक ऐसी प्रथा पड़ गयी है कि उसके कारण और न्याय प्रशासन को बहुत धक्का पहुंचता है । एक ऐसा पेनल आप बनायें जिसमें एल0 आर0 हों, एडवोकेट जनरल हों, कम से कम 5 साल के लिए डी0 जी0 सी0 की नियुक्ति हो । यह नहीं कि 6 महीने में सरकार बदली तो वह भी सब के सब बदल गये इससे निश्चित रूप से वे पक्षपात से काम करेंगे । इसके लिए आप स्थाई पेनल बनावें ।

ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान मान्यवर, सभी प्रान्तों में है लेकिन पता नहीं किन कारणों से यहां बन्द कर दिया गया । कुछ अच्छे लोग भी झूठे अपराधों में फंसा दिये जाते हैं । ऐसे में निश्चित रूप से उसे जेल जाना पड़ेगा । अगर वह काम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में किया जाये तो उसे ऐन्टीसिपेटरी बेल मिल जायेगी । यह भावना संविधान के भी विपरीत है अतः इसे फिर से यहां लागू करें ।

स्पेशल मैजिस्ट्रेट के बारे में कहना चाहता हूं । केवल 100 के लगभग ये अदालतें कार्य कर रही हैं उनमें कुछ ईमानदार हो सकते हैं । 300 रुपये आप उनको देते हैं और वे प्राइवेट केसेज कर सकते हैं । अगर उनकी ईमानदारी पर आपको यकीन है तो पुलिस केसेज क्यों नहीं देते ? अदालती पंचायतों के बारे में, कहना चाहता हूं । आपने जुडिशियरी का विकेन्द्रीकरण किया है । तहसील में मुन्सिफ व जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को लाया जा रहा है । लेकिन जहां तक न्याय पंचायतों को बनाये रखने की बात है निश्चित रूप से इनको समाप्त कर दें । अगर कान्टीन्यूट रखना चाहते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अण्डर न रखें बल्कि जिला जज के सभी न्यायालयों में हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में निर्णय हो रहे हैं । इस बार इस सदन में कहा जाता है कि न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है । कानून पुस्तिका जो इलाहाबाद से छपती है आई0 एल0 आर0, यह भी अंग्रेजी में । इसको हिन्दी में होना चाहिए ।

[श्री नरेन्द्र सिंह--]

कानून व्यवस्था की हालत को देखते हुए मेरा निवेदन है कि हर थाने में कम से कम एक वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर जरूर होना चाहिये, जो केवल विवेचना का ही कार्य करे कानून व्यवस्था के अधिकारी विवेचना ठीक नहीं कर पाते हैं और रात में ऊंघते रहते हैं और एक दिन में 10-10 दिन की डायरी लिखी जाती है। सभी इस चीज को जानते हैं। किस तरह से....

(व्यवधान)

सी0 आर0 पी0 सी0 में धारा 161 के अन्तर्गत जो कापियां तैयार करते हैं वे पी0 पी0, के मातहत होते हैं। उसकी वजह से 6-6 महीने डेट लगता रहता है। इतना विलम्ब होता है। इस व्यवस्था को समाप्त किया जाये। अतः जो कापीं ग डिपार्टमेन्ट है वह जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अण्डर होना चाहिए, जिससे उसमें विलम्ब न हो।

मान्यवर, इसके अलावा आपने स्वयं ही कहा है कि न्यायालयों के लिए फर्नीचर, स्टेशनरी, पानी की सुविधायें और भवन निर्माण आदि हैं। इसके अतिरिक्त आपका ध्यान विशेष रूप से गवाहों की ओर दिलाना चाहूंगा। आज गवाही देने वाला गवाह न्याय लय में बिलकुल सुरक्षित नहीं है। उसको बराबर अपनी जान का खतरा है और निश्चित रूप से गवाह गवाही नहीं दे पाते और इसलिए अपराधी लोग छूटते जा रहे हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो पुलिस के गवाह हैं उनको संरक्षण दें। आपने जो घोषणा की इकानामिक आफेन्सेज के लिए नये न्यायालयों की स्थापना की उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक माननीय सदस्य ने प्रधान मन्त्री के चुनाव की चर्चा की प्रधान मन्त्री के चुनाव के बारे में, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 1980 के चुनाव में प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के मामले में निर्णय दिया था, न्याय मूर्ति श्री जे0 पी0 चतुर्वेदी ने इनाम में उनके लड़के को, जो आई0 ए0 एस0 हैं को, ट्रान्सफर किया गया यू0 पी0 कैडर में, और एक्साइज कमिश्नर नियुक्त किया गया। इस प्रकार से राज्य की न्यायपालिका के क्षेत्र में उसका दखल हो गया है। मान्यवर, इन्हीं सुझावों के साथ में माननीय सदस्यों को, जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी भी मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह जी का उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा तो जरूर लेकिन बड़ी भलमनसाहत की कि उसको बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और वास्तव में इसकी आवश्यकता थी और उन्हें यह अहसास हुआ कि धनराशि बढ़ाने की भी आवश्यकता है इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। श्रीमन्, हाईकोर्ट की बेंच के बारे में काफी सदस्यों ने अपनी बात रखी और जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी घोषणा कर दी गई है। इसके लिए अमलगमेशन आर्डर 1948 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की सहमति से यह कार्य सम्पन्न होता है और जब तक इसके बारे में विधि नहीं बनता तब तक उसकी आगे की कार्यवाही नहीं होती। विधान मण्डल इसके लिए सक्षम नहीं है। यह सारा कार्य संसद के ही अधिकार क्षेत्र में आता है और जो उन्होंने शुबहा व्यक्त किया है ऐसी शुबहा व्यक्त करने की कोई बात नहीं है। हम ने उस का निर्णय लिया है और भारत सरकार के सुपुर्द उसे कर दिया है कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मुनासिब हो, जहां सब को आसानी से सस्ता न्याय सुलभ हो, उसकी स्थापना करें।

श्रीमन्, एक बात और पिछले बजट की और इस बजट की कही गयी। मैं माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गत सितम्बर के लगभग पिछला बजट पास किया गया था और कुछ चन्द महीनों बाद ही हम बैठ रहे हैं। न्यायाधीशों की बात कही या सौ मुन्सिफों की बात कही गयी, उसकी व्यवस्था हो रही है। उनकी परीक्षा हो गई है और उसका परीक्षाफल भी आ गया है। डाक्टरी परीक्षा के बाद अप्रैल के आस-पास वे ट्रेनिंग में भेज दिये जायेंगे और जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया सौ मुन्सिफ आप को उपलब्ध होंगे।

(समय अपराह्न 5 बजे)

श्रीमन्, तहसीलों की बात कही गयी कि अभी तक तहसीलों में न्यायालय नहीं खोले गये। पिछले सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अभी कुछ 4-6 महीनों की बात है। उसके भवन निर्माण के आदेश कर दिये गये हैं। कार्य हो रहा है। आज हमारे सामने समस्या यह है कि तहसील हेडक्वार्टर में हमें मकान किराये में नहीं मिलते हैं वरना इस कार्य में इस तरह की कोई देर नहीं होती। भवन निर्माण होते ही वह कार्य पूरा हो जायगा।

एक बात कही गयी अखबारों के कटिंग देते हुये कि कुछ समाचार पत्रों में कुछ भ्रामक समाचार निकले हैं। उस के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ जजों के बारे में वह जो मामला लम्बित बताया गया है वह न्याय विभाग में कतई नहीं है। यह मामला बिलकुल नियुक्ति विभाग में है और देरी की वजह यह है कि कुछ मांगें आ रही हैं दस-पांच की संख्या में। इसमें कुछ देर हो गई है। शीघ्र ही इसकी व्यवस्था हो जायगी। इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है।

इलेक्शन्स के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। तो जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ही चुनाव की तारीख निश्चित करता है और जब भी वह तारीख निश्चित हो जायगी हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।

डी० जी० सीज० के बारे में भी कुछ बातें कही गयी। उसके बारे में निवेदन करूंगा कि डी० जी० सीज० के एपाइन्टमेंट के बारे में, वकीलों की नियुक्ति के बारे में हमको देखना पड़ता है, मुवक्किलों की बातों को देखना पड़ता है कि कौन सा अच्छा वकील उस के पक्ष में काम कर सकता है, अच्छी पैरवी कर सकता है, तद्नुसार डी० जी० सी० की नियुक्ति की जाती है।

इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, 223 के बारे में जो वह कहने वाले थे कि गांवों में कोर्ट ले जाने की योजना थी उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

वैसे परम्परा तो अब स्पष्टीकरण की है नहीं...।

श्री रियासत हुसैन--

इतना ही बतला दिया जाय कि इलेक्शन के मुताल्लिक क्या इलेक्शन कमीशन ने आपकी सरकार को लिखा है, कोई संभावित डेट लिखी है कि इन डेट्स में करें, जैसा कि समाचार पत्रों में आ रहा है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

यह इलेक्शन कराने की बात इलेक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत है और शीघ्र उसके बारे में कोई न कोई निर्णय आने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4--न्याय विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4--न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,69,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की सूचना स्वीकृत हुई है

जो कि आगामी 26 मार्च, 1981 से प्रारम्भ होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं का 85 हजार शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किये गये जाने वाले बहिष्कार के सम्बन्ध में है। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, इस पर बयान कब होगा ?

कानपुर के भूतपूर्व विधायक श्री जैनाथ प्रसाद चौहान का कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

दिनांक 10 मार्च, 1981 को प्रातः 9·30 बजे थाना कोतवाली, कानपुर में इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि श्री जैनाथ प्रसाद चौहान का तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना के आधार पर उक्त थाने में धारा 365 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना से यह विदित हुआ कि अपहरण की बात मनगढन्त घटना बनाकर रिपोर्ट दर्ज करायी गई। अतः इस मामले में 11-3-81 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है।

कानपुर में आतंक होने एवं इस घटना से जनता का शासन के ऊपर से विश्वास हट जाने की बातें निराधार तथा असत्य हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

होली के बाद रख लें।

श्री उपाध्यक्ष--

होली के बाद तो बहुत दिन हो जायेंगे।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अब एक ही दिन तो रह गया है। 24 मार्च को रख ल।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है 24 तारीख को इस पर वक्तव्य हो जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह देखते हुये कि जिस तरीके से इस घटना की रिपोर्ट की लिखा गयी है और उससे जो वातावरण खड़ा हुआ होगा और वह गलत सिद्ध हुआ तो जिसने यह गलत रिपोर्ट लिखी है उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने पर माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी --

जरूर विचार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
16 मार्च, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

मध्यप्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 323 पर]

सूची

क्रमांक	नाम बीज भन्डार	नाम जनपद	कर्मचारी का नाम व पद
			सर्वश्री—
1	सिकहुला	आजमगढ़	जयराम राय वर्ग–3 स0कृ0निरी0
2	मऊ	,,	1—राम अवध मिश्रा ,,
			2—राम निवास यादव ,,
3	बड़राव	,,	शाहवान खां ,,
4	सिकरीर	,,	अक्षयवर पान्डेय ,,
5	उस्का बाजार	बस्ती	1—गौरी शंकर पाठक ,,
			2—अच्युतानन्द सिंह बघेल ,,
			3—तीरथ राज तिवारी ,,
6	बढ़नी	,,	भोला नाथ मल ,,
7	चिल्हिया	,,	1—रमायन प्रसाद त्रिपाठी ,,
			2—बवून जी तिवारी ,,
8	बेलवार	,,	गिरजा शंकर गुप्ता ,,
9	कलन्दरनगर	,,	रामबचन पान्डेय ,,
10	नवेल	,,	सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव ,,
11	वर्डपुर नं0 9	,,	राम कृपाल मिश्रा ,,
12	खेसरहा	,,	राम नरेश पान्डेय ,,
13	महुआकला	,,	राम सेवक पाल ,,
14	बफर गोदाम	,,	वकील शाही वर्ग–2 कृ0 निरी0
15	सांहाव	,,	राम निहाल मिश्र वर्ग–3 स0कृ0नि0
16	भरवलिया	,,	सतीश चन्द्र सिंह ,,
17	जिगना	,,	शिवनाथ राय ,,
18	सल्टवा	,,	नरेन्द्र प्रसाद सक्सेना ,,
19	सिकन्दरपुर	,,	नोबुल प्रसाद ,,

1	2	3	4	5
20	छटवा	बस्ती	शिवाजी सिंह	वर्ग–3 स0 कृ0 नि0
21	हरदही	,,	अमरपाल सिंह	,,
22	कृषि रक्षा केन्द्र	,,	रामसकल राम त्रिपाठी	वर्ग–3 कृ0र0प0
23	सदर	,,	श्रीपति सिंह	वर्ग–3 स0कृ0नि0
24	नरायन कोठी	देवरिया	राजेन्द्र पान्डेय	,,
25	धनौती	,,	रमाशंकर चौधरी	,,
26	तम्कूही	,,	बन्धु सिंह	,,
27	पडरौना	,,	1—जगदीश प्रसाद मिश्रा	वर्ग–3 स0कृ0नि0
			2—छेदी दास	वर्ग–2 कृ0नि0
28	बफर गोदाम	,,	इन्द्रजीत यादव	वर्ग–2 ,,
29	बघोच घाट	,,	रामाधीन सिंह	वर्ग–3 स0कृ0नि0
30	कसया	,,	1—गंगा प्रसाद श्रीवास्तव	वर्ग–2 कृ0 नि0
			2—अवधेश सिंह	वर्ग–3 स0कृ0नि0
31	राम लखन	,,	नन्दकिशोर चौधरी	,,
32	पथरदेवा	,,	सैरूदीन खां	,,
33	देवरिया सदर	,,	बृजभान सिंह	,,
34	सलेमपुर	,,	गणेशदत्त यादव	,,
35	सेवरही	,,	केशव राय	,,
36	लार	,,	1—नरसिंह प्रसाद राव	,,
			2—लालमुनि गुप्ता	,,
37	धनौती	,,	कामता प्रसाद श्रीवास्तव	,,
38	शेखवनिया	,,	जुमराती अन्सारी	,,
39	रामकोला	,,	श्वेत लाल	,,
40	देसई देवरिया	,,	कन्हैया लाल पान्डेय	,,
41	हाटा	,,	परशुराम सिंह	,,
42	बोदरवार	,,	रामप्रीत प्रसाद	,,
43	नेबुवा नौरंगिया	,,	कृष्ण लाल सिंह	,,

1	2	3	4	5
44	विष्णुपुरा	देवरिया	1--जोखन प्रसाद	वर्ग-3 स0 कृ0 नि0
			2--रामानन्द यादव	,,
45	खोरीवारी	,,	अमर सिंह	,,
46	बनकटा	,,	जनार्दन प्रसाद यादव	,,
47	भाटपार रानी	,,	शिव पूजन सिंह	ख0 वि0 अ0
48	राम पुरा	,,	ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव	वर्ग-3 सहा0
49	भटनी	,,	रवीन्द्रनाथ तिवारी	,,
50	प्रक्षेत्र हाटा	,,	श्रीधर शर्मा	वर्ग-3 प्र0 अधि0
51	तमपट्टी महवावां	,,	गिरीश चन्द्र दुबे	वर्ग-3 स0 कृ0 नि0
52	रामपुर कारखाना	,,	अली अहमद	,,
53	कप्तानगंज	,,	लक्ष्मी नारायण शर्मा	,,
54	मनिकौरा	गोरखपुर	हृदया नन्द सिंह	,,
55	बलूहीखोर	,,	राम बल्लभ यादव	,,
56	तरकुलवा	,,	श्रीनाथ पान्डेय	,,
57	पडोली	,,	माधवश्याम श्रीवास्तव	,,
58	कमपियर गंज	,,	यशोदा नन्दन मिश्र	,,
59	पनियरा	,,	1--बलीराम मिश्र	,,
			2--रामानन्द सिंह	,,
60	बफर गोदाम कूड़ाघाट	,,	1--ठाकुर प्रसाद यादव	कृषि नि0
			2--वीर बहादुर सिंह	,,
			3--हरि शंकर राय	स0 कृ0 नि0
			4--कामता प्रसाद सिंह	त0 लिपिक
			5--राम पाल सिंह	स0 कृ0 नि0
61	बेलीपार	,,	ब्रह्मा सिंह	,,
62	सेरावा	,,	के0 पी0 त्रिपाठी	,,
63	परतावल	,,	केदार नाथ राय	,,
64	महाराजगंज	,,	अनुग्रह नरायन सिंह	,,
65	खजनी	,,	सर्वदेव मिश्रा	,,
66	प्रक्षेत्र बागवत	,,	विश्वनाथ सिंह	प्र0 अ0

निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

वर्षवार 1977-78 से 1980-81 तक विभिन्न फर्मों से जिंक सल्फेट का क्रय निम्न दर से किये जाने का विवरण —

वर्ष	मात्रा मी0 टन	फर्म का नाम	दर प्रति मी0 टन	अन्य विवरण
			रु0 प्रति टन	
1977-78	37.5	मेसर्स नारायण इंड0 मेरठ	2,100	उद्योग निदेशक कानपुर के माध्यम द्वारा
	100	मेसर्स केमिकल इन्टरनेशनल आगरा	2,495	,,
	152	मेसर्स डिलक्स केमि0 कलकत्ता	2,540	,,
	46·5	मेसर्स वेस्ट इंडिया	2,200	,,
योग ..	336·0			
1978-79	387	मेसर्स केमि0 इन्टरनेशनल उदयपुर	2,610	,,
	288	मेसर्स डिलक्स केमि0 कलकत्ता	2,740	,,
योग ..	675			
1979-80	1,452	मेसर्स मिनिरल्स एन्ड मेटल कारपोरेशन दिल्ली	5,652 ठेकेदार	भारत सरकार के आदेश नुसार इम्पोर्टेड
	945	तदैव	4,695 पूर्ण	,,

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 369 पर)

प्रथम सत्र 1980 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री मित्रसेन यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर

प्रश्न

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में पेयजल संकट को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट निवारण हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उत्तर

जी हां । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट निवारण हेतु प्रदेश द्वारा सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं । जो निम्नलिखित है--

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पेयजल संकट से प्रभावित 35,506 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य कराये जा रहे हैं और अभी तक 7001 ग्रामों मे पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है । वर्ष 1980-81 में इस योजना के अन्तर्गत 32·25 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है, जिसके द्वारा लगभग 900 ग्रामों में वर्ष 1980-81 में पेयजल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के मैदानी जिलों की ग्रामीण हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में पेयजल कूप, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में हैन्ड पम्प और पर्वतीय जिलों की ग्रामीण हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में डिग्गियों का निर्माण कराया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के प्रथम 4 माह के व्यय के लिए प्रदेश के सूखा प्रभावित 19 मैदानी जिलों को 58,33,330 रु0 कूप निर्माण हेतु आवंटित किया गया है ।

अम्मार रिजवी,
मन्त्री,
ग्राम्य विकास ।

पी0 एस0 यू0 पी0--42 वि0 सभा 23-8-82--835--प्रतियां (पी0डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा